कार्य योजना

# सर्व शिक्षा अभियान- धौलपुर

## जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी० पी० ई० पी०)

जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर

दूरभाष/फैक्स (05642)223924

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg
New Delhi-110016
DOC, No.....
Date.....

# सर्व शिक्षा अभियान

# धौलपुर–जिला एक दृष्टि मे

| विवरण | सांख्यिकी |
|---|---|
| कुल क्षेत्रफल | 3.34 वर्ग किलोमीटर |
| कुल जनसंख्या | 982815 (2001) के अनुसार |
| पुरूष | 537733 |
| महिला | 445082 |
| लिंगानुपात | 1000:828 |
| वृद्धिदर (1991–2001) | 20.90 |
| जनसंख्या घनत्व | 177 प्रति वर्ग किलोमीटर |
| साक्षरता दर (2001) | 60.77 प्रतिशत |
| पुरूष साक्षरता दर | 75.82 प्रतिशत |
| महिला साक्षरता दर | 42.36 प्रतिशत |
| कुल उपखण्ड | 4 |
| कुल तहसील | 5 |
| उप तहसील | 3 |
| पंचायत समिति | 4 |
| ग्राम पंचायत | 153 |
| राजस्व गांव | 978 |
| नगर पालिकाएं | 3 |
| विधानसभा क्षेत्र | 3 |
| ग्राम पंचायत वार्ड | 978 |
| शहरी क्षेत्र वार्ड | 80 |
| मजरा | 1612 |
| ऐतिहासिक राजस्थान | |
| वनबिहार स्थान | वनबिहार तालाबशाही,केशरबाग |

# अध्याय 1

## जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका

धौलपुर जिला 5 अप्रेल 1982 को भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। जिसकी पांच तहसीलें धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा व सैपऊ है। यह जिला खनन कार्य (लाल पत्थर) के लिए प्रसिद्ध है। यह भरत पुर से 109 व आगरा से 54 किमी दूर है। एवं आगरा से बम्बइ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। मध्य रेल्वे का एक जंक्शन भी धौलपुर में है।

.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐसी मान्यता है कि इसका वर्तमान नाम धौलपुर राजा ढोलन (अथवा धवल) देव के नाम पर बसाए गए धौलेन्द्र अथवा धवलपुरी कस्बे, जो कि वर्तमान नगर के पास ही दक्षिण दिशा में स्थित है, के नाम पर पड़ा है। धौलपुर नगर पर 1501 ईस्वी में सिकन्दर लोधी ने कब्जा किया एवं उसकी सेनाओं ने सभी स्थानों पर लूटपाट की और धौलपुर के आसपास 7 कि.मी. तक स्थित बाग बगीचों को तहस नहस कर दिया जो कि धौलपुर को छाया प्रदान कर रहे थे। हुमायूं ने नगर का स्थान कुछ और उत्तर दिशा की ओर कर दिया, जिससे चम्बल नदी के प्रवाह से बचा जा सके।

पौराणिक इतिहासमें भी धौलपुर का संदर्भ आता है। यह कहा गया है कि मथुरा में नाग परिवार के पदमावली और मथुरा घरानों द्वारा धौलपुर व आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया।

13 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु

26.22 से 2657ˀ उत्तरी आक्षांश तथा 77ह14ˀ से 78ह16ˀ पूर्वी देशन्तर के मध्य स्थित धौलपुर जिले की शुरूआत धौलपुर नगर के पाससे कछार

के मैदानों द्वारा होती है। यह समुद्री सतह से 183 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र एक असामान्य घनाकार क्षेत्र है। क्षेत्र की एक अन्य विशेषता कछारी भाग का परीक्षणीय तंग धारिया है। नदी की गहराई प्राकृतिक धरातल से सटी हुई चलती है। अतः रिसाव क्षेत्र में पानी का रिसाव तेजी से होता है। यह तंग बीहड़ चंबल के किनारे किनारे स्थित है , जिन्हें कुछ कि.मी. दूर तक फैली पर्व श्रेणियों द्वारा कटने से बचाया गया है। धौलपुर नगर से दक्षिण–पश्चिमी दिशा में रेतीले टीलों की श्रृंखला आती है। जो एक स्थान पर तो समुद्री सतह से 356.91 मीटर ऊंच है।

जिले की जलवायु शुष्क है और गर्मी में अत्यधिक गरम व सर्दी में अत्यधिक ठण्डी रहती है। मानसून अवधि जुलाई से आरंभ होती है और करीब 15 सितम्बर तक रहती हैं। अधिकतम तापमान 49ह्ब तक व न्यूनतम 0ह्ब तक पहुॅचता है। जिला मुख्यालय पर वार्षिक औसत वर्षा 580 मिली मीटर दर्ज की गई।

जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बारहभारती नदी चंबल बहती है। पार्वती मौसमी नदी है। पार्वती नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। जिसका सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

## 14 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य

चूंकि धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अतः यहॉ के निवासियों पर इन दो प्रदेशों के सामाजिक और संस्कृतिक जीवन का प्रभाव पड़ता है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रामलीला व रसिया का उल्लेख किया जा सकता है। धौलपुर तहसील में देव छठ व दशहरे के पश्चात् शरद मेले का आयोजन किया जाता है। शिव चतुर्दशी के मेले क्रमशः बसेड़ी व सैपऊ में लगते हैं। राजाखेड़ा में एक पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है।

जिले का क्षेत्र चट्टानी है। जिसमें इमारती पत्थर कंकर बजरी, बलुआ पत्थर व चूना पत्थर आदि पाये जाते है। जिले का कुल सिंचित क्षेत्र

71,686 हैक्टेयर है। जिसमें प्रमुख फसलें बाजरा, गैहूं व गन्ना ही वाणिज्यिक फसलें सरसों अलसी व मूंगफली है। जिले में सरसों के तेल का सर्वाधिक उत्पादन व निर्यात किया जाता है। गांवों में गरीब परिवार व शहरों में मध्यम परिवार के लोग हैं।

1३ व्यवसायिक स्वरूप

जिला मुख्यालय पर बड़ी रेल्वे लाईन होने के कारण व्यापार का अच्छा केन्द्र है। धौलपुर और बाड़ी व्यापारिक केन्द्र है और कृषि बाजार है। धौलपुर व बाड़ी में मण्डी समिति है। धौलपुर में 2 ग्लास फैक्ट्रीयां हैं। यहॉ से ग्लासवेअर व मस्टरड ऑयल का निर्यात किया जाता है। यहॉ खनन कार्य होने से इमारती पत्थर का भी निर्यात होता है।

मुख्यकाम करने वालों का वर्गीकरण

| क्र.सं. | मुख्य कार्य करने वालों का वर्गीकरण | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | काश्तकार | 71.26 |
| 2. | खेतिहर मजदूर | 6.53 |
| 3. | पशुपालन, जंगलात में कार्य करना, मछली पकड़ना शिकार और बागान, फलोद्यान और संबंधित कार्य | 0.55 |
| 4. | खनन और उत्खनन | 1.92 |
| 5. | विनिर्माण, संसाधन, सर्विसिरा और मरम्मत का कार्य पारिवारिक उद्योग में | 1.02 |
| 5(ब) | विनिर्माण, संसाधन और मरम्मत का कार्य पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त | 2.60 |
| 6. | निर्माण | 1.49 |
| 7. | व्यापार और वाणिज्य | 4.21 |
| 8. | परिवहन, संग्रहालय और संचार | 1.31 |
| 9. | अन्य सेवाएं | 9.11 |

1.6प्रशासनिक ढांचा

जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख है एवं इसके पास जिला दण्डनायक की शक्तियां भी है। प्रशासनिक व विकासोन्मुखी उद्देश्यों हेतु जिले का चार उपखण्डों चार पंचायतसमिति खण्ड 5 तहसीलों, 154 ग्राम पंचायत, 978 वार्ड

पंचायतों में विभक्त किया गया है। शहरी वार्ड 80, राजस्व गांव 804 व 1612 वास स्थान है।

प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप

| जिला | उपखण्ड | तहसील | उप तहसील | पंचायत समिति | नगर पालिका |
|---|---|---|---|---|---|
| धौलपुर | बाड़ी | बाड़ी | कंचनपुर | बाड़ी | धौलपुर |
| | बसेड़ी | बसेड़ी | सरमपुरा | बसेड़ी | राजाखेड़ा |
| | धौलपुर | धौलपुरा, सैंपऊ | मंनिया | धौलपुर | बाड़ी |
| | राजाखेड़ा | राजाखेड़ा | | राजाखेड़ा | |

.7 जन सांख्यिकी

1991 की जनगणना के अनुसार धौलपुर की कुल जनसंख्या 749479 व 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 982815 है। जिसकी वृद्धि 31.13 प्रतिशत है। यह वृद्धि सन् 1991 में 28.10 थी जो कि सन् 2001 से 3.03 प्रतिशत कम है।

अ) जनसंख्या वृद्धि

जिले की पुरूष वृद्धि 28.81 प्रतिशत स्त्रियां वृद्धि 34.05 प्रतिशत कुल वृद्धि 31.13 प्रतिशत है। लिंग अनुपात में 1991 में 1000 : 795 थी; जो बढ़कर 2001 में 1000 : 828 हो गया है।

कुल जनसंख्या लिंग अनुसार वर्गीकरण

| क्र.सं. | विवरण | 1991 | 2001 | वृद्धि | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल जनसंख्या | 749479 | 982815 | 233336 | 31.13 |
| 2. | पुरूष | 417458 | 537733 | 120275 | 28.81 |
| 3. | स्त्रीयां | 332021 | 445082 | 113061 | 34.05 |
| 4. | लिंगानुपात | 1000 : 795 | 1000 : 828 | . | |

(i) शहरी व ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि

जिले में तीन शहर व अन्य ग्रामीण क्षेत्र हैं। शहरी जनसंख्या 176633 ग्रामीण जनसंख्या 806382 कुल जनसंख्या 982815 हैं ।

जनसंख्या शहरी व ग्रामीण

| तहसीलों के नाम | ग्रामीण जनसंख्या | | | शहरी जनसंख्या | | | कुल जनसंख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महिला | पुरूष | कुल | महिला | पुरूष | कुल | महिला | पुरूष | कुल |
| बरड़ी | 110450 | 91222 | 201672 | — | — | — | 110450 | 91222 | 201672 |
| बाड़ी | 83687 | 66868 | 150555 | 27234 | 23241 | 50475 | 110921 | 90079 | 201000 |
| धौनपुर | 102544 | 54860 | 157404 | 52365 | 45254 | 97619 | 154929 | 130114 | 285043 |
| राजाखेड़ा | 60700 | 48957 | 109657 | 15402 | 12937 | 28339 | 76102 | 61894 | 137996 |
| योग | 357381 | 261907 | 619288 | 95001 | 81432 | 1415009 | 452402 | 373309 | 825711 |

(स्रोत जनगणना 2001)

(स जातिवार जनसंख्या

जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 18!587 व 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 24(396 है।

जातेवार जनसंख्या का विवरण

| वर्षजाति | 1991 | 2001 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 151158 | 19135 | 20.16 |
| अनु. जनजाति | 34429 | 42261 | 4 |
| अनुसूचित व अनु.जन. जाति | 185527 | 240396 | |

1.8! जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगें को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्मणकार्य यथा–शाला भवन, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण सड़कें, इत्यादि।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस योजना से अच्छी तरह से समन्वय किया जाकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में में कमरे इत्यादि का निर्माण किया जावेगा।1

.8.2 सांसद/विद्यायक क्षेत्रीयविकास कार्यक्रमः–इस योजना में कार्य करवाने हेतु क्षेत्रीय विधायकों/सांसदों को निर्धारित राशि–आवंटित की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस कार्यक्रम से भी समन्वयन स्थापित कर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक वेधालयों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकेगी ।

.8.3 छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा 1996–1997 से जिले में यह कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत समस्त राजकीय विधालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों के साथ असमायिक किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर उनके संरक्षकों को मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि दुर्घटना के प्रकार एवं परिमाप पर निर्भर करती है।

पंचायत समिति को 11वें वित्त आयोग अनुदान एवं शिक्षा उप–कर से मिलने वाली राय राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इस वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ग्रम पंचायतों को जनसंख्या के अनुसार विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित की जाती है। र्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस योजना से समन्वय स्थापित किया जा कर शाला भ्वनों में निर्माण कार्य करवायें जायेंगे। इसके साथ–साथ ग्राम पंचायतों से प्रति परिवार 1)/– रू. प्रति वर्ष के हिसाब से पंचायत समिति को शिक्षा उप–कर की राशि प्राप्त होती है। इस राशि को केवल शैक्षणिक संस्थाओं का विकास करने हेतु व्यय किए जाने का प्रवधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया हें इस राशि को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिविल वर्क हेतु प्राप्त होने वाली राशि से डवटेल किया जाकर और ज्यादा संख्या में र्निाण कार्य करवाए जा सकेंगे।

1.8.4 संपूर्ण रोजगार योजनाकेन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित पूर्व में संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना को मिलाकर सरकार द्वारा यह नई योजना इस वर्ष से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के

निर्माण कार्य संपादित करवाए जाते हैं। जिले में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना से समन्वय स्थापित किया जाकर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जा सकेंगे।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) :–

यह परियोजना जिले में 1 सित. 2000 से प्रारंभ हुई थी। विश्व बैंक द्वारा आर्थिक मदद प्राप्त यह परियोजना राज्यके सात जिलों में संचालित की जा रही है। इनमें धौलपुर, झालावाड़, बारां, राजसमंद, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में यह योजना संचालित की जा रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से संबलन प्रदान करना हैं, उनके समाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधारकरना हैं। पांच वर्षों के लिए संचालित यह योजना 600 करोड़ रूपये की है। धौलपुर जिले में यह बाड़ी तथा बसेड़ी ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई है। बाड़ी में इब्राहिमपुर, सिंगोरई, धीमरी, पेंटरी, उमरेह, तथसानिधार पंचायतों में तथा बसेड़ी ब्लॉक में खरोली, रहरई, आंगई, मढासिल में संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में महिला एवं पुरूषों के समान रूचित समूह एवं के आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों का चयन किया जाता है, एवं परियोजना बनाई जाती है। कुल लागत राशि में 10 प्रतिशत राशि समूह के द्वारा जमा कराई जाती है तथा शेष 90 प्रतिशत (30+10+40+20) किश्तों में दी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत भूमि आधारित गतिविधियां (कुआं निर्माण, पोखर, बालिका आय सृजनात्मक गतिविधियां, सामुदायिक विकास कार्य सामाजिक सेवायें (दाईं, गोपाल योजनायें) शामिल हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धक इस परियोजनाओं को देख रहे हैं तथा ब्लॉक स्तर पर एन.जी.ओ. के रूप में प्रदान तथा ल्यूपिन व्यूमन वैलफेयर एवं रिसर्च संस्थान इस कार्य को देख रहे हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य गरीब परिवारों का समूह बनाकर उन्हें समान रूचि के आधार पर अनुदान दिलवाकर आर्थिक संबलन प्रदान करना है। अभी यह योजना डांग/बीहड़ क्षेत्रों के अनु.जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चल रही है।

योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में

1. गरीबी उन्मूलन

2. जिला परियोजना का संबलन

3. स्थानीय संस्थाओं की क्षमता सवंर्धन

4. उत्पादकता में वृद्धि

5. जिले के गरीब गांवों का विकास

6. सड़को एवं लिक सड़कों का विकास

7. उत्पादकता व रोजगार के अवसर प्रदान करना।

# अध्याय 2

## जिले का शैक्षिक परिदृश्य

### 2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास

इस अध्याय में जिले के शैक्षिक परिदृश्य का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता से लेकर, जिला निर्माण तथा वर्तमान तक के शैक्षिक विकास की इसमें दर्शाया गया है।

स्वतंत्रता से पूर्व धौलपुर स्टेट की शैक्षिक स्थिति बहुत कम थी, क्योंकि शैक्षिक सुविधायें नग्ण्य थी तथा जो संस्थायें थीं, उनमें धनाढ्य परिवार तथा स्टेट से संबंध रखने वाली उच्च जाति के लोग ही शिक्षा ले पाते थे।1991 की जनगणना के अनुसार जिले में 140 उ.प्रा. विद्यालय तथा 585 प्राथमिक विद्यालय थे तथा 300 केन्द्र प्रोढ़ शिक्षा के लिए चलते थे, तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कार्यरत था।

2.2 साक्षरता दृश्यः—यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहां की साक्षरता दर 60. 77 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 42.36 प्रतिशत है। धौलपुर की साक्षरता दर सबसे अधिक 62.41 प्रतिशत है। व राजाखेड़ा की साक्षरता दर सबसे कम 58.61 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 67.48 है तथा ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 59.22 है।

शहरी व ग्रामीण साक्षरता दर

| ब्लॉक तहसील का नाम | कुल साक्षरता दर | | | ग्रामीण साक्षरता दर | | | शहरी साक्षरता दर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | M | F | T | M | F | T | M | F |
| बाड़ी | 58.77 | 73.36 | 40.58 | 56.87 | 72.55 | 36.84 | 64.17 | 75.76 | 50.69 |
| बसेड़ी | 61.87 | 77.41 | 42.82 | 61.87 | 67.41 | 42.82 | - | - | - |
| धौलपुर | 62.41 | 76.69 | 45.31 | 57.33 | 74.62 | 37.04 | 70.80 | 80.51 | 59.65 |
| राजाखेड़ा | 58.61 | 73.56 | 39.93 | 57.74 | 73.08 | 38.49 | 61.67 | 75.47 | 45.17 |
| योग | 60.77 | 75.85 | 42.36 | 59.22 | 75.29 | 39.37 | 67.48 | 78.35 | 54.87 |

स्रोत डी.एल.सी.ओ.धौलपुर 2001

## 2.3 शैक्षिक सुविधाऐं

जिले में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा का विवरण निम्नानुसार है ।

### 2.3.1 उच्च शिक्षा

जिले में कुल 138 विद्यालयों में से 80 राजकीय एवं 58 प्राईवेट विद्यालय उच्च शिक्षा हेतु है। जिसमें 95 माध्यमिक विद्यालय व 30 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 महाविद्यालय, 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है।

उच्च शिक्षा हेतु संस्थाओं का विवरण

| क्रं.स. | संस्थान | राजकीय | प्राईवेट | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | माध्यमिक विद्यालय | 51 | 44 | 95 |
| 2. | सीनियरमाध्यमिक विद्यालय | 19 | 11 | 30 |
| 3. | प्रवेशिक विद्यालय | 5 | . | 5 |
| 4. | उपाध्याय विद्यालय | 1 | . | 1 |
| 5. | महा विद्यालय | 1 | 2 | 3 |
| 6. | आई.टी.आई. | 2 | 1 | 3 |
| 7. | डाइट | 1 | . | . |
| 8. | बी.एड. कॉलेज | . | . | . |

### 2.3.2 प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जिले में प्राथमिक विद्यालय 606, राजीव गॉधी स्वर्ण जयंति पाठशाला 350, उच्च प्राथमिक 321, शिक्षाकर्मी विद्यालय 89, संस्कृत विद्यालयों 14 सहित कुल 1377 विद्यालय है। जिले में सर्वाधिक विद्यालय धौलपुर ब्लॉक में तथा सबसे कम बाड़ी ब्लॉक में है सर्वाधिक आर.जी.एस.जे.पी. बसेड़ी ब्लॉक में तथा सबसे कम राजाखेड़ा व धौलपुर ब्लॉक में से है इसी प्रकार शिक्षाकर्मी धौलपुर ब्लॉक में अधिक है तथा राजाखेड़ा ब्लॉक सबसे कम है। धौलपुर जिले में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 328 है।

प्रारंभिक शिक्षा

मार्च 03

| क्रं. स. | ब्लाक का नाम | प्राथमिक | | | राजीव गांधी पा. | उच्च प्राथमिक | | | शिक्षाकर्मी | | | संस्कृत | | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रा. | प्रा. | योग | | रा. | प्रा. | योग | प्रा. | उ. प्रा. | योग | प्रा. | उ. प्रा. | योग | प्रा. | उ. प्रा. |
| 1. | बाड़ी | 105 | 13 | 118 | 97 | 45 | 21 | 66 | 20 | . | 20 | 3 | 2 | 5 | 231 | 68 |
| 2. | बसेड़ी | 121 | 18 | 139 | 103 | 37 | 4 | 41 | 23 | 1 | 24 | 3 | . | 3 | 265 | 42 |
| 3. | धौलपुर | 174 | 34 | 208 | 82 | 71 | 72 | 143 | 28 | . | 28 | 1 | 2 | 3 | 317 | 145 |
| 4. | राजाखेड़ा | 124 | 17 | 141 | 83 | 52 | 19 | 71 | 17 | . | 17 | 3 | . | 3 | 241 | 71 |
| योग | | 524 | 82 | 606 | 365 | 205 | 116 | 321 | 88 | 01 | 89 | 10 | 4 | 14 | 1069 | 326 |

स्त्रोत डी.ई.ओ. (प्रारम्भिक) धौलपुर

2.4 नामांकन

2.4.1 जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तकजिले की कक्षा 1 से 8 तक का कुल नामांकन 206531 है। जिसमें बालकों का नामांकन 118008 व बालिकाओं का नामांकन 88523 है। जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन कमशः. 50072 व 12040 है।सारणी 2.4.1

जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक

| ब्लॉक का नाम | एस.सी. | | | एस.टी. | | | अन्य | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| बसेडे | 5652 | 3906 | 9558 | 3687 | 2803 | 6490 | 15956 | 12101 | 28057 | 25295 | 18810 | 44105 |
| बाडी | 6770 | 4384 | 11154 | 2330 | 1571 | 3901 | 13990 | 9427 | 23417 | 23090 | 15382 | 38472 |
| धौलपुर | 13577 | 7886 | 21463 | 982 | 667 | 1649 | 29002 | 25186 | 54188 | 43561 | 33739 | 77300 |
| राजाखेडा | 4444 | 3453 | 7897 | 0 | 0 | 0 | 21618 | 17139 | 38757 | 26062 | 20592 | 46654 |
| योग | 30443 | 19629 | 50072 | 6999 | 5041 | 12040 | 80566 | 63853 | 144419 | 118008 | 88523 | 206531 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

2.4.2 आयु के अनुसार नामांकनः– जिले में बालक बालिकाओं कुल नामांकन 206531 जिसमें बालक 118008 व बालिकाऐं 88523 है।जिसमें 0 से 6 वर्ष के 8206, 6 से 10वर्ष के 133538, 11 से 14 वर्ष के 62473, 14 वर्ष के उपर के 2314 है।

सारणी 2.4.2

जिले में आयुवार नामांकन

| आयु | जिले में आयुवार नामांकन | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 से 5 | | | 6 से 8 | | | योग | | |
| | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| 0 से 6 | 4468 | 3738 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 4468 | 3738 | 8206 |
| 6 से 10 | 72721 | 57441 | 130162 | 2287 | 1089 | 3376 | 75008 | 58530 | 133538 |
| 11 से 14 | 23789 | 17192 | 40981 | 14256 | 7236 | 21492 | 38045 | 24428 | 62473 |
| 14 से उपर | 6 | 27 | 33 | 481 | 1800 | 2281 | 487 | 1827 | 2314 |
| योग | 100984 | 78398 | 179382 | 17024 | 10125 | 27149 | 118008 | 88530 | 206531 |

स्रोत डी.ई.ओ. (प्रारम्भिक) धौलपुर, मार्च03

2.4.3 प्रबन्धन अनुसार नामांकन कक्षा 1 से आठवीं तक

धौलपुर जिले में राजकीय विद्यालय में 170395 छात्र , छात्राऐं है। जब कि निजी विद्यालयों में 36136 छात्र , छात्राऐं है । इस प्रकार कुल 206531 का नामांकन

प्रबन्धनवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक

| क्र. सं. | ब्लॉक का नाम | सरकारी विद्यालय | | | गैरसरकारी विद्यालय | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| 1 | बसेडी | 21570 | 17395 | 38965 | 3725 | 1415 | 5140 | 25295 | 18810 | 44105 |
| 2 | बाडी | 15987 | 12552 | 28539 | 7103 | 2830 | 9933 | 23090 | 15382 | 38472 |
| 3 | धौलपुर | 32460 | 26206 | 58666 | 11101 | 7533 | 18634 | 43561 | 33739 | 77300 |
| 4 | राजाखेडा | 24642 | 19583 | 44225 | 1420 | 1009 | 2429 | 26062 | 20592 | 46654 |
| | योग | 94659 | 75736 | 170395 | 23349 | 12787 | 36136 | 118008 | 88523 | 206531 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

.4.4 कक्षावार नामांकन

यदि हम कक्षा 1 से 8 तक के कक्षावार नामांकन को देखें तो कक्षा 1 में जो नामांकन होता है कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते यह संख्या बहुत कम हेा जाती है जो कि नीचे की सारणी से स्पष्ठ है जिले के 4 खण्डों में कक्षा एक में सर्वाधिक नामांकन धौलपुर ब्लॉक में है तथा सबसे कम नामंकन बाड़ी ब्लॉक में है। कक्षा 8 में सबसे अधिक छात्र धौलपुर ब्लॉक में है तथा सबसे कम बसेड़ी ब्लॉक में है। सर्वाधिक नामांकन धौलपुर ब्लॉक में है तथा सबसे कम बाड़ी ब्लॉक में है। कक्षा 1 से 8 तक में जाने की संख्या को देखें तो बसेड़ी ब्लॉक में सबसे कम तथा धौलपुर ब्लॉक में सबसे अधिक है।

कक्षावार नामांकन

| क्रसं. | ब्लाक | जिले मे कक्षावार नामांकन की स्थिति | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कक्षा 1 | कक्षा 2 | कक्षा 3 | कक्षा 4 | कक्षा 5 | कक्षा 6 | कक्षा 7 | कक्षा 8 |
| 1 | बसेडी | 13062 | 9427 | 7021 | 5721 | 4091 | 1847 | 1498 | 1438 |
| 2 | बाडी | 9980 | 9036 | 6332 | 5196 | 3400 | 1633 | 1515 | 1380 |
| 3 | धौलपुर | 17762 | 17831 | 14543 | 10478 | 7111 | 3867 | 2931 | 2777 |
| 4 | राजाखेडा | 12062 | 9551 | 7682 | 5610 | 3486 | 3496 | 3000 | 1767 |
| 5 | योग | 52866 | 45845 | 35578 | 27005 | 18088 | 10843 | 8944 | 7362 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

2.4.5 जिले में विभिन्न स्कूल वार नामांकनः–

जिले में कक्षा 1 से 5 तक नामांकन 179382 व कक्षा 6 सें 8 तक 27149 कुल नामांका 206531 है।जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 81046 उच्च प्राथमिक विद्यालोंमें 65976 राजीव गॉधी पाठशालाओं में 25682 तथा अन्य विद्यालयों में नामांकन 33827है।

जिले में विभिन्न स्कूल वार नामांकन

| स्कूल का प्रकार | कक्षा 1 से 5 | | | कक्षा 6 से 8 | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| प्रा.वि. | 44698 | 36348 | 81046 | 0 | 0 | 0 | 44698 | 36348 | 816 |
| उ.प्रा.वि. | 25450 | 21226 | 46676 | 13650 | 5650 | 19300 | 39100 | 26876 | 656 |
| रा.गॉ.पा. | 14309 | 11373 | 25682 | 0 | 0 | 0 | 14309 | 11373 | 252 |
| अन्य स्कूल | 16527 | 9451 | 25978 | 3374 | 4475 | 7849 | 19901 | 13926 | 337 |
| योग | 100984 | 78398 | 179382 | 17024 | 10125 | 27149 | 118008 | 88523 | 2031 |

स्त्रोत डी.ई.ओ. धौलपुर

2.5 अनामांकित बालकों की सूचना

जिले में 6 से 14 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं के नामांकन की स्थिति सारणी में दर्शाई गई है । इसमें 6 11 आयु वर्ग के बालकों की कुल संख्या 137788 है । जिसमें 4759 बालक/बालिकाऐं अनामांकित है । इसी प्रकार 11 से 14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की कुल संख्या 50894 है । जिसमें से 3679 बालक बालिका अनामांकित है ।

2.5.1 शिक्षा दर्पण 2000 से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में 6 से 11 आयु वर्ग के शिक्षा सें वंचित बालक– बालिकाओं की संख्या 4759 तथा 11 से 14आयु वर्ग के शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या 3679 है

शिक्षा–दर्पण 2000 सें प्राप्त सूचना का विवरण जिले में शिक्षा सें वंचित बच्चे:–

| क्र. सं | ब्लक का नाम | 6 से 11 आयुवर्ग बच्चों की संक्ष्या | | | 11–14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या | | | 6–11 आयुवर्ग के शिखा सें वंचित बच्चों की संख्या | | | 11–14 आयुवर्ग के शिक्षा सें वंचित बच्चों की संख्या | | | 6–11 आयुवर्ग के शिक्षा सें वंचित बच्चों की संख्या | | | 11–14 आयुवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| 1 | [illegible] | 19292 | 15534 | 34126 | 3887 | 1804 | 5691 | 100 | 397 | 497 | 33 | 122 | 155 | 0.52 | 2.56 | 1.43 | 0.85 | 6.76 | 2.72 |
| 2 | [illegible] | 13041 | 9806 | 22847 | 6187 | 3642 | 9829 | 682 | 1049 | 1731 | 406 | 828 | 1234 | 5.23 | 10.70 | 7.58 | 6.56 | 22.73 | 12.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | धौलपुर | 29194 | 18842 | 48036 | 12527 | 8289 | 2081 6 | 413 | 582 | 995 | 293 | 343 | 636 | 1.41 | 3.09 | 2.07 | 2.34 | 4.14 | 3.06 |
| 4 | राजाखेड़ा | 17560 | 13819 | 31379 | 8622 | 5936 | 14558 | 581 | 955 | 1536 | 567 | 1087 | 1654 | 3.31 | 6.91 | 4.89 | 6.58 | 18.31 | 11.36 |
| 5 | योग | 79087 | 58001 | 137088 | 31223 | 19671 | 50894 | 1776 | 2983 | 4759 | 1299 | 2380 | 3679 | 10.5 | 23.25 | 15.97 | 16.33 | 51.95 | 29.7 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

### 2.5.2 शुद्ध नामांकन की स्थिति

6–14 आयु वर्ग में शुद्ध नामांकन को देखें तो जिले में इस आयु वर्ग का 206531 शुद्ध नामांकन है। जिनमें 118008 बालकों तथा 88523 बालिकाओं का है। सबसे अधिक शुद्ध नामांकन धौलपुर ब्लॉक में तथा सबसे कम बाड़ी ब्लॉक में है। सबसे अधिक बालकों का शुद्ध नामांकन धौलपुर ब्लॉक में बालकों का सबसे कम बाड़ी ब्लॉक में है। बालिकाओं का सर्वाधिक शुद्ध नामांकन धौलपुर ब्लॉक में तथा सबसे कम बाड़ी ब्लॉक में है।

| क.सं. | ब्लॉक का नाम | नामांकन | | | छण्म्ण्त् |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | बालिका | योग | |
| 1. | बसेड़ी | 25295 | 18810 | 44105 | 91ण्86 |
| 2. | बाड़ी | 23090 | 15382 | 38472 | 84ण्93 |
| 3. | धौलपुर | 43561 | 33739 | 77300 | 89ण्07 |
| 4. | राजाखेड़ा | 26062 | 20592 | 46654 | 98ण्46 |
| 5. | योग | 118008 | 88523 | 206531 | 91ण्02 |

2.6 सकल नामांकन अनुपात :—

जिले में कुल सकल नामांकन 109.86 हैजिसमें सबसे अधिक सकल नामांकन 117. 74 बाडी ब्लाक में है।सबसे कम 101.56 राजाखेडा ब्लाक में है।

जिलें में सकल नामांकन ब्लाक वार स्थिति:—

| क. सं. | ब्लाक का नाम | जनसंख्या | | | नामांकन | | | सकल नामांकन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | G | T | B | G | T | B | G | T |
| 1 | बसेडी | 23179 | 17338 | 40517 | 25295 | 18810 | 44105 | 109.13 | 108.49 | 108.85 |
| 2 | बाडी | 19228 | 13448 | 32676 | 23090 | 15382 | 38472 | 120.09 | 114.38 | 117.74 |
| 3 | धौलपुर | 41721 | 27131 | 68852 | 43561 | 33739 | 77300 | 104.41 | 124.36 | 112.27 |
| 4 | राजाखेडा | 26182 | 19755 | 45937 | 26062 | 20592 | 46654 | 99.54 | 104.24 | 101.56 |
| 5 | योग | 110310 | 77714 | 187982 | 118008 | 88523 | 206531 | 106.98 | 113.91 | 109.86 |

2.7 ठहराव दर (कक्षा एक से आठ तक):–

ठहराव दर देखने पर हमें पता चलता है कि जिले में ठहराव दर बालकों की 34.27 बालिकओं की 30.73 तथा कुल ठहराव दर 32.97 है। सबसे अधिक ठहराव बाड़ी ब्लॉक में तथा सबसे कम राजाखेड़ा ब्लॉक मे है।

ठहराव दर (ब्लाक वार स्थिति)

| क्र सं. | ब्लाक | नामांकन 1992–93 | | | नामांकन कक्षा 8 2002–03 | | | ठहराव दर प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ठ | ळ | ज | ठ | ळ | ज | ठ | ळ | ज |
| 1 | बसेडी | 3365 | 1558 | 4923 | 1007 | 431 | 1438 | 29ण्92 | 27ण्66 | 29ण्20 |
| 2 | बाडी | 1258 | 736 | 1994 | 997 | 383 | 1380 | 79ण्25 | 52ण्03 | 69ण्20 |
| 3 | धौलपुर | 4781 | 2666 | 7447 | 1690 | 1087 | 2777 | 35ण्34 | 40ण्77 | 37ण्29 |
| 4 | राजाखेडा | 4737 | 3225 | 7962 | 1153 | 614 | 1767 | 24ण्34 | 19ण्03 | 22ण्19 |
| 5 | योग | 14141 | 8185 | 22326 | 4847 | 2515 | 7362 | 34ण्27 | 30ण्72 | 32ण्97 |

स्त्रोत डी.ई.ओ. धौलपुर

2.६ अध्यापको का विवरण

2.६1 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता:–

जिले में प्राथमिक,उच्च प्राथमिक ,राजीव गॉधी,शिक्षा कर्मी व संस्कृत विद्यालयों में कुल अध्यापक 3463 कार्यरत है जिसमें 2923 पुरूष अध्यापक व 540 महिला अध्यापक

कारत है सबसे अधिक अध्यापक 1209 धौलपुर व सबसे कम 701 राजाखेडा में कार्यरत है।

| क्र.सं. | ब्लॉव का नाम | प्रा.वि. | | | रा.गा.स्व.ज. पाठ. | | | उ.प्रा.वि. | | | शिक्षाकर्मी व अन्य | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
| 1 | बसेर्ड | 307 | 18 | 325 | 108 | 20 | 128 | 266 | 49 | 315 | 67 | 8 | 75 | 748 | 95 | 84 |
| 2 | बाडी | 220 | 31 | 251 | 78 | 21 | 99 | 229 | 33 | 262 | 72 | 26 | 98 | 599 | 111 | 71 |
| 3 | धौलप्र | 465 | 80 | 545 | 92 | 22 | 114 | 322 | 108 | 430 | 95 | 25 | 120 | 974 | 235 | 12 |
| 4 | राजाव्रेडा | 227 | 29 | 256 | 93 | 2 | 95 | 241 | 64 | 305 | 41 | 4 | 45 | 602 | 99 | 70 |
| 5 | योग | 1219 | 158 | 1377 | 371 | 65 | 436 | 1058 | 254 | 1312 | 275 | 63 | 338 | 2923 | 540 | 34 |

स्त्रोत डी.ई.ओ. धौलपुर

2.8.2 अध्यापकों का जातिवार विवरण :–

धौलपुर जिलें में कुल अध्यापक 3463 कार्यरत है जिसमें अनुसूचित जाति 599 अध्यापक, अनुसूचित जनजाति के 154 अध्यापक व अन्य 2710 अध्यापक कार्यरत है

| क्र. सं. | ब्लॉक का नम | एस.सी. | | | एस.टी. | | | अन्य | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
| 1 | बसेडी | 118 | 14 | 132 | 62 | 8 | 70 | 568 | 73 | 641 | 748 | 95 | 843 |
| 2 | बाडी | 123 | 8 | 131 | 66 | 9 | 75 | 410 | 94 | 504 | 599 | 111 | 710 |
| 3 | धौलपु | 227 | 49 | 276 | 8 | 1 | 9 | 739 | 185 | 924 | 974 | 235 | 1209 |
| 4 | राजाखडा | 56 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 546 | 95 | 641 | 602 | 99 | 701 |
| योग | | 524 | 75 | 599 | 136 | 18 | 154 | 2263 | 447 | 2710 | 2923 | 540 | 3463 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

2.8.3 जिले में अध्यापक वार विद्यालयों की स्थितिः–

जिले में एक अध्यापक वाले विद्यालय 359 ,दो अध्यापक वाले 428, तीन अध्यापक वाले 140,चार अध्यापक वाले 95,पॉच अध्यापक वाले 60 विद्यालय है

| स्कूल | 1अध्यापक | 2 अध्यापक | 3 अध्यापक | 4 अध्यापक | 5 अध्यापक | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्र.वि. | 73 | 283 | 98 | 37 | 20 | 13 | 524 |
| उ.प्रा.वि. | 3 | 11 | 16 | 52 | 37 | 86 | 205 |
| रा.गॉ.पा. | 274 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| अन्य | 14 | 54 | 25 | 6 | 3 | 1 | 103 |
| योग | 359 | 428 | 140 | 95 | 60 | 100 | 1182 |

स्त्रोत डी.ई.ओ.धौलपुर

2.8.4 योग्यता अनुसार अध्यापकों का विवरणः–

जिले में अप्रशिक्षित अध्यापक प्रा.53,उ.प्रा.73,रा.गा.पा.160,कुल 286कार्यरत है इसी प्रकार एस.टी.सी.अध्यापक प्रा. 609,.प्रा.762,रा.गा.पा.107, कुल 1478 तथा बी.एड. प्रा.708,उ. प्रा.45,रा.गा.पा.161 कुल 1320 एवं एम.एड प्रा.7,उ.प्रा.26,रा.गा.पा.8,कुल 41 अध्यापक कार्यरत है

| स्कूतकाप्रकार | योग्यता | मा.से कम | मा.वि. | उ.मा. | स्नातक | स्नात्तकोत्तर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक | अप्रशिक्षित | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 53 |
| विद्यालय | एस.टी.सी. | 0 | 6 | 428 | 142 | 33 | 609 |
| | बी.एड. | 0 | 0 | 0 | 472 | 236 | 708 |
| | एम.एड | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | योग | 0 | 28 | 459 | 614 | 276 | 1377 |
| उच्च | अप्रशिक्षित | 2 | 7 | 57 | 7 | 0 | 73 |
| प्राथमिक | एस.टी.सी. | 0 | 3 | 384 | 282 | 93 | 762 |
| | बी.एड. | 0 | 0 | 0 | 327 | 124 | 451 |
| | एम.एड | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| | योग | 2 | 10 | 441 | 618 | 241 | 1312 |
| राजीव गॉधी | अप्रशिक्षित | 0 | 15 | 121 | 24 | 0 | 160 |
| पाठशला | एस.टी.सी. | 0 | 0 | 52 | 25 | 30 | 107 |
| | बी.एड. | 0 | 0 | 0 | 132 | 29 | 161 |
| | एम.एड | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | योग | 0 | 15 | 173 | 189 | 59 | 436 |
| कुल यग | | 2 | 53 | 1073 | 1421 | 576 | 3125 |

स्त्रोत– डी.ई.ओ. धौलपुर

28.5 रिक्त पदों की सूचना :– जिले में कुल अध्यापकों के स्वीकृत पद 3514 हैं। जिसके विरूद्ध 3125 अध्यापक कार्य कर रहे हैं जबकि 389 पद रिक्त हैं। प्रबन्धनवार रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :–

| विद्यालय | स्वीकृत पद अध्यापक | कार्यरत अध्यापक | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय | 1529 | 1377 | 152 |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 1549 | 1312 | 237 |
| राजीव गांधी | 436 | 436 | 0 |
| योग | 3514 | 3125 | 389 |

2.। छात्र शिक्षक अनुपातः–

जिले में कुल छात्र–शिक्षक अनुपात 1 : 57 है जबकि ब्लॉक वार दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि प्राथमिक में राजाखेड़ा ब्लॉक में सर्वाधिक है। उच्च प्राथमिक में बाड़ी ब्लॉक में सर्वाधिक तथा राजीव गांधी में राजाखेड़ा ब्लॉक में सर्वाधिक टी.पी.आर. है।

| क्र. सं. | ब्लॉक | प्रा.वि | | | उ.प्रा.वि. | | | रा.गा.पा. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नामांकन | कार्यरत शिक्षक | टी.पी.आर. | नामांकन | कार्यरत शिक्षक | टी.पी.आर. | नामांकन | कार्यरत शिक्षक | टी.पी.आर. |
| 1 | बसेड़ी | 20872 | 325 | 64.22 | 15460 | 315 | 49.08 | 6327 | 128 | 49.43 |
| 2 | बाड़ी | 12596 | 251 | 50.18 | 14989 | 262 | 57.21 | 5765 | 99 | 58.23 |
| 3 | धौलपुर | 31069 | 545 | 57.00 | 24846 | 430 | 57.78 | 6650 | 114 | 58.33 |
| 4 | राजाखेड़ा | 16664 | 256 | 65.01 | 16997 | 305 | 55.73 | 6940 | 95 | 73.05 |
| योग | | 81201 | 1377 | 58.97 | 72292 | 1312 | 55.10 | 25682 | 436 | 58.90 |

स्त्रोतः– डी.ई.ओ. धौलपुर

## 2.10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करने हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंसाओं के आधार पर केन्द्र परिवर्तित योजनान्तर्गत राज्य के 32 जिलों में से 30 जिलों में डाइट की स्थापना की गई हैं। इसी के प्रथम चरण में 1991–92 में डाइट धौलपुर खुली।

यह अपने प्रभावों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों में गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जिसके प्रमुख माध्यम प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं प्रदर्शन संगोष्ठियॉ आदि हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं। साथ ही मूल्यांकन तकनीक प्रश्नपत्र निर्माण शिक्षा के सार्वजनीनकरण शाला संगम, विद्यालयी योजना निर्माण शाला मानचित्रण एवं स्थानीय परिवेशगत सामग्री निर्माण से संबंधित शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। यह शिविर 5 अथवा 3 दिवसीय होते हैं। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा संबंधित कार्यक्रम किया जाता है।

### 2.10.1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) धौलपुर

शैक्षिक प्रक्रिया को बोध स्तर तक प्रभावी बनाने की तकनीक ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, जिसके अनतर्गत शिक्षक द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सभी क्रियाएं एवं प्रयोग में लीजाने वाली सभी विधियां एवं साधन सम्मिलित हैं। इनको प्रभावशाली बनाने में दृश्य–श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण अधिगम एवं सम्प्रेषण को प्रभावशाली बनाने तथा शिक्षकों को इस कार्य हेतु प्रेरित करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठी, प्रसार, प्रकाशन एवं अनुसंधान आदि कार्यक्रम आयोजित करता है।

### 2.10.2 शैक्षिक प्रोद्योगिकी प्रभाग के क्रियाकलाप

1. स्थानीय परिवेशगत परिस्थितियों के अनुरूप अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करना।

2. चार्ट, पोस्टर, स्लाइड्स एवं ओ.एच.पी. ट्रान्सपेरेन्सी (पारदर्शिका) तैयार करना।

3. त्रि–आयामी सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यगोष्ठी आयोजित करना।

4. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को "शैक्षिक प्रोद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग" संबधी प्रशिक्षण देना।

5. कक्षा–कक्ष में शिक्षण अधिगम को प्रभावी एवं उपयोगी बनानेहेतु विषय वसतुत केन्द्रित प्रशिक्षण एवं अभिनवन कार्यक्रम।

6. आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम हेतु विभिन्न विषयों के ऑडियो पाठ आलेखन एवं ध्वन्यांकन कराना एवं चयनित आदर्श पाठों के वीडियो कैसेट्स निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

7. शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगानी तथा जिले की सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग हेतु उस सामग्री का आदान प्रदान करना।

8. विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

9. विद्यालय स्तरीय पर्यावरण विज्ञान बाल मेले का आयोजन कराना।

10. शैक्षिक प्रोद्योगिकी प्रभाग द्वारा "प्रार्थना सभा कार्यक्रम" का ऑडियो कैसेट तेयार कर जिले के विद्यालयों में वितरित कर प्रार्थना सभा में हुए सुधार का अध्ययन करना।

11. प्रभाग के पास उपलब्ध सभी दृश्य–श्रव्य उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करना एवं दृश्य–श्रव्य उपकरणों के अनुरूप कक्ष को सुसज्जित करना।जिले के सभी सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण देना।

2.10.3 सत्र 1999–2000 की उपलब्धियां

1. शिक्षा प्रसार अधिकारियों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण'' आयोजित किया गया।
2. ''शैक्षिक प्रौद्योगिकी सन्र्दभ व्यक्ति प्रशिक्षण'' दिया गया।
3. न्यून परीक्षा परिणाम वाले विषयाध्यापकों के लिए अभिनवन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2.11 राजकीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति

विद्यालयों की भौतिक स्थिति को देखने पर जिले में 204 भवन रहित विद्यालय, 613 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 485 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है 982 विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है लेकिन डीपीईपी. योजनान्तर्गत 811 शौचालय निर्माण, 248 पीने के पानी की, 102 भवन रहित विद्यालय, 240 अतिरिक्त कक्षाकक्ष के निर्माण किया जाना प्राथमिक विद्यालयों में प्रस्तावित है।

| Infra stucture Facilities | Primary School | | Upper Primary school | | RGSJP | | P.S..& U.P.S. of Sanskrit | | SKS | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.Of School | 524 | | 205 | | 365 | | 14 | | 89 | | 1197 | |
| | | Withoutfacilities | With facilities | Withoutfacilities | With facilities | Withoutfacilities | With facilities | Withoutfacilities | With facilities | Withoutfacilities | With Facilities | Withoutfacilities |
| School Building | 507 | 17 | 204 | 01 | 188 | 177 | 13 | 01 | 81 | 08 | 993 | 204 |
| Toilets | 96 | 428 | 78 | 127 | 01 | 365 | 00 | 14 | 25 | 64 | 200 | 99[illegible] |
| Water facilities | 373 | 151 | 176 | 29 | 97 | 268 | 09 | 05 | 57 | 32 | 712 | 48[illegible] |
| Ramps | 163 | 361 | 48 | 157 | 32 | 333 | 05 | 09 | 17 | 72 | 265 | 93[illegible] |

## 2.12 प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढ़ांचा

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक दायित्व जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन जिले स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) होता है। जिसको पूर्व में पद नाम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) था।

जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासनिक दायित्व का सीधा–सीधा कार्यभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का है। जिले में कार्यरत समस्त अध्यापकों राजीव गांधी पाठशालाओं के शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों के चयन, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदि के कार्य भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के माध्यम से ही सम्पन्न किये जाते है।

जिले की समस्त राजकीय व मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख–रेख का कार्य, नामांकन, ठहराव, शिक्षा में गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने का कार्य भी किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि. के अधीन कार्यालय में शैक्षिक व प्रशासनिक सम्बलन हेतु अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी होता है। इसके अधीन अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व मन्त्रालयिक स्टॉफ होता है।

ब्लॉक की समस्त प्रकार की विद्यालयों की देखरेख निरीक्षण सम्बलन आदि का दायित्व ठम्ब् का होता है। ब्लॉक में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता आदि का कार्य भी ठम्ब् द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक विद्यालय की उचित व समय पर प्रशासनिक व शैक्षिक सम्बलन प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उ.प्रा.वि. को नॉडल केन्द्र बनाया गया है। जिससे सूचनाओं का सम्प्रेषण, संकलन एवं पर्यवेक्षण आदि का कार्य सुचारु रुप से संचालित होता रहता है।

## 2.13 अन्य योजनायें

जिले में शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :–

### 2.13.1 राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम

कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु प्राथमिक शिक्षाको सम्बल प्रदानकरने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के कियान्वयन की घोषणा की गई जिसमें उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन वृद्धि करना विद्यार्थियों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना तथा बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम गेहूं की घूघरी का वितरणविद्यालय में ही तैयार करवा कर बच्चों को विश्राम समय में वितरित करना है। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है। शाला स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, महिला वार्ड पंच, प्रधानाध्यापक, अभिभावक 2 , ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव की एक समिति का गठन किया गया है।

### 2.13.2 साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

निरक्षरता रूपी अभिशाप को मिटाने के उद्देश्य से राज्य के दूरस्थ अंचल में बसे हुए निरक्षर ग्रामीणों को साक्षर एवं जागरूक करेन के लिए साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लक्षित उद्देश्यों के अन्तर्गत राज्य में भी वर्ष 1988 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्ष 1990–91 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशा निर्देशानुसार 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को संपूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा जीवनोपयोगी साक्षरता कौशल प्रदान करने हेतु साक्षरता संबंधी आवश्यक गंतिविधियां संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग के चिन्हित निरक्षरों का व्यवहारिक स्तर की शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से साक्षरता के अपेक्षित स्तर प्रदान करने के साथ–साथ उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित जनचेतना केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, महिला समानता, छोटे परिवारों के लाभ आदि के बारे में पूर्ण

ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के सहभागिता सुनिश्चित करते हुए साक्षरता अभियान कोजन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

### 2.13.3 संपूर्ण साक्षरता अभियान

साक्षरता कार्यक्रम एक समयबद्ध स्वैच्छिकता एवं समर्पण के सिद्धान्त पर आधारित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाता है। प्रथम चरण (संपूर्ण साक्षरता) के अन्तर्गत क्षेत्र में सर्वे के उपरान्त पाये गये निरक्षरों में से 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों का नामांकन किया जा कर लगभग 200 घन्टे के समय में तीन तीन प्रवेशिकाओं ;पुस्तकोंद्ध के माध्यम से, जो कि प्रायः स्थानीय भाषा में लिखी होती है, आधारभूत साक्षरता का अपेक्षित ज्ञान कराया जाता है। दूसरे चरण में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता के स्तर को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अनतर्गत नव साक्षरों को अपना साक्षरता कौशल बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने का अवसर मिलता है। इसके साथही जो लोग सपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में नामांकित नहीं हो सके या बीच में ही साक्षरता कार्यक्रम से अलग हो गये, उन्हें मेपिंगअप कार्यक्रम द्वारा साक्षरता कार्यक्रम से पुनः जोड़ा जाता है। तीसरे चरण में सतत् शिक्षा का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत नवसाक्षरों को निरंतर पढ़ने के अवसर प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। सतत् शिक्षा कार्यक्रम नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों/सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है।

जिले का साक्षरता दर

| | |
|---|---|
| साक्षरता दर | 60.77 प्रतिशत |
| पुरूष साक्षरता | 75.82 प्रतिशत |
| महिला साक्षरता | 42.36 प्रतिशत |

# अध्याय 3

## नियोजन प्रकिया

### 3.1 भूमिका :–

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनीकरण का पहला राष्ट्रीय अभियान है। यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्तर की योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार की गयी है। इसमें प्रत्येक स्तर पर जिले की सहभागिता प्राप्त की गयी है । जिले की योजना तैयार करने हेतु जिला कलेक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम , धौलपुर के अधिकारियों की एक कोर टीम गठित की गई ।

### 3.2 योजना समिति का गठन :–

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर दिनांक 14.01.2002 को जिला प्रमुख ,धौलपुर की अध्यक्षता में डीपीईपी. कार्यालय धौलपुर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों , जन प्रतिनिधियों तथा समाज–सेवा से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में जिला परियोाजना समन्वयक , डीपीईपी. धौलपुर द्वारा सदन को सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए इसके सफल नियोजन हेतु जिला स्तर , ब्लॉक स्तर एवं विद्यालय स्तर पर योजना समितियों का गठन करने हेतु निवेदन किया । इस पर सदन ने सर्व सम्मति से सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार योजना समितियों का गठन करने की अनुमति प्रदान की ।

### 3.2.1 जिला स्तरीय योजना समिति

1. जिला प्रमुख , जिला परिषद् धौलपुर — अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 2. | सांसद, बयाना | सदस्य |
| 3. | समस्त विधायक गण, जिला धौलपुर | सदस्य |
| 4. | जिला कलेक्टर,, धौलपुर | सदस्य |
| 5. | अतिरिक्त जिला कलेक्टर ;विकास धौलपुर | सदस्य |
| 6. | समस्त उपखण्ड अधिकारी , जिला धौलपुर | सदस्य |
| 7. | जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , धौलपुर । | सदस्य |
| 8. | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,धौलपुर | सदस्य |
| 9. | उप निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , धौलपुर । | सदस्य |
| 10. | अधिशाषी अभियन्ता , सा.नि.वि. , धौलपुर । | सदस्य |
| 11. | अधिशाषी अभियन्ता , ज.स्वा.अभि.वि. धौलपुर । | सदस्य |
| 12. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी , धौलपुर । | सदस्य |
| 13. | जिला समाज कल्याण अधिकारी , धौलपुर । | सदस्य |
| 14. | सचिव , जिला साक्षरता समिति , धौलपुर । | सदस्य |
| 15. | शिक्षक संगठनों के सदस्य (2 सदस्य) | सदस्य |
| 16. | समाज सेवी एवं प्रगतिशील महिलाएं । (2 सदस्य) | सदस्य |
| 17. | दो सेवा निवृत शिक्षक । | सदस्य |

18. जिला परियोजना समन्यवक, डी.पी.ई.पी. धौलपुर । सदस्य सचिव

3.2.2 ब्लॉक स्तरीय योजना समिति :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. प्रधान पंचायत समिति | – | अध्यक्ष |
| 2. क्षैत्रीय विधायक | – | सदस्य |
| 3. विकास अधिकारी | – | सदस्य |
| 4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी | – | सदस्य |
| 5. शिक्षा प्रसार अधिकारी | – | सदस्य |
| 6. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी | – | सदस्य |
| 7. प्राचार्य,रा.सी.उ.मा.वि. (ब्लॉक मुख्यालय) | – | सदस्य |
| 8. चिकित्सा अधिकारी (ब्लॉक मुख्यालय) | – | सदस्य |
| 9. दो उत्साही एवं प्रगतिशील सरपंच | – | सदस्य |
| 10.शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो) | – | सदस्य |
| 11.समाज सेवी महिलाएं (दो) | – | सदस्य |
| 12.सेवा निवृत अध्यापक (दो) | – | सदस्य |
| 13.ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी. | – | सदस्य सचिव |

3.2.3 विद्यालय स्तरीय योजना समिति :–

1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच – अध्यक्ष

(अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो )

2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी – सदस्य

3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी – सदस्य

4. ग्राम सेवक – सदस्य

5. पटवारी – सदस्य

6. ए.एन.एम./ महिला शिक्षक – सदस्य

7. दो महिला अभिभावक – सदस्य

8. दो पुरूष अभिभावक – सदस्य

9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से)– सदस्य

10. शाला के दो अध्यापक – सदस्य

11. शाला प्रधान – सदस्य सचिव

3.2.4 जिला कोर ग्रुप का गठन –जिला नियोजन समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप का गठन निम्नानुसार अनुमोदित किया गया –

1. जिला कलेक्टर , धौलपुर – अध्यक्ष

2. जिला परियोजना समन्वयक ,डीपीईपी. ,धौलपुर – सदस्य सचिव

3. सहायक अभियन्ता डीपीईपी. , धौलपुर — सदस्य

4. सहायक परियोजना समन्वयक ,डीपीईपी., धौलपुर — सदस्य

5. सहायक लेखाधिकारी डीपीईपी. , धौलपुर — सदस्य

6. कम्प्यूटर प्रभारी , डीपीईपी. , धौलपुर — सदस्य

जिला नियोजन समिति द्वारा जिला कोर ग्रुप को ब्लॉक स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में बैठके आयोजित कर शिक्षा से जुड़े स्थानीय मुद्दे एवं समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिला नियोजन समिति के निर्देशानुसार जिला कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया एवं इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाकर अभियान से संबंधित शिक्षा के क्षैत्र में स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई । सारणी में 3.1 में विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों का विवरण प्रस्तुत है ।सारणी 3.1

| क्र.सं. | नाम समिति | बैंठक की निश्चित दिनांक/दिन | कुल संख्या आयोजित बैठक | कुल सदस्य संख्या | उपस्थित सदस्य संख्या (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला स्तरीय | 14.11.2001 | 1 | 50 | 35 |
| 2 | ब्लॉक स्तरीय | 20.11.2001 | 4 | 800 | 105 |
| 3 | ग्राम पंयाचत स्तरीय | 25.12.2001 | 153 | 2250 | 1828 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | संकुल स्तरीय | 27.01.2002 | 55 | 3425 | 2520 |
| 5 | ग्राम स्तरीय | 04.04.2002 | 978 | 9058 | 8425 |
| 6 | नगरपालिका क्षैत्र में वार्ड स्तरीय | 15.04.2002 | 80 | 2340 | 2058 |

3.3 शिक्षा आपके द्वार :–

शिक्षा दर्पण 2000 के आंकडों को ताजा स्थिति के अनुसार समेकित करवानें तथा विभिन्न वर्गो के अनामांकित छात्र /छात्राओं के विद्यालयों से नही जुड़ने के कारणों की विस्तृत जानकारी " शिक्षा आपके द्वार 2001" के तहत इकट्ठी की गई । साथ ही साथ स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप अनामांकित छात्र /छात्राओं को नामांकित करने के उपायों पर विचार किया गया । इसी अनुसार जिला धौलपुर में दिसंबर 2001 को जिले में अनामांकित छात्रों को नामांकित करने के लिए मार्च 2002 से सघन अभियान चलाया गया । सारणी सं. 3.2 में जिले में सर्वेक्षण के समय अनामांकित छात्रों एवं अगस्त 2002 तक उनमें से नामांकित किए गए छात्रों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत है ।

3.4 प्रशासन शहर / गॉवों के संग अभियान :–

राज्य सरकार द्वारा जिले में प्रशासन गॉवों / शहरों के संग के अन्तर्गत एक सधन अभियान की शुरूआत की गई । इस अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में सम्पूर्ण प्रशासन एक दिन के लिए एकत्रित होता है तथा उस स्थान विशेष से संबंधित विभिन्न विभागों की समस्त समस्याओं का यथा संभव मौके पर ही निस्तारण किया जाता है । इसी अनुरूप इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर हुई बैठकों में शिक्षा से संबंधित भी अनेक मुददों यथा नामांकन , ठहराव , गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण , शालाओं में आधार भूत सुविधाओं की स्थिति एवं मांग तथा शिक्षकों के क्रिया–कलापों पर

विस्तृत चर्चा करने से शिक्षा के क्षैत्र की अनेक जानकारियां प्राप्त हुई । इन सभी विषयों को सर्व शिक्षा अभियान के नियेाजन हेतु दृष्टिगत रखा गया है ।

3.5 धौलपुर जिले के सामाजिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण (1998) से प्राप्त जानकारी :–

सन् 2001 में किए गए धौलपुर जिले के सामाजिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण से समाज के वंचित वर्गो के पिछडे पन से संबधित निम्न जानकारीया प्राप्त हुई है :–

- अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति ही उनके बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का मुख्य कारण है । ऐसी स्थिति में बच्चों को शाला में भेजने के बजाय इनके माता पिता इन्हें मजदूरी के लिए भेजना अधिक महत्व देते है।

- समाज की घुम्मकड. जातियॉ जैसे मीणा ,गुर्जर इत्यादि अपने गुजर बसर एवं पशु धन को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है । हालांकि वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहती है । लेकिन ऐसी स्थिति में यह कार्य संभव नहीं हो पाता है ।

- समाज के अल्प संख्यक समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें अल्प आयु में ही अपने पुश्तैनी कार्य यथा – खनन , मिस्त्री , पत्थर काटने की मशीनों इत्यादि में लगाना पसन्द करते है ।

- मुस्लिम समुदाय के साथ खास बात यह है की वे अपनी बच्चियों को पढ़ाने के बजाय गृहकार्य , पुश्तैनी कार्य मे सहयोग करवाना पसन्द करते है । साथ ही बच्चियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ भी मानते है । इनके लिए विशेष प्रकार के सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों की आवश्यकता है । सर्व शिक्षा अभियान में इसके लिए पृथक से प्रावधान रखा गया है ।

- शाला भवनों की दयनीय स्थिति भी कम नामांकन के लिए उत्तरदायी है । जिले में अभी भी कई विद्यालय ऐसे है , जिनमें निर्माण के 20–20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी सफेदी तक दुबारा नही हुई है । उनके फर्श , छत , जर्जर दीवारें , टुटे हुए दरवाजे भी अभिभावकों को अपने नैनिहालों को शाला में प्रवेश दिलाने से रोकती है ।

## 3.6 जिले के बेस लाईन सर्वेक्षण 1998 से प्राप्त स्थिति

धौलपुर जिले में सन् 1998 में कराए गए आधार भूत सर्वेक्षण (बेस लाईन सर्वे) के आधार पर शिक्षा से जुड़े अनेक बिन्दुओं संबंधी प्राप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

3.6.1 जिले के मात्र 5 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय /मूत्रालय की सुविधा है तथा छात्राओं के लिए पृथक से ऐसी व्यवस्था और भी कम है । इनका विवरण निम्नानुसार है :–

| | |
|---|---|
| (1) घंटी | – 60 % |
| (2) छात्रों के लिए दरी पट्टिया | – 70% |
| (3) शिक्षकों के लिए कुर्सियां | – 20% |
| (4) शिक्षकों के लिए मेज | – 15% |
| (5) सूचना पट्ट /ब्लेक बोर्ड | – 50% |
| (6) पेयजल की उपलब्धता | – 85% |
| (7) कचरा पात्र | – 35% |

(8) छात्राओं के लिए प्रथक से शौचालय – 03%

(9) शालाओं में बिजली कनेक्शन – 05%

(10) छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण – 80%

(11) टीकाकरण – 25%

(12) प्राथमिक चिकित्सा के साधन – 5%

3.6.2 खेल संबंधी सुविधाएं :–

(1) धौलपुर जिले के विद्यालयों में खेल मैदान की उपलब्धता – 25%

(2) शाला परिसर में उपलब्ध खेल मैदान – 10%

(3) खेल उपकरण – 06% से कम

(4) वाद्य यंत्र – 15%

3.6.3 शिक्षण सामग्री की उपलब्धता :–

(1) शिक्षण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता जिले में अत्यन्त कम है ।

(2) छात्रों की वर्क बुक्स की स्थिति भी कमजोर एवं काम में लेने योग्य नहीं है ।

(3) शिक्षक डायरी भी कई विद्यालयों में संधारित नहीं की जाती है ।

(4) शिक्षक हैडंबुक में दी गई गतिविधियां भी सुरूचिपूर्ण नहीं है तथा व्यवहारिक भी नहीं है ।

(5) सामुदायिक सहभागिता का पर्याप्त अभाव पाया गया ।

(6) ज्यादातर महिला शिक्षक शहरी क्षैत्रों में कार्यरत है ।

3.6.4 शहरी क्षैत्रों में कार्यरत केवल 10% शिक्षकों के पास ही फ्लैश कार्ड , शिक्षक मार्ग दर्शिका एवं शब्द कोष उपलब्ध है, ग्रामीण क्षैत्रों में तो यह संख्या 5: ही पायी गई है ।

3.6.5 जिले में शहरी क्षैत्रों के 70% शिक्षक एवं ग्रामीण क्षैत्र के 65% शिक्षकों को गत तीन वर्षो से किसी भी प्रकार सेवारत अभिनवन प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ।

3.6.6छात्रों की शाला में निरन्तर अनुपस्थिति अथवा अनियमित उपस्थिति के निम्न कारण पाए गए है ।

(1) कक्षा कक्ष के अन्दरूनी वातावरण का आनंदमय होने के स्थान पर शिक्षकों से आतंकित होना ।

(2) शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से गृह कार्य की जांच नहीं करना ।

(3) अधिकतर अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के गृहकार्य एवं स्वाध्याय में किसी प्रकार की मदद नहीं करना ।

(4) कमजोर छात्रों पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं देना ।

(5) शिक्षकों का भी अनियमित होना एवं शाला के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होना ।

3.6.7 विद्यालय में कम नामांकन के निम्न कारण पाए गए :–

(1) अभिभावकों का अशिक्षित होना ।

(2) बच्चों को पशुधन चराने एवं कृषि कार्य में व्यस्त करना ।

(3) छात्राओं द्वारा अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना ।

(4) छात्राओं के अभिभावको का कमाई हेतु पलायन ।

(5) गॉव / बास स्थान में शाला का नहीं होना ।

3.6.8 छात्राओं की अशिक्षा के कारण :–

(1) वित्तीय कठिनाईयां ।

(2) छात्राओं की गृह कार्य में व्यस्तता ।

(3) छात्राओं को कृषि कार्य में लगाना ।

(4) अभिभावकों का पलायन ।

(5) बाल–विवाह एवं पर्दाप्रथा ।

3.7 समस्याऐं एवं मुद्दे :–

जिले में प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम इस विषय से सम्बन्धित समस्याओं को चिन्हित किया जाकर उनके

निराकरण हेतु सुदृढ़ कार्य–योजना की आवश्यकता है । सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर गठित जिला कोर ग्रुप द्वारा विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों , अभिभावकों , शिक्षकों एवं राजकीय अधिकारियों से गहन चर्चा के पश्चात् शिक्षा से संबंधित जो मुख्य समस्याएं एवं मुद्दों की जो जानकारी प्राप्त हुई उनका सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

3.7.1 विद्यालय संबंधी गतिविधियों में जन सहभागिता का पर्याप्त अभाव है

1. ग्रामीणों का मौसमी पलायन ।
2. विद्यालयों में सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का अभाव ।
3. बहुकक्षीय शिक्षण का प्रभावोत्पादक नहीं होना ।
4. शिक्षकों की शालाओं में अनियमित उपस्थिति ।
5. महिला शिक्षकों की अपर्याप्तता ।

3.7.2 पहुंच एवं नामांकन :–

1. छोटे वास स्थानों /ढाणियों में शालाएं नही होना ।
2. अभिभावकों का न्यून साक्षर होना ।
3. आर्थिक पिछड़ापन ।
4. शिक्षा क्षैत्र में अभिभावकों का असहयोग ।
5. सामाजिक कुंठाए।
6. छात्राओं के प्रति अभिभावकों की भेदभावपूर्ण भावना ।
7. शिक्षक–छात्र–अभिभावकों में बेहतर समन्वयन का अभाव ।

.8. शिक्षण आनंददायी न होकर आतंक पूर्ण शिक्षण होना ।

9. पेयजल एवं शौचालय का अभाव ।

10. अपर्याप्त कक्षा–कक्ष एवं शाला भवन ।

11. शिक्षण सामग्री का अपर्याप्त एवं नीरस होना ।

3.7.3 गुणवता–नियंत्रण

1. कक्षा कक्षों का वातावरण का आतंक युक्त होना ।

2. किताबों एवं पाठ्य–सामग्री का अनावश्यक बोझ ।

3. शिक्षकों को सेवारत अभिनवन प्रशिक्षणों का नहीं दिया जाना ।

4. शिक्षण सामग्री में क्रियाशीलता का अभाव ।

5. बहुकक्षी शिक्षण का शिक्षकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं करना ।

6. शिक्षकों का छात्रों पर पश्चावर्ती नियंत्रण का अभाव ।

7. शालाओं का उपयुक्त वातावरण तैयार करने में जन सहभागिता का अभाव ।

3.7.4 अन्य समस्याएं :–

(क) लिंग भेद :– जिले के ग्रामीण क्षैत्रों में महिला साक्षरता दर 2001 के अनुसार 60.77% है जो काफी कम है एवं अल्प संख्यक वर्गो में तो यह और भी कम है । इसके मुख्य कारण निम्न है :–

- समाज में महिलाओं का निम्न स्थान होना अर्थात पुरूष प्रधान समाज का होना।
- लड़कियों को गृहकार्य में व्यस्त कर देना ।

- कमजोर वर्ग की लड़कियों का धनोपार्जन संबंधी कार्य में व्यस्त होना ।
- बाल विवाह एवं पर्दा–प्रथा ।
- पढ़ी लिखी लड़की के लिए समान शिक्षित वर ढूंढने की माता–पिता की परेशानी ।
- शालाओं में लड़कियों के लिए पृथक से शौचालय / मूत्रालय का न होना।

# अध्याय 4

## सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

### 4.1 भूमिका :–

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण काफी अरसे से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है । इस हेतु राजस्थान में काफी महत्ती योजनायें भी लाई गई तथा इन पर कार्य किया गया । जैसे ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड , उत्तर साक्षरता , जन शिक्षण निलायम अनौपचारिक शिक्षा , शिक्षकर्मी परियोजना तथा लोक जुम्बिश परियोजना आदि । लेकिन यह कटु यथार्थ है कि विभिन्न परियोजनाओं योजनाओं के बनने , क्रियानिवत होने तथा समय–समय पर अभियान चलाने के उपरान्त भी हम इस संविधान प्रदत्त अधिकार यथा " सबकों शिक्षा " के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके है । जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि , निर्धनता , अभिभावकों की अशिक्षा तथा राज्य का आर्थिक पिछड़ा पन , शैक्षिक असुविधा इस समस्या के मुख्य कारक रहे है । किन्तु इन सब दुविधाओं को दृष्टिगत रखकर हम और अधिक समय तक इस राष्ट्रीय लक्ष्य उपलब्धि को लम्बेत नहीं रख सकते । अतः सर्व शिक्षा अभियान की परिकल्पना की गई है ।

### 4.2 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :–

- औपचारिक विद्यालयों / वैकल्पिक विद्यालयों एवं राजीव गॉधी पाठशालों का सुदृढ़ीकरण ।
- 6–14 आयुवर्ग के सभी शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का नामांकन एवं जुडाव , सन् 2007 तक सुनिश्चित करना ।
- न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सबको समान एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करना ।

- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक पाठ्यक्रम के निर्माण एवं आनन्ददायी वातावरण में शिक्षा देने पर विशेष बल ।

- सन् 2010 तक जिले के सभी बच्चें आठ वी कक्षा तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें , यह सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों में ठहराव दर को 100% करना।

- 2010 तक शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना (पलायन दर शून्य करना) ।

- सकल नामांकन दर को सन् 2007 तक 100 % करना ।

- शालाओं की मरम्मत , प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ) एवं जरूरतमन्द स्कूलों मे शौचालय एवं शुद्ध पेयजल तथा चार दीवारी की सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

- जन सहभागिता द्वारा भौतिक एवं अकादमिक गतिविधियों को सृदृढ़ किया जाना।

4.3 जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य :–

- वर्ष 2003 तक जिले के सभी विकास खण्ड़ों के तथा नगरीय क्षेत्रों के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निकटवर्ती प्राथमिक , उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक , शिक्षाकर्मी राजीव गॉधी पाठशालाओं में प्रवेश दिलाना ।

- सामान्य वर्ग के अलावा विशेष वर्ग यथा दलित वर्ग , शारीरिक एवं मानसिक विकलांग , बालश्रमिक , धुमन्तु जातियॉ , जैसे गाडिया लुहारों , बनबागरियों के बालकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना ।

- औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से किन्ही विशेष कारणों से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।

- शाला से वंचित तथा बीच में ही शाला छोड़ देने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।

- विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक सुविधायें यथा – कक्षा–कक्ष , शौचालय , पेयजल , एवं चार दीवारी का निर्माण कराना ।

- खेल एवं क्रिया आधारित शिक्षण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराना ।

- बालकों को दरी पट्टी तथा विद्यालयों को फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना ।

- शिक्षा की उपयोगिता तथा गुणवता में वृद्धि करने हेतु शिक्षकों को बौद्धिक तथा मानसिक सम्बलन प्रदान करने एवं व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु प्रभावी एवं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण की व्यवस्था करना ।

- बालकों के न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना तथा उसके अनुरूप शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना ।

- विद्यालयों के प्रबंधन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना ।

4.3.1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हेतु पहुँच :–

- जिले में शत प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करने के लिए 148 वैकल्पिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान ।

- 2001 की जनसंख्या के अनुसार जिले में लगभग 160 विद्यालय विहिन गॉवों , ढ़ाणियों , मगरों तथा वासों में शिक्षा की व्यवस्था करना ।

- दूर दराज के क्षैत्र जहां कोई सरकारी नियमानुसार विद्यालय नहीं खोले जा सकते ऐसे स्थानों में 6 घंटे के वैकल्पिक विद्यालय /ब्रिज कोर्स खोले जाने की व्यवस्था करना ।

- बाल श्रमिकों एवं पलायल करने वाले बालक बालिकाओं के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करना ।

4.4.1 नामांकन :–

जिले में नामांकन सबंधी समस्या एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत रणनीति निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | समस्या | रणनीति |
|---|---|---|
| 4.4.1.1 | सामाजिक पिछड़ापन एवं निर्धनता | जिले में निर्धन एवं पिछडे लोगों में शिक्षा के प्रति अरूचि है । ग्राम शिक्षा समितियों / विद्यालय प्रबंध समितियों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से दलित तथा पिछड़ों वर्गो में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न की जायेगी , तथा पोषाहार , छात्रवृति एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवायें जाने का प्रस्ताव है । |
| 4.4.1.2 | गरीबों / अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश की समस्या | संकुलों / विद्यालयों में महिला बैठके आयोजित करने एवं स्थानीय पढ़ी लिखी महिलाओं के माध्यम से गरीब एवं विशेष रूप से अनुसुचित जाति व अनु सुचित जनजाति की बालिकाओं को उत्साहित कर जागरूक किया जायेगा एवं प्रत्येक गाँव / ढाणी में शिक्षित महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के समूह गठित किए जायेगे । |
| 4.4.1.3 | कों के मजदूरी पर जाने के बाद में /बालिकाओं द्वारा घर का कामकाज की समस्या | घरेलू कार्यो में संलग्न बालक /बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है । |
| 4.4.1.4 | बालक बालिकाओं का घरेलू व्यवसाओं में संलग्नता | सूक्ष्म नियोजन एवं शिक्षा आपके द्वार सर्वेक्षण के आधार पर कामकाजी बच्चों के लिए उनके नजदीक वैकल्पिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव । |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.1.5 | धार्मिक अवरोध | प्रायः मुस्लिम समुदाय की छात्र / छात्राएं मदरसा की शिक्षा तक सीमित रह जाते है । इस प्रकार के धार्मिक अवरोध को दूर करने के लिए इस समुदाय में जन जागरण किया जाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव है । |

4.4.2 ठहराव :–

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा में बालकों के ठहराव की स्थिति काफी कमजोर है । सर्व शिक्षा अभियान में वर्णित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत प्राप्ति हेतु ठहराव में आ रही निम्नलिखित बाधाओं के लिए उल्लेखित उपाय किए जाने का प्रस्ताव है :–

| क.सं. | समस्या | रणनीति |
|---|---|---|
| 4.4.2.1 | विद्यालय शिक्षा के प्रति अरूचि के कारण शाला त्याग करने की समस्या | डीपीईपी. में आनन्ददायी शिक्षण एवं आकर्षित शिक्षण सामग्री तथा घूघरी कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ है । तथा सर्व शिक्षा अभियान के दौरान नवीन पाठ्य वस्तु तथा क्रिया आधारित शिक्षण तकनिक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है । |
| 4.4.2.2 | छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं करने के कारण शाला त्याग की समस्या | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवता में वृद्धि के लिए अध्यापकों के प्रेरण अभिनवकरण पाठ्य वस्तु आधारित प्रशिक्षण कराए जाने का प्रस्ताव है । ताकि छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि की जा सके । |
| 4.4.2.3 | विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का | प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में |

| | | |
|---|---|---|
| | अभाव एवं पाठ्य वस्तु के अरूचि पूर्ण एवं अनुपादेय होने के कारण अभिभावकों में विश्वसनियता के अभाव से शाला त्याग की समस्या | भौतिक संसाधन एवं रूचि पूर्ण पाठ्य वस्तु का निर्माण हेतु व्यवसाय एवं कम्प्यूटर शिक्षा के समावेश का प्रस्ताव है तथा शिक्षा की उपादेयता के प्रति जनता एवं अभिभावकों में विश्वसनीयता लाकर शाला त्याग की समस्या के शत् प्रतिशत निवारण का प्रस्ताव है । |
| 4.4.2.4 | विद्यालय में आधारभूत सुविधा की कमी के कारण एवं बालकों के पिछड़ेपन के कारण अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि के चलते पलायन | विद्यालय में छात्र /छात्राएं बैठने के लिए बोरियां लेकर न आये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र जमीन पर बैठने में असुविधा महसूस करते है । इस लिए प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त टाट–पट्टी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क–बेन्च की व्यवस्था का प्रस्ताव है । |
| 4.4.2.4 | शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता एवं क्षमता तथा व्यवहार कुशलता में ह्रास के कारण बालकों का विद्यालय छोडने की समस्या | शिक्षकों में छात्रों के प्रति अपनत्व एवं लगाव की भावना जागृत करने हेतु संचेतना /विपयशना / प्रेक्षा एवं ध्यान के प्रशिक्षण नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यो के प्रति समर्पण शैक्षिक योग्यता के मूल्यांकन तथा उदासीन शिक्षकों के लिए पुरस्कार / दण्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव है । |
| 4.4.2.5 | सक्षम निरीक्षण एवं प्ररिवीक्षण एवं सम्बलन की कमी के कारण बालकों के पलायन की समस्या | सक्षम निरीक्षण एवं प्ररिवीक्षण के अभाव में शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता व्याप्त है । जिसके कारण शिक्षकों ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है । इसके लिए स्थानीय स्तर पर तथा संकुल स्तर पर प्रभावी संबलन निरीक्षण परिविक्षण टीम गठित की जाकर शिक्षक की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर |

| | | |
|---|---|---|
| | | बालकों के पलायन को रोकने का प्रस्ताव है । |

4.4.3 गुणवता :–

जिले में गुणवता पूर्ण शिक्षा में अभिवृद्धि हेतु निम्न प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के दौरान अंगीकार किए जाने का प्रस्ताव है ।

| क्र.सं. | समस्या | रणनीति |
|---|---|---|
| 4.4.3.1 | छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूव अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य निष्प्रभावी होने की समस्या | छात्र /अध्यापक अनुपात बनायें रखने के लिए अध्यापक/ पैराटीचर की व्यवस्था करनें का प्रस्ताव है । |
| 4.4.3.2 | उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयनुसार शिक्षकों की कमी | सत्र 2001–02 में जिले के अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयानुसार अध्यापकों की नियुक्ति समानीकरण की प्रकिया के तहत की गई थी परन्तु अभी भी अधिकांश विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी महसूस की जा रही है । अतः सर्व शिक्षा अभियान में कुछ अध्यापकों की योग्यताओं में वृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु नियमों में शिथिलता किए जाने एवं योग्य स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर पैराटीचर्स की मानदेय आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है । |
| 4.4.3.3 | अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य विभागीय कार्यो में लगाया जाना । | निर्वाचन एवं जनगणना दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई भी विभागीय कार्य अध्यापकों द्वारा नही करवाया जाए , ऐसा सुनिश्चित किया जाऐगा । सूचना संकलन का कार्य संकुल संदर्भ केन्द्र |

| | | |
|---|---|---|
| | | सहयोगी स्वयं विद्यालयों में जाकर संकलित करें तथा ब्लॉक स्तर पर प्रेषित करें । निरीक्षण एवं परिविक्षण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाऐं , कि अध्यापक सप्ताह में कितने कालांश का कक्षा कक्ष में पढ़ाई करवाते है । तथा उनका वार्षिक प्रतिवेदन भी इसी आधार पर तैयार किया जाए । इस हेतु परिविक्षण अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है । |
| 4.4.3.4 | अध्यापक / अभिभावक सामंजस्य की कमी | अध्यापक/ अभिभावकों की विद्यालयों में त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर उनमें छात्रों की शैक्षिक योग्यता एवं उनके क्रियाकलापों की जानकारी देने का प्रस्ताव है । विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह नितान्त आवश्यक है । |
| 4.4.3.5 | सतत मूल्यांकन का अभाव | शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सतत मूल्यांकन की प्रकिया अति महत्वपूर्ण है । कक्षा 3 से 8 तक सभी कक्षाओं में मासिक टेस्ट को प्रभावी बनाया जाकर अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा के द्वारा सतत मूल्यांकन का प्रस्ताव है । छात्रों में प्रतिस्पर्द्धा जागृत करने के लिए कक्षा में प्रथम , द्वितिय , तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव है । |
| 4.4.3.6 | सेवारत शिक्षकों में सेवारत प्रशिक्षण का | सेवारत शिक्षकों में पाठ्य वस्तु आधारित |

| | | |
|---|---|---|
| | अभाव एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय रूचिपूर्ण बालकों के सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उनके समुचित उपयोग का अभाव | शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था तथा अध्यापकों द्वारा बालकों के सहयोग से सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उसके समुचित प्रयोग की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के दौरान व्यस्था किए जाने का प्रस्ताव है । |

# अध्याय 5

## पहुँच, नामांकन एवं ठहराव

5.1 भूमिका :–

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षैत्र में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा सुविधाओं का कम होना व दूरी अधिक होना है। प्रत्येक बालक–बालिका के लिए 1 किमी की सीमा में शिक्षा की सुविधा होना आवश्यक है। साथ ही ऐसे बच्चें जो इन शैक्षिक सुविधाओं में भी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं जुड़ पाते है तो ऐसे बच्चों के लिए यह सीमा समाप्त कर स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वैकल्पिक विद्यालय (4 घंटे), ब्रिजकोर्स, शिक्षा मित्र (सांयकालीन विद्यालय) संचालित किये जाने आवश्यक होने से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सुनिश्चितता हेतु निम्न व्यूह रचना को क्रियान्वित किया जावेगा –

5.2 वर्तमान में जिले की सकल पहुँच दर :–

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी गांवों/मजरों/ढ़ाणियों में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना मुख्य कारक है। इसलिए राज्य सरकार के निश्चय किया है कि समस्त बच्चें किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था से अवश्य जुड़े तथा शिक्षा से वंचित न रहे।वर्तमान में उपलब्ध आंकडों के अनुसार जिले के कुल 1612 ग्रामों में से लगभग 160 वास स्थानों में प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर तक की ि ाक्षण सुविधा उपलब्ध नही है। जहॉ सर्व शिक्षा अभियान के जरिये यह प्रयास किया जायेगा।

धौलपुर जिले में 978 राजस्व ग्राम है तथा ग्रम पंचायतों की संख्या 153 है। इस प्रकार सकल पहुँच दर निम्न प्रकार से है –

कुल वासस्थानों की संख्या :–1612

| कुल राजस्व ग्राम | वास स्थानों की संख्या | उन वास स्थानों की संख्या जिनमें विद्यालय हैं | सकल पहुँच दर जी.ए.आर. |
|---|---|---|---|
| 978 | 1612 | 1452 | 90.07 |

इस प्रकार जिले की सकल पहुॅच दर (जी.ए.आर.) 90.07 प्रति ात है।

5.3 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति :–

प्राथमिक ि ाक्षा के सार्वजनिकरण की चुनौती को सहर्श स्वीकार करते हुए जिले ने उच्च मानदण्ड स्थापित किये है। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक ि ाक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक बालक–बालिका की पहुॅच में विद्यालय स्थित है। जहॉ यह स्थति नहीं थी वहॉ डी.पी.ई.पी. ने इसकी पूर्ती की है। किन्तु उच्च प्राथमिक क्षेत्र में स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती। कुछ ब्लॉक में बालक–बालिकाओं की पहुॅच से दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है जिनमें बालक–बालिकाओं की पहुॅच से दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय के मानदण्ड भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के दौरान इस कमी को पूरा किया जायेगा। यदि 3 किलामीटर की दूरी कोई उ.प्रा.वि. नहीं है तो वहॉ पर एक प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जायेगा। प्रथम वर्श कुल 45 प्रा.वि. क्रमोन्नत किये जायेंगे। द्वितीय वर्श भून्य, तृतीय वर्श भून्य, चतुर्थ वर्श 50 एवं पॅचम वर्श में 25 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय को 50,000 रुपये की टी.एल.ई. रा ाी प्रदान की जायेगी तथा तीन कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा एवं प्रथम वर्श में एक प्रधानाध्यापक एवं एक अध्यापक दूसरे वर्श में दूसरा अध्यापक इस प्रकार प्रत्येक उ.प्रा.वि. में एक प्रधानाध्यापक एवं छः अध्यापकों का प्रावधान किया जायेगा। क्रमोन्निति 2:1 में की जावेगी तथा जो यू.पी.एस.क्रमोन्नति होगे उनमें एक प्रधानाध्यापक कक्ष व तीन कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जावेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिले के 120 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

5.4 शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन :–

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय (6 घंटे)

जिनमें 50 का न्यूनतम नामांकन है, को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा एवं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जायेगा। वर्तमान में जिले में ई.जी.एस. के अन्तर्गत 365(रा.गा.पा.) विद्यालय एवं 24 वैकल्पिक विद्यालय सत्र 2002–03 एवं 124 वैकल्पिक विद्यालय 2003–04डी.पी.ई.

पी. द्वारा खोला जाना प्रस्तावित है।परियोजनाओं के माध्यम से संचालित सभी विद्यालयों को परियोजना समाप्ति के बाद प्राथमिक पाठशालाओं में परिवर्तित कर दिया जायेगा। सत्र 2004–05 में शिक्षा कर्मी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयो में बदला जावेगा तथा शिक्षा कर्मी प्रहर पाठशालाओं को सॉयकालीन विद्यालयों में बदला जावेगा। साथ ही राजीव गॉधी स्वर्ण जंयती पाठशालाओं जिनमें एक से पॉच तक की कक्षाऐं हो तथा कम से कम 100 छात्र छात्राऐं अध्ययनरत हो उन्हे उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति किया जावेगा। बैकल्पिक विद्यालयों को 2006–07 में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

रा.गा.पा./वै.वि./शिक्षाकर्मी का प्रा.वि. में परिवर्तन एवं प्रा.वि. से उ.प्रा.वि में क्रमोनयन की सारणी

| | उपलब्ध संस्थाऐं | | | | | | क्रमोन्नत उ.प्रा.वि. | परिवर्तित प्रा.वि. | क्रमोनयन एवं परिवर्तन के बाद संस्थाओं की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रा.वि. | उ.प्रा.वि. | रा.गा.पा. | शि.क. | वै.वि. 6 घंटे | कुल योग | | | प्रा.वि. | उ.प्रा.वि. | रा.गा.पा. | शि.क. | वै.वि. 6 घंटे | कुल योग |
| 2002–03 | 620 | 321 | 365 | 89 | 40 | 1435 | 45 | 0 | 575 | 366 | 365 | 89 | 40 | 1435 |
| 2003–04 | 575 | 366 | 365 | 89 | 148 | 1543 | 0 | 146 | 721 | 366 | 219 | 89 | 148 | 1543 |
| 2004–05 | 721 | 366 | 219 | 89 | 148 | 1543 | 0 | 162 | 883 | 366 | 146 | 0 | 148 | 1543 |
| 2005–06 | 883 | 366 | 146 | 0 | 148 | 1543 | 50 | 73 | 906 | 416 | 73 | 0 | 148 | 1543 |
| 2006–07 | 906 | 416 | 73 | 0 | 148 | 1543 | 25 | 73 | 954 | 441 | 0 | 0 | 148 | 1543 |

5.5 शिक्षा गारंटी कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभ्यिान में ऐसे वासस्थानों में जहॉ 1 कि.मी. की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है , वहॉ 6–8 वर्ग के 15–20 बालकों की उपलब्धता पर कक्षा 1 व 2 के लिए ई.जी.एस. केन्द्र (शिक्षा गारन्टी योजना) खोले जायेंगे । इन केन्द्रों के लिए शिक्षक की नियुक्ति सामुदायिक आधार पर की जाऐगी । उस शिक्षक को केन्द्र के उत्तीर्ण छात्र /छात्रा का प्रवेश औपचारिक विद्यालय में कराना आवश्यक होगा यह प्रवेश किसी भी समय विद्यालय में कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी । इन केन्द्रों का नियोजन जिले की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है ।

उक्त योजना के तहत जिला धौलपुर के ग्रामीण आंचल में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर कुछ विद्यालय शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । इन केन्द्रो का प्रस्ताव पूर्ण रूप से उन वासस्थानों में किया गया है , जहॉ कक्षा 1 और 2 के लिए 15–20 बालकों की उपलब्धता रहेगी ।

5.6 वैकल्पिक शिक्षा योजना :–

यहॉ यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि धौलपुर जिला भले ही औधोगिक जिला नही है , फिर भी यहॉ देश भर से घुमन्तू बच्चें वर्ष भर आते रहते है, जो होटलों अथवा दुकानों पर कार्य करते हैं अथवा अपराधी तत्वों के साथ होकर छोटे–मोटे अपराध में लिप्त हो जाते है। काम की तलाश में आने वालें व्यक्तियों के परिवारों के बच्चें भी सड़कों एवं बस स्टेशनों अथवा रेलवे स्टेशनों पर भीख मॉगने , जूता पालिश करने , मूंगफली बेचने आदि कार्यो में लिप्त है तथा बाद में इस प्रकार के बच्चें बड़े होने पर अपराधी प्रवृति के हो जाते है , जो समाज के लिए कष्ट कारक बन जाते है ।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने से मनोवैज्ञानिक दबाब के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर कामकाजी बालिकायें तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ,

अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्धकालीन शिविरों , ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मदरसों में बालक / बालिकाओं को उनकी धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिक प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू कर उन्हें आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाकर उनका शिक्षा से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाऐगा । इसके साथ साथ ऐसे स्थान जहॉ पर 6–14 वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चें उपलब्ध होंगे , वहॉ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें । इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय कराया जा सकता है । इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण करवाई जाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की किसी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय में प्रवेश कराया जा सकेगा । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निकट के प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जायेगी । यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि केन्द्र की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र पुनः अपने पुराने परिवेश में वापस न हो जाय ।

उक्त केन्द्रो की संचालन अवधि 4 घण्टे दिन के समय होगी । यथा सम्भव वरिष्ठ व्यक्ति ही द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जायेगा और उन्हें रू. 1000/– प्रतिमाह के आधार पर मानदेय प्रदान किया जायेगा । इन अनुदेशकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 30 दिन के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है ।

**5.7 विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता :–**

जिले में छात्र–शिक्षक अनुपात को 40 : 1 के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता सारणी सं. 2.9 (टी.पी.आर.) में प्रस्तुत की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार इस कमी की समुचित पूर्ति किए जाने का प्रावधान है ।जिसमें 2002–03 में 203 अतिरिक्त पैराटीचर तथा 03–04 से 06–07 तक प्रति वर्श 205 अतिरिक्त पैराटीचर उच्च प्रा0वि0में लगाना प्रस्तावित है ।

5.8 जिले की ठहराव दर की स्थिति :– सारणी संख्या 2.11 में जिलें की ब्लॉक वार ठहराव दर की स्थिति प्रस्तुत की गई है । जिले की समेकित ठहराव दर इसके अनुरूप 32.97 प्रतिशत दृष्टिगत हो रही है । सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए विद्यालयों में शत् प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने हेतु नियोजन किया गया है ।इसके अर्न्तगत गुणवत्ता पूर्ण ि ाक्षण हेतु प्रति विद्यालय स्कूल फेसिलिटी ग्रान्ट के अर्न्तगत उच्च प्रा0वि0 में कुल 20.46 लाख रूपये तथा अन्य विद्यालयों में 1.68 लाख रू0 देना प्रस्तावित है। तथा अध्यापकों को ि ाक्षण अधिगम सामग्री हेतु 35. 795 लाख रू0 देने का प्रावधान किया गया है।

5.9 सामुदायिक गतिशीलता :–

जिले के वर्तमान नामांकन स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए सन् 2003 तक सभी अनामांकितों को नामांकित करने का लक्ष्य सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है । इस हेतु प्रति विद्यालय रू. 1000/– प्रति वर्ष की दर से राशि का प्रावधान रखा गया है । इस राशि से समाज में जन–जागरण हेतु बाल–मेला कला–जत्था , महिला मिटिंग , पंचायती राज सदस्यों/विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रशिक्षण , पितृ –शिक्षक संगठन, मातृ–शिक्षक संगठन एवं प्रभात फेरी का आयोजन इत्यादि गतिविधियॉ विद्यालय स्तर से ही सम्पन्न ही जाकर सन् 2003 तक शत्–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है । इस हेतु सामुदायिक गति ीलता को बढावा देने हेतु की जाने वाली गतिविधियों यथा भााला प्रबन्धन समिति के सदस्यों के प्रि ाक्षण, भवन निर्माण समिति के सदस्यों के प्रि ाक्षण एवं प्रति पंचायत पुस्तकालय की

व्यवस्था का प्रावधान इसके अर्न्तगत किया गया है। इनमें कला जत्था बाल मेला पी.टी.ए. के गठन आदि की गतिविधियां की जावेगी। जिसका व्यय निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Community Mobilization | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Community Mobilization Activities | 0.010 | | 0.000 | 250 | 2.500 | 250 | 2.500 | 250 | 2.500 | 300 | 3.000 | 1050 | 10.500 |
| Developing Awareness Material | 0.500 | | 0.000 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 4 | 2.000 |
| Training of SMC Members | 0.0006 | | 0.000 | 2000 | 1.200 | 2000 | 1.200 | 2000 | 1.200 | 2400 | 1.440 | 8400 | 5.040 |
| Training of B.N.S. Members | 0.0003 | | 0.000 | 750 | 0.225 | 750 | 0.225 | 750 | 0.225 | 900 | 0.270 | 3150 | 0.945 |
| Panchayat Library/ Reading Room | 0.0100 | 0 | 0.000 | 153 | 1.530 | 153 | 1.530 | 153 | 1.530 | 153 | 1.530 | 612 | 6.120 |

5.10 व्यावसायिक शिक्षा :–

विद्यालयों में ड्रॉप–आऊट कों रोकने हेतु जिले में नवाचार के तौर पर बालक/ बालिकाओं हेतु व्यावसायिक–शिक्षा दिए जाने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है । कुछ चुनिंदा पाठयकम यथा चर्म कार्य , बढाईगिरी , सिलाई ,आरी–तारी एवं कम्प्यूटर शिक्षा आदि को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किए जाने

का सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्ताव है । इन पाठयक्रमों हेतु दक्ष प्रशिक्षक का चयन समुदाय में से ही एवं जन सहभागिता से किया जाएगा तथा इन पाठयक्रमों से संबंधित आवश्यक सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी । यह पाठयक्रम शुरू करने से विशेषतः अल्प संख्यक समुदाय की छात्राओं को विद्यालयों से निश्चित तौर पर जोड़ा जा सकेगा । इस हेतु कम्पयूटर ि ाक्षा पर होने वाले व्यय 60.00 लाख रूपये है जो निम्न सारणी द्वारा वर्श वार प्रदि ति किया गया है।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Education | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Computer Education for Learner | 0.005 | 0 | 0.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 12000 | 60.000 |

5.11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा :–

जिले में संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्रों की अनुदेशिकाओं तथा सहायिकाओं कों डीपीईपी. के द्वारा अतिरिक्त मानदेय और प्रतिवर्ष छः दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण तथा केन्द्रों के लिए खेल सामग्री के उपकरण प्रदान किए जा रहे है । जिले में इस कार्यक्रम से छात्रों का विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़ा है । इसी को सर्व शिक्षा अभियान में भी जारी रखने का प्रावधान किया जा रहा है । इसके अन्तरर्गत जिले में वर्ष 2002–03 से वर्ष 2005–06 तक कुल 150 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जाऐंगे।

शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना / सुदृढीकरण :–

सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित 150 नये ई.सी.ई. केन्द्रों को इस परियोजना के अन्तर्गत और अधिक सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है । जिसमें अन्तर्गत इन केन्द्रों पर कार्यरत् अनुदेशिकाओं को 2 घण्टे अतिरिक्त कार्य करने हेतु पृथक से मानदेय दिया जायेगा तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री (खिलौने इत्यादी) से सुसज्जित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण केन्द्र पर समस्त ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शैक्षिक पक्ष का भी समावेश किया जायेगा ।

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी

डीपीईपी. परियोजना की समाप्ति के काद भी यदि कुछ ऐसे गांव , ढ़ाणी बचेंगे तो वहां सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकार के मानदण्ड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाऐंगे । 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा । यदि 3 किमी. दूरी पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहां पर प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जायेगा । यदि एक ही क्षैत्र में दो प्राथमिक विद्यालय मे से एक को क्रमोन्नत करना है तो उनमें अध्ययनरत कक्षा 5 के छात्रों की अधिक संख्या वाले विद्यालय को प्राथमिकता दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 2005–06 में 50 तथा 2006–07 में 25 प्राथामिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान है। इसके अर्न्तागत निम्न राि ा मद वार सारणी में प्रदर्ि ात की गई है।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Upgradation Primary School to Upper Primary Schools | | 45 | | 0 | | 0 | | 560 | | 25 | | 120 | |
| Teacher Learning Equipment | 0.500 | 45 | 22.500 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 560 | 25.000 | 25 | 12.500 | 120 | 60.000 |
| Salaries of Head Master (@1000 PM) | 1.200 | 45 | 13.500 | 45 | 54.000 | 45 | 54.000 | 995 | 114.000 | 120 | 144.000 | 350 | 379.500 |
| Salaries of Teacher (@7000 pm) | 0.840 | | 0.000 | 90 | 75.600 | 135 | 113.400 | 1185 | 155.400 | 260 | 218.400 | 670 | 562.800 |
| Schod Facilities Grant | 0.020 | | 0.000 | 45 | 0.900 | 45 | 0.900 | 415 | 0.900 | 95 | 1.900 | 230 | 4.600 |
| TLM to Teacher | 0.005 | 45 | 0.225 | 135 | 0.675 | 180 | 0.900 | 2280 | 1.400 | 380 | 1.900 | 1020 | 5.100 |

(2) जनोपयोगी शिक्षा –

वर्तमान में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा जनता में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति बढ़ते अविश्वास को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए क्षैत्र के विद्यालयों में अलग–अलग व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलवायें जाने हुए क्षैत्र के विद्यालयों में अलग–अलग व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलवायें जाने की व्यवस्था की जायेगी । 3 माह से 8 माह तक के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी प्रशिक्षण को 1000 रूपयें प्रति माह मानदेय देने का प्रस्ताव है । सिलाई–कढ़ाई , नृत्य व संगीत चित्रकला का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा । शहरी क्षैत्र में इस प्रशिक्षण को महत्व दिया जायेगा । प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6–8 तक के बच्चों के लिए कम्प्यूटर के प्रशिक्षणा की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है । जिसमे कम्पयूटर शिक्षा हेतु 2003–04 से 2006–07 तक प्रति वर्श 15 लाख

रू0 व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।तथा व्यवसायिक शिक्षा हेतु 2003–04 से 2006—07 तक कुल 32 प्रि ाक्षण आयोजित कर उनमें 8 लाख रू0 व्यय करने का प्रावधान्न रखा गया है।

(3) पिाछड़े, दलित एवं बाल श्रमिक बच्चों की शिक्षा –

ग्रामीण क्षैत्र के पिछड़े , दलित एवं बाल श्रमिक बचचों के लिए वैकल्पिक विद्यालय डीपीईप्पी कार्यक्रम के तहत खोले जा रहे है ।

शहरी क्षैत्र में भी स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए उनकी बस्तियों के पास ही वैकल्पिक शिक्षा की च्यचस्था की जा रही है तथा विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । डीपीईपी. में इस वर्ष लगभग 40 वैकल्पिक विद्यालय प्रस्तावित है । लिए उनकी बस्तियों के पास ही वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तथा विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । डीपीईपी. में इस वर्ष लगभग 40 वैकल्पिक विद्यालय प्रस्तावित है । इस हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के बालक बालिकाओ के लिये न्निः ुल्क पाठ्य पुस्तके देने का प्रावधान है। जिसमें 2002–03 से 2006–07 तक कुल 1:7395 बालक एवं बालिकाओ को 16.157 लाख रू0 की पाठ्य पुस्तके देने का प्रावधान रखा गया है।

(4) अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा– अल्पसंख्यक वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्थाा मदरसों में ही पैराटीचर लगाकर की जायेगी । डीपीईपी. योजना में ऐसे 40 मदरसों में पैराटीचर लगाने का प्रस्ताव है । इसके बावजूद यदि मदरसों में और पैराटीचर्स की आवश्यक अनुभव हुई तो सर्व शिक्षा अभियान में पैराटीचर्स आवश्यकतानुसार लगाये ज्जायेंगे ।

(5) राजकीय विद्यालयों का स्वरूप परिवर्तन– राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के सौदंर्यकरण का प्रस्ताव है । उनकी भौतिक स्थिति सुधारी जायेगी । विद्यालय परिवेश को भी सुधारा जायेगा । इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

6) कक्षा–कक्षों की कमी– जिले के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा–कक्षों का निर्माण डीपीईपी. योजनान्तर्गत किया जा रहा है । जहां औा आवश्यकता है वहां पर भी मार्च 2003 ताक कक्षा–कक्षों का निर्माण करवा दिया जायेगा । उच्च प्राथमिक विद्यालय में

डीपीईपी. योजना में यह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है अतः सर्वशिक्षा अभ्यिान में छात्र अनुपात में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा । इस प्रकार जिले में 2002–03 से 2006–07 तक कुल 1050 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करने का प्रस्ताव हैं।जिसमें 1260 लाख रू0 व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

(7) शिक्षा गारन्टी योजना– यद्यपि जिले में शत्–प्रतिशत नामांकन कीस्थिति है । तथा प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है तथापि यदि आवश्यकता अनुभव की गई तो जिले की छोटी ढ़ाणियों में जहां 15 बच्चें अनामांकित है तथा 1 किमी. की परिधि में उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हैं तो वहां पर एक शिक्षा गारण्टी केन्द्र (ई.जी.सी.) खोला जायेगा । यह 4–6 घंटे चलेगा । जो इ.जी.एस.,पी.एस.में बदलेगा उसमें एक नियमित अध्यापक तथा दो पैरा टीचर दिये जायेगें।

| ame of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fir |
| ccess & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| ducation Gaurantee Scheme EGS) | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.0 0 |
| o of Childern In mary school | 0.00845 | 27267 | 230.406 | 21667 | 183.086 | 18867 | 159.426 | 16067 | 135.766 | 13267 | 112.106 | 97135 | 82 79 |
| o. of Childern In pper Primary School | 0.012 | 0 | 0.000 | 300 | 3.600 | 300 | 3.600 | 300 | 3.600 | 300 | 3.600 | 1200 | 14. 00 |
| nrollment Under AIE | 0.030 | 0 | 0.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.000 | 2000 | 60. 00 |
| nrollment under NGO | 0.00845 | 0 | 3.000 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.450 | 4000 | 36. 00 |

(8)ब्रिज कोर्स–जिलें में वे बालक बालिकाए जो कुछ समय प चात अध्ययन कार्य छोडकर ठहराव दर को प्रभावित करते है उनके लिये दो प्रकार के ब्रिज कोर्स चलाये जाने प्रस्तावित है। जिससे वे उच्च प्राथमिक कक्षाओ तक अपना अध्ययन कार्य सुचारू

रुप से पूर्ण कर सके इस हेतु जिलें में 12 आवासीय एवं 8 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स प्रस्तावित कियें गयें है। जिसमें होनें वाला व्यय निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया है।

| ame of ctivities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| ccess & etentio | | | | | | | | | | | | | |
| ridge Course | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| esidentiil | 1.074 | 0 | 0.000 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 48 | 51.552 |
| on-esidentiil | 0.300 | 0 | 0.000 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 32 | 9.600 |

(9)घुमन्तु बालको हेतु शिक्षा– जिले के कुछ दलित वर्गो के लोग जिले से ,बाहर काम करने के लिए चले जाते है और वें अपने साथ ही अपने बच्चों को भी ले जाते है। फिर वर्षा ऋतु में वापस अपने घरों में लौठ आते है । ऐसे में उनके बालक–बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो जाती है । ऐसे बच्चों के लिए जिला मुख्यालय पर एक हॉस्टल खोलने का प्रस्ताव है । उन बच्चों को वहॉ रखकर उनकी शिक्षा व्यवस्था की जायेगी । अभिभावकों के वापस लौटने पर उनके बच्चें चाहें तो उनके पास ठहरकर शिक्षा ग्रहण कर सकते है ।

| | Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Education for Migratory Childrens | 0.030 | 0 | 0.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.000 | 800 | 24.000 |

(ख) ठहराव

(1) विद्यालयी शिक्षा के प्रति अरूचि के कारण शाला त्याग की समस्या – खेल–खेल में शिक्षा व आनन्ददायी शिक्षण के लिए खेल सामग्रीयों के निर्माण, रूचिपूर्वक शिक्षण के लिए शिक्षण वर्धन सामग्री के निर्माण , विद्यालयों में खेल सामग्री पहुचाने का प्रस्ताव है ।

(2) छात्रों में प्रासंगिक कक्षा के अनुसार ज्ञान का अभाव– प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रो में सम्बन्धित कक्षा के स्तर के ज्ञान का अभाव पाया जाता है । शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करनें में सहयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है । प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रेरण प्रशिक्षण व अभिनवन प्रशिक्षण डीपीईपी. के माध्यम से दिलवाया जा रहा है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवारत शेक्षकों को वर्ष भर में लगभग 20 दिन का प्रेरण , अभिनवन एवं पाठ्य आधारित प्रशिक्षण ारपत प्रेरित शिक्षक शिक्षार्थियों के न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेंगे ।

| Name of Acivities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Reention | | | | | | | | | | | | | |
| Training of Teacher (20days) | 0.01140 | 1008 | 14.112 | 1684 | 23.576 | 1729 | 24.206 | 1829 | 25.606 | 1929 | 27.006 | 8179 | 114.506 |
| Foundational Training of Panteacher (41 days) | 0.0287 | 0 | 0.000 | 584 | 16.761 | 648 | 18.598 | 292 | 8.380 | 292 | 8.380 | 1816 | 52.119 |
| Coitent Based Training of Panteacher (30 days) | 0.021 | | 0.000 | | 0.000 | 584 | 12.264 | 1232 | 25.872 | 1524 | 32.004 | 3340 | 70.140 |
| Refresher Training of Panteacher (10 days) | 0.007 | | 0.000 | 584 | 4.088 | 1232 | 8.624 | 1524 | 10.668 | 1816 | 12.712 | 5156 | 36.092 |

(3) अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा के भाव से शाला परित्याग की समस्या – उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इससें शिक्षा की उपादेयता के प्रति अभिभावकों में विश्वसनीयता लाकर किया जा सकेगा ।

4) विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का अभाव–विद्यालयों में छात्रों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर तो दूर की बात है । दरी पट्टियों का भी अभाव है । छात्र अपने घरों से बोरी आदि साथ लाते है । वे बैठने में असुविधा महसूस करते है । इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में तो डीपीईपी. द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है । उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए डेस्क आदि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| School Facilities Grant | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| School Facilities Grant to P.S. | 0.020 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| School Facilities Grant to U.P.S. | 0.020 | 203 | 4.060 | 205 | 4.100 | 205 | 4.100 | 205 | 4.100 | 205 | 4.100 | 1023 | 20.460 |
| School Facilities Grant to others school | 0.020 | 0 | 0.000 | 14 | 0.280 | 14 | 0.280 | 0 | 0.000 | 56 | 1.120 | 84 | 1.680 |

(5) शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता का भाव – शिक्षकों में छात्रों के प्रति अपनत्व एवं लगाव की भावना जागृत करने हेतु प्रेरण प्रशिक्षण , शैक्षिक योग्यता मूल्यांकन कार्यो के प्रति समर्पण आदि के पुरस्कार की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

(6) सक्षम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षय की कमी –सक्षम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अभाव मे शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता व्याप्त है । इस कमी की दूर करने के लिए जिला

शेक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Research, Evaluation, Supervision & Monitoring | 0.014 | 248 | 3.472 | 250 | 3.500 | 250 | 3.500 | 300 | 4.200 | 325 | 4.550 | 1373 | 19.222 |

(') जन चेतना का अभाव –ग्रामीण क्षैत्र व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लागों में शिक्षा के प्रति चेताना का अभाव होने से बालक–बालिकाओं को अभिभावक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ई घर बैठा लेते है व अन्य छोटे–छोटे कार्यो मे लगा देते है । तात्कालिक लाभ के लिए न्हें छोटे – छोटे कार्य करने के लिए प्रेरित करते है । ऐसे में जन चेतना जागृत करने वं अनेक कार्यक्रम छोटे–छोटे कार्यो मे लगा देते है । तात्कालिक लाभ के लिए उन्हें छटे – छोटे कार्य करने के लिए प्रेरित करते है । ऐसे में जन चेतना जागृत करने के अेक कार्यक्रम उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित किये गये है । जैसे संकुल स्तर पर बाल मेला , महिला बैठक , कला जत्था , जनप्रतिनिधियों की बैठक , पम्पलेटर , ब्राडचर्स ,पोस्टर्स आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार आदि के प्रस्ताव है । जिला स्तर पर भी कला जत्था कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

(ग) गुणात्मक सुधार

(1) छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य निप्रभावी होने की समस्या – छात्र/अध्यापक अनुपात बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पैराटीचर लगाने का प्रस्ताव है । प्राथमिक स्तर पर दो उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक होने चाहिए । यदि यह संख्या नहीं है तो पैराटीचर्स की1 : 40 के अनुपात की अनुपालना में भी पैराटीचर लगाये जायेगे । इस प्रकार इस जिले में 220 पैराटीचर लगाने का प्रस्ताव है ।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयानुसार शिक्षकों की कमी – उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषयानुसार शिक्षक नहीं है । अतः प्रशासन के सामने विषयानुसार शिक्षक नहीं लगाये जाते है तो विद्यालय की आवश्यकतानुसार पैराटीचर लगाने का प्रस्ताव है ।

(3) अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यो का निष्पादन – अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य के दायितव के अलावा अनेक विभागों के कार्यो को सम्पादित करना पड़ता है । जैसे पोलिया ड्राप्स , विटामिन 'ए'की खुराक , टीकाकरण , मकान सुचीकरण वोटरलिस्ट तैयार करना इत्यादि । इनके अलावा भी प्रशासन अपने छोटे–मोटे कार्यो के लिए भी अक्सर अध्यापकों की नियुक्ति कर लेते है । निर्वाचन व जन गणना जैसे दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यो के अतिरिक्त शिक्षकों को न लगाया जाए । इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को अवगत कराने का प्रस्ताव है ।

(4) अध्यापक/अभिभावक सामंजस्य की कमी–अक्सर अभिभावकों की यह शिकायत रहती है। कि उन्हें विद्यालय की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता । अध्यापक व अभिभावकों में सामंजसय का अभाव है । इस परियोजना में इस कमी को दूर करने हेतु दो माह में एक बार समीक्षा बैठक करने का प्रस्ताव है । विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का प्रावधान किया जा रहा है । माह अभिभावक संघ का निर्माण कर उनके सुझाव के अनुसार बालिका शिक्षा की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

(5) सतत मूल्याकंन का अभाव –किसी भी शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्तावृद्धि के लिए उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है । वर्तमान में परम्परागत तीन परख , दो परीक्षा मूल्यांकन के स्वरूप है जो वास्तविक जानकारी नहीं देते । सर्व शिक्षा अभियान में इसके लिए सतत मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा गया है । मूल्यांकन शिक्षक , अभिभावक व स्वयं छात्र द्वारा किया जाए इस प्रकिया को समझने के लिए प्रत्येक शिक्षक को सतत मूल्यांकन का 3 दिवस का प्रशिक्षण प्रस्तावित परम्परागत मूल्यांकन के लिए भी प्रश्न पत्र निर्माताओं को 2 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया जाना प्रस्तावित है ।

# अध्याय 6

## गुणवता–शिक्षा

6.1 भूमिका :–

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस जिले में डीपीईपी. कार्यक्रम के द्वारा भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है । इस हेतु जिला स्तर से शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है । इस कार्य में जिले में स्थापित 4 बी.आर.सी. तथा 55 सी. आर. सी. केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इन कार्यालयों द्वारा संस्थागत क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों ,ई.सी.ई. अनुदेशिकाओं /सहायिकाओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया है । चूंकि विद्यालयों में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है , अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी आगामी वर्षो में गुणात्मक शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित करने का प्रावधान रखा जा रहा है । जिसमें प्रत्येक उ0प्रा0 वि0 को स्कूल फेसिलिटि ग्रान्ट 2000 रूपये दिये जायेगे । 2002–03 में 203 उ0प्रा0वि0 को व 2003–04 से 2006–07 तक 205 विद्यालयों को दी जायेगी जिसमें 20.46 लाख रूपये व्यय किये जायेगे

6.2 शिक्षण अधिगम निर्माण :–

डीपीईपी. के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रू. 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में जिले के प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को उपलब्ध कराई जा रही है । इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के लिए उनका अभिमुखीकरण हेतु सी.आर.सी./बी.आर.सी. तथा जिला स्तर पर टी.एल.एम. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया । जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा मिला । इसके अलावा शालाओं में छात्र हितार्थ उपयोग हेतु रू. 2000/– (विद्यालय फेसिलिटी

ग्रांट) का भी डीपीईपी. द्वारा अनुदान दिया गया था । इसी सुविधा को सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखने का प्रावधान किया गया है । शिक्षक अधिगम सामग्री पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 35.795 व 0880 लाख रूपये व्यय किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Teacheing Learning Material to P.S.Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Teacheing Learning Material to U.P.S. Teacher | 0.005 | 963 | 4.815 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.745 | 7159 | 35.795 |
| Teacheing Learning Material to Other Schools. Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 | 44 | 0.220 | 44 | 0.220 | 44 | 0.220 | 44 | 0.220 | 176 | 0.880 |

6.3 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण :–

जिले में निर्धन एवं असहाय परिवारों के बालक /बालिकाओं , अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति के परिवारों के बालक/बालिकाओं कों प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किए जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में रखा जा रहा है । हालांकि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में यह सुविधा भी उपरोक्त वर्गो के बालक/बालिकओं को प्रदान की जा रही है । लेकिन उपयुक्त समन्वयन के अभाव में जरूरत मंद छात्रों तक यह सुविधा नही पहुंच रही है । अतः जिले के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर जरूरत मन्दों को उपरोक्त सुविधा मुहैया करवाई जाऐगी । इस हेतु एस.एस.ए. में 17395 का लक्ष्य रखा गया है जिस पर कुल व्यय 16.157 लाख रूपये होगा ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Free Text Book to UPS SC./S.T. Boys | 0.0010 | 3095 | 1.857 | 3200 | 3.200 | 3500 | 3.500 | 3700 | 3.700 | 3900 | 3.900 | 17395 | 16.157 |

3.4 पुस्तकालय अनुदान :–

बेसलाईन सर्वेक्षण 1998 की रिपोर्ट अनुसार जिले के 40 % से भी कम विद्यालयों में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध नहीं है । शिक्षण कार्य में गुणवता , विद्यालयों में छात्रों के ठहराव के लिए पुस्तकालय/वाचनालय की सुविधा भी अति–आवश्यक मानी गई है । अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के स्वाध्याय एवं ज्ञानवर्द्धन हेतु उनकी अभिरूचि के अनुसार मनोरंजक एवं ज्ञानवर्द्धन में सहायक पुस्तकें , पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है । इस हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को अलमारियों हेतु प्रति वर्ष 2003–04 में 500/– एवं पुस्तकालय हेतु वर्ष 2003–04 , वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के लिए रु. 2000/– प्रति वर्ष की दर से प्रति विद्यालय हेतु पुस्तकालय अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है । इस पर कुल व्यय 11.275 लाख रूपये किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Library Grant | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Almirah | 0.015 | | 0.000 | 205 | 3.075 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 205 | 3.075 |
| Books for Library | 0.020 | | 0.000 | 205 | 4.100 | | 0.000 | | 0.000 | 205 | 4.100 | 410 | 8.200 |

6.5 अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन :–

जिले में डीपीईपी. द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अध्ययन से पता चलता है कि जिले में 62% छात्रों का गणित , 49.8% छात्रों का विज्ञान में तथा 71.6% छात्रों का अंग्रेजी में अधिगम निम्न स्तर का पाया गया है । विद्यालयों से "ड्राप–आऊट" होने का मुख्य कारण इसे भी माना जाता है । चूंकि सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य लक्ष्य सन् 2007 तक शत प्रतिशत ठहराव दर सुनिश्चित करने का रखा गया है । अतः इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन तीनों विषयों के लिए पृथक से " समस्या

कक्षाऐं " विद्यालयों के अतिरिक्त समय में आयोजित किए जाने का प्रावधान रखा गया है । इससे छात्रों की इन विषयों में व्याप्त कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी । इस हेतु प्रति विषय रू. 1000/– प्रतिमाह के हिसाब से रू . 3000/– तीन विषयों के लिए प्रति विद्यालय अधिकतम चार माह हेतु निर्धारित किए गए है । जिसमे कुल व्यय 4.80 लाख रूपये किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Organising Remidial Classes | 0.030 | 0 | 0.000 | 40 | 1.200 | 40 | 1.200 | 40 | 1.200 | 40 | 1.200 | 160 | 4.800 |

6.6 प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापुरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इस परियोजना में 6–14 वर्ष की आयु–वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है :–

1. 6–14 वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल , ई.जी.एस. केन्द्र , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा ।

2. सभी बच्चें पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पुरी करें , यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, , यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा ।

4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो , प्रदान की जायेगी ।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर भी 2007 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2007 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े जिले के समस्त शिक्षकों का प्रथम वर्ष में 8 दिवसीय अभिनवन करण प्रशिक्षण आयोजित किया जाऐगा । इसके पश्चात् आगामी वर्षो में उन्हें छः–छः दिवसों के पाठ्यवस्तु आधारित प्रशिक्षण प्रदान किए जाऐंगे । इसके अलावा डाईट के संकाय सदस्यों , जिला परियोजना कार्यालय के सदस्यों , तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डाईट स्तर से आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी । इन प्रशिक्षणों में मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों , बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों , शिक्षकों–विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों के प्रति विशेष बल दिया जाऐगा जिससे उपरोक्त सभी की विचार–अवधारणाएं समान बन सकें । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों , वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथाः बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी , वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना , प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे ।

इनके अलावा विद्यालयों में नियोजित पैराटीचर्स को 41 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में दिए जाने का प्रावधान है और आगामी वर्षो में उन्हें 30 दिवसीय

तथा 10 दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान भी इस परियोजना में किया गया है । प्रशिक्षणों पर कुल व्यय 274.069 लाख रूपये किये जायेगे । शिक्षकों के लिए सर्वशिक्षा अभियान में 20 दिवसीय वि ाय बस्तु पर आधारित प्रशिक्षण होगा। जिसमें 9 दिवसीय नियमित प्रशिक्षाण होगा तथा 3 दिवसीय टी.एल.एम.निर्माण का तथा 8 दिन की एक दिवसीय मासिक बैठकें होगी। इस प्रकार कुल 20 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक पर आयोजित किया जायेगा।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Training | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Training of Teacher (20days) | 0.0140 | 1008 | 14.112 | 1684 | 23.576 | 1729 | 24.206 | 1829 | 25.606 | 1929 | 27.006 | 8179 | 114.506 |
| Foundational Training of Parateacher (41 days) | 0.0287 | 0 | 0.000 | 584 | 16.761 | 648 | 18.598 | 292 | 8.380 | 292 | 8.380 | 1816 | 52.119 |
| Content Based Training of Parateacher (30 days) | 0.021 | | 0.000 | | 0.000 | 584 | 12.264 | 1232 | 25.872 | 1524 | 32.004 | 3340 | 70.140 |
| Refresher Training of Parateacher (10 days) | 0.007 | | 0.000 | 584 | 4.088 | 1232 | 8.624 | 1524 | 10.668 | 1816 | 12.712 | 5156 | 36.092 |
| Training of Resource Person (6 days) | 0.006 | | 0.000 | 12 | 0.072 | 12 | 0.072 | 12 | 0.072 | 12 | 0.072 | 48 | 0.288 |
| Training of CRCF (6DAYS) | 0.0042 | | 0.000 | 55 | 0.231 | 55 | 0.231 | 55 | 0.231 | 55 | 0.231 | 220 | 0.924 |

6.6.2 अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

धौलपुर जिले में अप्रशिक्षत अध्यापकों की कुल संख्या 328 है। सर्व शिक्षा अभियान में इनको 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा जो डाईट द्वारा आयोजित होगा। पैरा टीचरों को तीस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा जो ब्लॉक पर आयोजित होगा।

6.7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा :–सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा समय की भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को

कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में प्रत्येक ब्लॉक के पॉच–पॉच उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डाईट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के लिए डाईट में आवश्यक सुविधाएं यथा–उपकरण एवं तकनिकी स्टॉफ इत्यादि इस परियोजना के द्वारा उपलब्ध करवाई जाऐगी । प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डाईट के सहयोग से किया जायेगा । इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे । इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डाईट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर ही इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्षो में की जायेगी ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Education | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Computer Education for Learner | 0.005 | 0 | 0.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 12000 | 60.000 |

# अध्याय 7

## विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :– जिले में नामांकन की शत्–प्रतिशत उपलब्धि के लिए समाज के कुछ विशेष वर्गो के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है । इनमें छात्राएँ , धुमक्कड़ जातियों के बालक/बालिकाएँ एवं विकलांग छात्र प्रमुख है । इन सभी वर्गों की अपनी–अपनी सामाजिक , आर्थिक एवं शारीरिक समस्याओं के कारण इन वर्गो के अधिकांश छात्र/छात्राएं तथा इनके अभिभावक अध्ययन के लिए चाहते हुए भी इन्हें शाला में प्रवेश नही दिला पाते है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे वर्गो के लिए विशेष–पैकेजों का प्रावधान किया जा रहा है ।

7.2 लिंग संवेदनशीलता :–

समाज में महिला–पुरूष के प्रति भेदभाव के कारण जिले की महिला साक्षरता दर आज भी शोचनीय स्तर पर है । इसके निम्न कारण है :–

- बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें भेजने में कठिनाई का अनुभव करते है , क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय दूर–दूर स्थित है । प्रायः असुरक्षा के कारण ही कक्षा 6 , 7 व 8 की स्कूली शिक्षा से बालिकायें वंचित हो जाती है ।

- इस जिले में ग्रामीण क्षैत्रों में अब भी महिलाओं की शिक्षा 40.45% तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 3.91% है । ऐसी स्थिति अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा का महत्व नहीं

समझने से हुई है । आज भी अभिभावक अपने बालकों को तो स्कूल भेजने में रूचि लेते है , किन्तु बालिकाओं को यह समझकर स्कूल नहीं भेजते कि शादी/विवाह के उपरान्त उन्हें तो केवल घरेलू कार्य ही करना है ।

- प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन परिवारों में अभिभावक दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं , उस परिवार की बालिकायें अभिभावकों के घर से बाहर रहने पर घरेलू कार्यो को निपटानें में व्यस्त रहती है तथा अपने छोटे भाई , बहनों की देख भाल करती है । इसलिए स्कूल नहीं जा पाती है ।

- कुछ समुदाय विशेष (मुस्लिम) के परिवारों की बालिकायें मदरसों की दीनी शिक्षा तक ही सीमित रह जाती है । उन परिवारों के अनपढ़ अभिभावक बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को धर्म विरूद्ध मानते है साथ ही साथ पर्दाप्रथा के कारण इस समुदाय में बालिकाओं को सामान्यतः स्कूलों में भेजने से कतराते है ।

- ग्रामीण क्षेत्र में अब भी अज्ञानता के कारण छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है । निर्धन तथा अशिक्षित परिवारों में इस प्रथा की बाहुल्यता है । इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण बालिकायें स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है ।

- व्यावसायिक शिक्षा के अभाव तथा बेराजगारी को देखते हुए प्रायः अभिभावक यह समझते है कि बालिकाओं की शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। और स्कूल भेजने की अपेक्षा वे बालिकाओं को घर के काम काज तथा पारिवारिक पेशें में ही उन्हें व्यस्त कर देना चाहते है ।

- डीपीईपी. के क्रियान्वयन के उपरान्त भी कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय , पेयजल , चार दीवारी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में भी लड़कियॉ बड़ी होने पर शाला का परित्याग कर देती है ।

7.3 बिज कोर्स :–

सड़क , प्लेटफार्म , दूकानों , घुमन्तू बच्चों , नौकरी पेशा , कुलीगिरी तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों जिनका वर्ग सामान्यतः 6–14 वर्ष की आयु का है , के लिए ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन बालक बालिका शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे । इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का है । इस जिले में परियोजना अवधि में कुल 80 ब्रिज कोर्स संचालित किए जाने का प्रावधान है ।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती है । इसमें बच्चों की निर्धारित संख्या 15–20 तक होगी तथा ये शिविर पूर्णतः आवासीय होंगे । इन शिविरों में बच्चों के रहने , खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी । निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इन शिविरो में 1 केयर टेकर , 2 पेराटीचर , 1 रसोईयां एवं 1 चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । इन शिविरों का निर्धारण जिले की माइक्रोपलानिंग के आधार पर किया जायेगा । सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत ब्रिज कोर्स को सुविधानुसार आवासीय एवं गैर आवासीय वर्गो में विभक्त किया गया है । जिससे आवासीय ब्रिज कोर्स की संख्या 2006–07 तक 48 तथा गैर आबासीय ब्रिज कोर्स की संख्या 2006–07 तक 32 रखी गई है। जिन पर कुल व्यय 75.12 लाख रूपये किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Bridge Course | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Residential | 1.074 | 0 | 0.000 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 48 | 51.552 |
| Non-Residential | 0.300 | 0 | 0.000 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 32 | 9.600 |

7.4 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा :–भारत वर्ष की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है । शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को

तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता । बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहॉ बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है , वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है । समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं माध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है । इसलिए बच्चों के विकलांगता एवं अक्षमता के सम्बन्ध में चिन्हीकरण आवश्यक है । धौलपुर जिले में बालगणना द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 1365 है ।

7.4.1 विकलांगता का प्रकार व असेसमेन्ट :–

धौलपुर जिले में बाल गणना मई , जून 2001 में सम्पन्न की गयी थी । उसके आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 4507 चिन्हित की गयी थी । आगामी वर्षो में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान यथा–दृष्टि विकलांगता , श्रवण एवं वाणी विकलांगता , अस्थि विकार विलांगता , मानसिक मन्दता , अधिगम मन्दता वाले छात्र–छात्राओं का परीक्षण डाक्टरों की एक टीम द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा योजना उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार की जायेगी व उनके लिए उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1200/– प्रति लाभार्थी की दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । इन विकलांग बच्चों हेतु 2003–04 से 2006–07 प्रतिवर्ष 16.38 लाख रूपये व्यय किये जाएगे । धौलपुर जिले में विकलांग बालकों की संख्या विकलांगतानुसार निम्न प्रकार हैः–

| विकलांगता का प्रकार | विकलांग बच्चों की संख्या |
|---|---|
| **Impired** | **1142** |
| **Liimbs** | **121** |
| **Viision** | **02** |
| **Bliend** | **166** |
| **M.R.** | **100** |
| **Total** | **1531** |

### 7.4.2 शिक्षकों का सवेदीकरण /प्रशिक्षण :–

डीपीईपी.के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विकसित ट्रेनिंग माड्यूलों को धौलपुर जिले में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनाया जायेगा । अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय , परिवार एवं अध्यापकों का सवेदीकरण आवश्यक है। और संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है । अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दिखाते है, जबकि वास्तव में इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है । उनकी समक्षताओं को और विकसित करने के लिए शिक्षकों को इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस परियोजना में रखा गया है ।

### 7.4.3 अध्यापकों का सेवारत् प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जाऐगा । इस हेतु प्रशिक्षण के लिए विकसित माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा :–

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
- इन बच्चों को समूह शिक्षण के लिए विकसित कराना ।
- कक्षा–कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन ।
- विकलांग बच्चों , इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श देना ।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों मे जागरूकता उत्पन्न करना ।

शिक्षकों के प्राशिक्षण हेतु 20 दिवसीय ,41 दिवसीय,30 दिवसीय एवं 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 272.837 लाख रूपये व्यय किये जायेगे ।

7.4.4 छात्र स्वास्थय परीक्षण :–

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 6–11 आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण इस जिले में होता रहा है , जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिले है । बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से बच्चों में पनपने वाली अनेक छोटी/बड़ी बीमारियों की जानकारी उनकी प्रारम्भिक अवस्था में हो जाती है । इन बिमारियों से प्रायः अभिभावक अनभिज्ञ रहते है , बाद में यही बीमारियॉ भयानक रूप ग्रहण कर लेती है । ऐसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम अति आवश्यक है । जिला के राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 6–11 वर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से करावाया जायेगा । एवं प्राथमिक विद्यालयों में करवाया जा रहा है ।

छात्र स्वास्थ्य परिक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी की देख–रेख में गठित की जायेगी । जो प्रत्येक वर्ष में एक बार 6–14 आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेगी । स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम विद्यालय के रजिस्टर में संधारित किए जाकर चिन्हित बच्चों को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग लिया जायेगा ।

**7.5 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति /अल्प संख्यकों /निर्धनतम परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा :–**

7.5.1 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति/ निर्धनतम परिवारों के निर्धनतम परिवारों के वर्ग के जिले में कुल 5074 बालक एवं 4321 बालिकाएँ शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार विद्यालय से वंचित पाए गए है । इनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान तो किया ही गया है , साथ ही साथ इन छात्रों को शालाओं के प्रति आकर्षित करने हेतु एक–एक टी. एल.एम. किट जिसकी लागत रू. 100/– प्रति किट अनुमानित होगी , दिए जायेंगे । इस किट की सहायता से छात्रों की रचानात्मकता में वृद्धि हो सकेगी । इसके अलावा इस वर्ग की छात्राओं को वर्ष में दो बार निशुल्क

शाला–वेशभूषा प्रदान किए जाने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है । वेशभूषा हेतु रू. 200/– प्रतिछात्रा , प्रतिवर्ष की दर से व्यय होने का अनुमान है ।

7.5.2 मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा से जोडने में इनकी सामाजिक स्थिति आड़े आती है । इस वर्ग की आर्थिक एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता भी महिला अशिक्षा में सहायक है । ये वर्ग बालिकाओं को गृहकार्य में व्यस्त करने या अपने पुश्तैनी तकनीकी व्यवसाय यथा आरी–तारी , कशीदाकारी या चूड़ी उधोग से जोड़ना पसन्द करते है । या फिर मदरसों में दी जानें वाली धार्मिक शिक्षा तक ही उन्हें सीमित रखते है सर्व शिक्षा अभियान में निम्न उपाय ऐसे वर्ग की बालिकाओं हेतु किए गए है :–

- महिला शिक्षा हेतु सामाजिक चेतना लाने का कार्य सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा ।
- इन वर्गो से जुड़े तकनीकी व्यवसायों को विद्यालयों में पृथक से संचालित किए जाने का प्रावधान रखा गया है । ऐसे प्रत्येक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 1000/– तक का प्रावधान इस परियोजना में रखा गया है ।
- मुस्लिमों द्वारा संचालित मदरसों को वैकल्पिक विद्यालय के रूप में मान्यता देकर उन्हें इस संबंधी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान इस परियोजना में किया गया वे जिले में ऐसे कुल 60 मदरसों को चिन्हित किए जा चुके है ।

7.6 धुमक्कड़ परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा :–

जिले में गुर्जर , मीणा , गाड़िया लुहार , मलाह/निसाद तथा नायक जाति के परिवार अपने पशुधन को चराने , रोजी–रोटी कमाने हेतु वर्ष पर्यन्त एक जिले से दूसरे जिले में घूमते रहते है । इस कारण इनके बच्चों को भी इनके साथ रहना पड़ता है । फलस्वरूप

शिक्षा से इनका जुड़ाव संभव नहीं हो सकता है । इन परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में पृथक से प्रावधान रखा गया है ।

ऐसे बालकों को चिन्हित कर , जहां 10–15 बच्चें एक साथ तथा कम से कम एक माह तक उपलब्ध हो सकते है , वहॉ आवासीय ब्रिज कोर्स की स्थापना की जाएगी । यहॉ इन बच्चों को निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान से की जाने का प्रावधान है । इन सभी छात्रों को एक–एक एल.जी.सी. (लर्निंग ग्रेड कार्ड) प्रदान किए जाऐंगे जिनसे यह स्पष्ट होगा कि अमुक छात्र ने इस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है । इनको सरकार द्वारा अन्य जिलों में भी मान्यता देने हेतु निवेदन किया जाएगा । अतः घुमन्तु परिवार के वालको हेतु 2003–04 से 2006–07 तक अनुमानित 200 बालकों की शिक्षा हेतु 24.00 लाख रूपये व्यय किये जायेगे ।

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा :–

जिले के विभिन्न शहरों में स्टेशनों , गलियों तथा पर्यटक स्थलों से कचरा बीनने वाले बालक/बालिकाओं एवं बचपनं से ही परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण धनोपार्जन या मजदूरी में लगे बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु आवासीय /गैर–आवासीय ब्रिज कोर्स का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है । ऐसे प्रत्येक ब्रिज कोर्स हेतु 50/– प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय किए जाने का अनुमान है तथा इनमें भी अध्ययनरत सभी छात्रो को एक–एक टी.एल.एम. किट (100/–रू.मूल्य) का दिया जाएगा । एवं इन्हें निःशुल्क भोजन एवं आवास उपलब्ध कराए जाने का सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान रखा गया है । इसके हेतु कामकाजी बालकों की शिक्षा हेतु अनुमानित 300 बालकों हेतु कुल 7.605 लाख रूपये व्यय किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Education for Working Children | 0.00845 | 0 | 0.000 | 300 | 2.535 | | 0.000 | 300 | 2.535 | 300 | 2.535 | 900 | 7.605 |

7.8 नवाचार :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचार मद में 50 लाख रूपये प्रतिव f का प्रावधान रखा गया है। जिनकों

1. शिशुशिक्षा केन्द्रों की सीापना।
2. कम्प्यूटर शिक्षा
3. व्यावसायिक शिक्षा
4. आंदर्श विद्यालय की स्थापना ।
5. मदरसा सुद्रणीकरण आदि पर व्यय किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी मद में 15 लाख से अधिक व्यय नही होना चाहिए।

# अध्याय 8

## अनुसंधान मूल्यांकन ,परिवीक्षण , एवं प्रबोधन

8.1 अनुसंधान एवं मूल्यांकन :–

जिले कि परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान कार्यो का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम , कक्षा शिक्षण , विद्यालय प्रबन्ध , मूल्यांकन आदि क्षैत्रो में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है । इस हेतु शिक्षकों तथा परियोजना एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण डाईट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा । डाईट की भूमिका मुख्यतः एक्सन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन अनुसंधान परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर उन्हें पूर्ण कराने की होगी ।

8.2 मूल्याकंन व्यवस्था :–

छात्रों के मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली हेतु जो व्यवस्था वर्तमान में है , उचित है । किन्तु उसमे और सुधार के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा सी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर ली जावे । यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई जाऐंगी और परीक्षा के मूल्यांकन की व्यवस्था डाईट पर की जावेगी । इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र भी डाईट के सहयोग से बनायें जाऐगे । इसके लिए शिक्षकों को प्रथक से प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है । छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी ।

8.3 परिवीक्षण :–

अकादमिक परिवीक्षण में डाईट , बी.आर.सी. , सी.आर.सी. तथा विद्यालय स्तरीय शिक्षा समिति की समेकित भूमिका रहेगी । विद्यालय शिक्षा स्तर समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित की जाऐगी , जिसमें शाला में अकादमिक सुधारों संबन्धी विषयों

पर चर्चा होगी । यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक का प्रतिवेदन सी.आर.सी. के माध्यम से बी.आर.सी. कार्यालय को प्रस्तुत करेगी । बी.आर.सी. कार्यालयों पर इन सभी विद्यालय स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाकर इनका समेकित प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाऐगा । जिला स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा इस संबन्ध में त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन राज्य स्तर को प्रस्तुत किया जाऐगा । इस हेतु जिले के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों से व्यापक समन्वयन किया जाकर परिवीक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाऐगा । तथा उन्हें भी इस कार्य हेतु आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का सर्व शिक्षा अभियान में पृथक से प्रावधान किया गया है । इन अनुसंधान ,मूल्यांकन,परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सर्वशिक्षा अभियान में 19.222 लाख रूपये व्यय किये जायेगे ।

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Research, Evaluation, Supervision & Monitoring | 0.014 | 248 | 3.472 | 250 | 3.500 | 250 | 3.500 | 300 | 4.200 | 325 | 4.550 | 1373 | 19.222 |

8.4 प्रबोधन :–

सर्व शिक्षा अभियान में जन–समुदाय पर आधारित प्रबोधन तंत्र व्यवस्था है। इस अभियान में प्रबोंधन दो भागों में विभाजित है ।

1) शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र (ई.एम.आई.एस.)

2) योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.)

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपरोक्त तीनों सूचना तंत्रों के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर तथा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था का समुचित प्रावधान सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन में रखा गया है।

8.4.1 शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र :– जिले में प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रत्येक शालाओं से संबन्धित समस्त सुचनाओं को संकलित किया जायेगा । इन सभी सुचनाओं को जिला स्तर पर स्थित " डाईस सॉफ्टवेयर " (जो की " निपा " द्वारा विकसित किया गया है ) में संकलित किया जाकर राज्य स्तर को प्रस्तुत किया जाऐगा। इस कार्य में नियोजित तकनिकी स्टॉफ यथा–एम.आई.एस.प्रभारी एवं उसके सहयोगी कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रदान किया जाऐगा ।

8.4.2 योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) :–

गुणवत्ता सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य बिन्दु है। यह सूचना तंत्र कार्यक्रम की गुणवत्ता में हुए सुधार की सूचना को संकलित करने का उपयोगी सॉफ्टवेयर है । सर्व शिक्षा अभियान में सूचना प्रबन्धन तंत्र में जिले स्तर पर दो कम्प्यूटर , एक यू.पी.एस. दो प्रिन्टर तथा ब्लॉक स्तर पर एक कम्प्यूटर , एक प्रिन्टर की व्यवस्था की गई है । एम.आई.एस. स्टॉफ (प्रबंधन सूचना तंत्र स्टाफ) सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जिले स्तर पर एक प्रबन्धन सूचना तंत्र अधिकारी तथा 2 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा ब्लॉक स्तर पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था है ।

# अध्याय 9

## प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका :–

प्रबंधन शब्द का संबंध केवल औद्योगिक क्षेत्र से ही नहीं वरन् शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको प्रचूर उपयोग में लाया जा रहा है । प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है । प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है । वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है , ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्नमुखी विकास में सहायक बन सके । प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :–

- उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण ।
- पर्याप्त संसाधन (शिक्षक,शिक्षण विधाएं ,भौतिक संसाधन ,खेल मैदान , प्रयोगशाला , पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।
- सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध करता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों के कार्यों का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर व्याप्त कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है । सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2.जिला स्तरीय कार्यालय पर प्रबन्धन :–

सर्व शिक्षा अभियान के सफल कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यालय में सारणी सं. 9.1 में दर्शायें अधिकारी / कर्मचारी उनके सन्मुख अंकित संख्या तथा वेतनमान में नेयोजित किए जाऐंगे । ये अधिकारी या तो राजकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाऐगें अथवा संविदा पर लगाए जाऐंगे ।

सारणी संख्या 9.1

जिला स्तरीय प्रबंधन

| क्र.सं. | पदनाम | संख्या | वेतनमान | प्रतिनियुक्ति /संविदा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला परियोजना समन्वयक | 1 | 9000–14400 | प्रतिनियुक्ति |
| 2 | सहायक परियोजना समन्वयक | 4 | 8000–13500 | प्रतिनियुक्ति |
| 3 | सहायक अभियन्ता | 1 | 8000–13500 | प्रतिनियुक्ति |
| 4 | सहायक लेखाधिकारी | 1 | 6500–10500 | प्रतिनियुक्ति |
| 5 | कार्यक्रम सहायक | 3 | 6500–10500 | प्रतिनियुक्ति |
| 6 | लेखाकार | 1 | 5500–9000 | प्रतिनियुक्ति |
| 7 | केशियर कम स्टोर कीपर | 1 | 4000–6000 | प्रतिनियुक्ति |
| 8 | कनिष्ठ अभियन्ता | 1 | 5500–9000 | प्रतिनियुक्ति |
| 9 | एम.आई.एस.प्रभारी | 1 | 7000/प्रति माह | संविदा |
| 10 | प्रोग्रामर कम ऑपरेटर | 2 | 5000/–प्रति माह | संविदा |
| 11 | स्टनों टाईपिस्ट | 4 | 4000/–प्रति माह | संविदा |
| 12 | सहायक कर्मचारी | 6 | 2500/–प्रति माह | संविदा |

उपरोक्त जिला स्तरीय प्रबंधन पर व्यय 2002–03 से 2005–06 तक डी0पी0ई0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा 2006–07का व्यय एस.एस.ए. द्वारा किया जायेगा ।

जो निम्नानुसार है :–

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| District Project Office | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| District Project Coordinator | 2.4 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 |
| Assistant Project Coordinator(4) | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.600 | 4 | 3.600 |
| Programme Assistant (3) | 1.44 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 3 | 2.160 | 3 | 2.160 |
| AAO (1) | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.900 | 1 | 0.900 |
| Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant Engineer (1) | 1.68 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00-0 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 |
| Junior Engineer (no of blocks +1) | 1.32 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 10 | 6.600 | 5 | 6.600 |
| Cashier cum Store Keeper (1) | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 |
| Office Assistant (4) | 0.48 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.960 | 4 | 0.960 |
| Assistant (6) | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 6 | 0.918 | 6 | 0.918 |
| Recurring Cost | 2.5 | | 3.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.250 | 1 | 4.250 |
| Vehicle Hire | 2.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.250 | 1 | 1.250 |
| Maintenance of Equipment | 0.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.250 | 1 | 0.250 |
| TA/DA of Staff | 0.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.250 | 1 | 0.250 |
| Rent of Building | 1 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 |
| Assistant Project Coordinator | 1.8 | | 0.000 | 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 4 | 7.200 |
| Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 | 4 | 4.800 |
| L.D.C | 0.6 | | 0.000 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 | 4 | 2.400 |
| Office Assistant | 0.48 | | 0.000 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 4 | 1.920 |

**9.3 कार्यकारी परिषद् :–**

सर्व शिक्षा अभियान के धौलपुर जिले में कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया है । यह परिषद् शासकीय परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट प्राथमिकताओं एवं सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित कार्य योजना अनुसार कार्य संचालन हेतु जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करेगी । तथा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किए गए कार्यो की सर्वांगीण समीक्षा करेगी । इस परिषद् की बैठक प्रत्येक त्रिमाही में एक बार होगी , जिला परियोजना समन्वयक इस परिषद् का सदस्य सचिव होगा तथा अन्य जिला स्तरीय गण , जिनका विवरण निम्नानुसार है , इस परिषद् के सदस्य होगे :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. जिला कलेक्टर धौलपुर | – | अध्यक्ष |
| 2. जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. धौलपुर | –सदस्य सचिव | |
| 3..अति. जिला कलेक्टर (विकास) धौलपुर | – | सदस्य |
| 4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् धौलपुर | – | सदस्य |
| 5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 सदस्य | – | सदस्य |
| 6 उपखण्ड अधिकारी(समस्त) | – | सदस्य |
| 7. विकास अधिकारी (समस्त) | – | सदस्य |
| 8.उप निदेशक महिला एंव बाल विकास धौलपुर | – | सदस्य |
| 9. अधिशाषी अभियन्ता , ज.स्वा.अभियन्ता विकास नगौर | – | सदस्य |
| 10. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर | – | सदस्य |
| 11. जिला समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर | – | सदस्य |
| 12. प्राचार्य , डाईट ,धौलपुर | – | सदस्य |
| 13. सचिव , जिला साक्षरता समिति धौलपुर | – | सदस्य |
| 14. दो प्रगतिशील एवं समाज सेवी महिलाएं | – | सदस्य |
| 15. शिक्षक संगठनों के दो मनोनीत पदाधिकारी | – | सदस्य |
| 16. डीपीईपी. के जिला स्तरीय अधिकारी धौलपुर | – | सदस्य |
| 17. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (समस्त) , डीपीईपी. | – | सदस्य |

**9.4 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से बेहतर समन्वयन :–**

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं उन्नयन हेतु कार्यरत है । जिसके अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ,अवर जिला शिक्षाधिकारी तथा संस्थापन व लेखा संबंधी कार्मिक कार्यरत है। ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी के अधीन अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अवर विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जिन पर ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं परिवीक्षण का दायित्व है । जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों से समन्वयन का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक का है । इस प्रकार विभागीय अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर एवं परिवीक्षण हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन उपलबध करवायें जाऐगे । इससे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का शालाओं में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा । जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को एक फोटो कॉपीयर तथा उसके घर पर एक टेलीफोन देय होगा। इसी प्रकार ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को कार्यालय के

लिए एक टेलीफोन एक फोटोकॉपीयर एक कम्प्यूटर आपरेटर सहित कार्यालय के लिए देय होगे। जिला परियोजना समन्वयक को कार्यालय में इन्टरनेट सुविधा 5 कम्प्यूटर आपरेटरों सहित किराये पर लेने होगे। घर पर एक टेलीफोन देय होगा। दो वाहन कार्यालय के डीपीसी को सर्व शिक्षा अभियान से देय होगे।

## 9.5 शासकीय परिषद् :–

सर्व शिक्षा अभियान के धौलपुर जिले में कियान्विति की प्राथमिकताएं तय करने , इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यो की सर्वांगीण समीक्षा करने हेतु जिला प्रमुख धौलपुर की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् का गठन किया गया है । इस परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. , धौलपुर इस परिषद् के सदस्य सचिव होंगे । परिषद् के अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

| | | |
|---|---|---|
| जिला प्रमुख , जिला परिषद् धौलपुर | – | अध्यक्ष |
| 1. सांसद, बयाना | – | सदस्य |
| 2. समस्त विधायक गण, जिला धौलपुर | – | सदस्य |
| 3. जिला कलेक्टर,, धौलपुर | – | सदस्य |
| 4. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ;विकासद्ध धौलपुर | – | सदस्य |
| 5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् धौलपुर | – | सदस्य |
| 6. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर | | सदस्य |
| 7. जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , धौलपुर । | – | सदस्य |
| 8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , धौलपुर। | – | सदस्य |
| 9. उप निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , धौलपुर । | – | सदस्य |
| 10. अधिशाषी अभियन्ता , सा.नि.वि. , धौलपुर । | | सदस्य |

11. अधिशाषी अभियन्ता , ज.स्वा.अभि.वि. धौलपुर । – सदस्य

12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी धौलपुर । – सदस्य

13. जिला समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर । – सदस्य

14. सचिव , जिला साक्षरता समिति धौलपुर । – सदस्य

15. शिक्षक संगठनों के सदस्य (2 सदस्य) । – सदस्य

समाज सेवी एवं प्रगतिशील महिलाएं । (2 सदस्य) समूह की मासिक बैठक निश्चित होगी । इस बैठक में परियोजना के तहत किए गए कार्यो की प्रगति की समीक्षा एवं भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाऐगी ।

## 9.6 खण्ड संदर्भ केन्द्र :–

जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर इस परियोजना कं अन्तर्गत खंड संदर्भ केन्द्र स्थापित किए जायेंगे । इस केन्द्र का प्रभारी खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी होगा जो कि राज्य शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा । खण्ड स्तरीय कार्यालय में निम्नानुसार विभिन्न वर्गो के अधिकारी लगाए जाने का प्रावधान है :–

सारणी 9.2

ब्लॉक स्तरीय प्रबंधन

| क्र.सं | नाम मद | संख्या | वेतनमान | प्रतिनियुक्ति / संविदा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी | 1 | 8000–13500 | प्रतिनियुक्ति से |
| 2 | संदर्भ व्यक्ति | 4 | 6500–10500 | प्रतिनियुक्ति से |
| 3 | कनिष्ठ अभियंता | 1 | 5500–9000 | प्रतिनियुक्ति से |
| 4 | कार्यालय सहायक | 2 | 4000–6000 | प्रतिनियुक्ति से |
| 5 | सहायक कर्मचारी | 1 | 2500 | संविदा पर |
| 6 | टाईपिस्ट | 1 | 3500 | संविदा पर |
| 7 | डाटा एन्टरी ऑपरेटर | 2 | 4000 | संविदा पर |

खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस परियोजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन का उत्तरदायी होगा । ब्लॉक में कार्यरत समस्त संकुल संदर्भ सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं परिवीक्षण रखेगा । इस हेतु वह सभी संकुल संदर्भ सहयोगियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा तथा उनसे प्राप्त प्रगति को संकलित कर जिला कार्यालय को अवगत कराएगा । तथा ब्लॉक स्तर एवं संकुल स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण , परिवीक्षण एवं उनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से तथा ब्लॉक शिक्षा (प्रारम्भिक) अधिकारी से पूर्ण समन्वय रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होने के नाते इस समिति के सभी क्रिया कलाप उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाऐंगे । तथा समय–समय पर जिला स्तर से आयोजित बैठकों में ब्लॉक स्तर का प्रतिनिदित्व करेगा । खण्ड सदंर्भ केन्द्र पर कार्यरत संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यो यथा सम्बलन,फॉलोअप,प्रबोधन एवं प्रेरण आदि कार्यो में सहयोग किया जायेगा । तथा प्रशिक्षण के बादशालाओं में जाकर अवलोकन परिवीक्षण प्रशिक्षणों के दौरान सिखाई गई विधाओं का शालाओं एवं कक्षा शिक्षण में वांछित एवं प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करते हुऐ संकुल सर्दभ केन्द्रो का भी शैक्षणिक एवं अन्य कार्यो में अनुश्रवण सर्दभ व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा ।

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा उनकी सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा । ब्लॉक स्तरीय प्रबंधन पर 2002–03 से 2005–06 तक डी0पी0ई0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा 2006–07 का प्रबधंन व्यय सर्वशिक्षा अभियान के तहत किया जायेगा जो निम्नानुसार है

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Block Resource Centre | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Salary of BRCF | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.600 | 4 | 3.600 |
| Salary of Resource Person | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 12 | 7.200 | 12 | 7.200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officc Assistant | 0.48 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.960 | 4 | 0.960 |
| Salaries of Clerk | 0.7 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 1.400 | 4 | 1.400 |
| Salaries of Assistant | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.612 | 4 | 0.612 |
| Furniture for BRC | 1.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Contingency | 0.125 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.250 | 4 | 0.250 |
| Meeting / Travel Allowance | 0.06 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.120 | 4 | 0.120 |
| TLM Grant | 0.05 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.100 | 4 | 0.100 |

## 9.7 ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा विभिन्न स्तरों पर समितियॉ गठन करने का प्रावधान किया गया है । इसी क्रम में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति भी ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा की क्रियान्विति हेतु गठित की गई है । यह समिति प्रत्येक त्रैमासिकी में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करेगी । संबंधित ब्लॉक का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है ।

1. प्रधान पंचायत समिति – अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी – सदस्य
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. शिक्षा प्रसार अधिकारी – सदस्य
5. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य
6. प्राचार्य,रा.सी.उ.मा.वि. (ब्लॉक मुख्यालय) – सदस्य
7. चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) – सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 8. दो उत्साही एवं प्रगतिशील सरपंच | – | सदस्य |
| 9. शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो) | – | सदस्य |
| 10. समाज सेवी महिलाएं (दो) | – | सदस्य |
| 11. सेवा निवृत अध्यापक (दो) | – | सदस्य |
| 12. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी. सचिव | – | सदस्य |

## 9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विति में सकुल संदर्भ केन्द्रो की महत्ती भूमिका है । प्रत्येक ब्लॉक की 2 पंचायतों को मिलाकर एक संकुल की परिकल्पना की गई है । जिसका मुख्यावास 8 किलोमीटर की परिधि में पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया है । संकुल केन्द्र पर एक कार्यालय तथा एक प्रशिक्षण हॉल का निर्माण कराया गया है । संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से उपस्थिति होगा । संकुल के अधीन आनेवाले सभी प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव गॉधी पाठशालाओं एवं शिक्षाकर्मी पाठशालाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संकुल संदर्भ केन्द्र पर रहेगा । संकुल केन्द्र में प्रत्येक माह में 2 दिवसीय अध्यापक बैठक आयोजित की जाऐगी । उस बैठक में शालाओं से संबधित सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की जाकर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाऐगी । इन्ही सभागारों में वर्ष में एक बार महिला समूह की बैठक भी आयोजित की जायेगी , जिसमें महिला जागरूकता तथा बालिका शिक्षा के विकास पर जोर दिया जावेगा । अनामांकित बालिकाओं को शाला से जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण कर उनका ठहराव सुनिश्चित करना ही संकुल संदर्भ केन्द्र की स्थापना के प्रमुख लक्ष्य है । डीपीईपी. कार्यक्रम लागू होने के पश्चात जिले में कुल 55 संकुल संदर्भ केन्द्रों की संख्या है । इन 55 संकुल संदर्भ केन्द्रो में भवन का कार्य 46 संकुलों पर चल रहा है एवं 41 संकुल केन्द सहयोगी कार्यरत है । शेष में भवन निर्माण एवं आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है । संकुल स्तरीय प्रबंधन पर 2002–03 से 2005–06 तक

डी0पी0ई0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा 2006–07 का प्रबधंन व्यय सर्वशिक्षा अभियान के तहत किया जायेगा जो निम्नानुसार है

| Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| Access & Retention | | | | | | | | | | | | | |
| Cluster Resource Centre | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Salary of CRCF | 1.200 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 33.000 | 55 | 33.000 |
| Furniture for CRC | 0.100 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Contingency | 0.0025 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.069 | 55 | 0.069 |
| Meeting / Travel Allowance | 0.024 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.660 | 55 | 0.660 |
| TLM Grant | 0.01 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.275 | 55 | 0.275 |

## 9.10 संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के कार्य :–

संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के कार्य निम्न प्रकार होगे :–

- सभी विद्यालयों (संकुल परिक्षेत्र में आने वाले) का प्रभावी ,सम्बलन करेगा तथा रिर्पोट ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति माह प्रेषित करेगा ।
- संकुल के अधीन आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करना ।
- जन सहभागिता विकसित करने हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- महिला बैठकों का आयोजन करना ।
- सभी विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन कमेटी का नियमानुसर गठन करवाना तथा उनके सदस्यों का प्रशिक्षण करवाना एवं उनकी समय–समय पर बैठके आयोजित करवाना ।ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।

- शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री की राशी का समुचित उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण देना तथा उसका पूर्ण परिवीक्षण करना ।
- संकुल के अधीन आने वाले सभी विद्यालयों में नामांकन , ठहराव तथा गुणवता पूर्ण आनन्ददायी शिक्षण विधियों की कियान्विति सुनिश्चित करना तथा इसके लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार करना ।

## 9.11 शाला प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) :–

शाला प्रबंधन कमेटी का गठन भी सर्व शिक्षा अभियान को जन सहभागिता से जोड़ने के काफी मदद् गार है । इस कमेटी की परिकल्पना शाला के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण के निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। कमेटी का गठन ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । जिसके सदस्य निम्न प्रकार होते है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच | – | अध्यक्ष |
| (अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो ) | | |
| 2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी | – | सदस्य |
| 3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी | – | सदस्य |
| 4. ग्राम सेवक | – | सदस्य |
| 5. पटवारी | – | सदस्य |
| 6. ए.एन.एम. / महिला शिक्षक | – | सदस्य |
| 7. दो महिला अभिभावक | – | सदस्य |
| 8. दो पुरूष अभिभावक | – | सदस्य |
| 9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से) | – | सदस्य |
| 10. शाला के दो अध्यापक | – | सदस्य |

11. शाला प्रधानाध्यापक — सदस्य सचिव

इस समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी । जिसमें विद्यालय में नामांकन की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श तथा वंचित बालक/ बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के उपायों पर विस्तृत चर्चा , शाला की भौतिक स्थिति पर विचार विमर्श तथा शिक्षकों के क्रिया कलापों की समीक्षा की जाऐगीं । प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

कमेटी शाला के विकास में जनसहयोग एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राप्त समस्त प्रकार की राशियों का सही उपयोग सुनिश्चित करेगी ।

## 9.12 भवन निर्माण समिति :–

विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास कार्यभार अधिक होने के कारण विद्यालय में संपादित किए जाने वाले निर्माण कर्यों का कियान्वयन , परिवीक्षण , गुणवता नियंत्रण , सामग्री आपूर्ति व्यवस्था , सामाजिक अंकेक्षण तथा लेखा संधारण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन निर्माण समिति के गठन का प्रावधान रखा गया है । प्रत्यक्षतः यह समिति विद्यालय प्रबन्ध समिति की ही एक उप–समिति होगी । इस समिति के दो सदस्य अध्यक्ष एवं सचिव विद्यालय प्रबंध समिति के ही अध्यक्ष एवं सचिव होंगे । इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

| | |
|---|---|
| 1. शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष | – अध्यक्ष |
| 2. शाला प्रबंध समिति का सचिव | – सदस्य सचिव |
| 3. एक कुशल कारीगर | – सदस्य |
| 4. शाला का एक अध्यापक | – सदस्य |
| 5. दो अभिभावक (एक महिला,एक पुरूष) | – सदस्य |
| 6. ग्राम सेवक | – सदस्य |

यह समिति विद्यालय में समस्त प्रकार के निर्माण कार्यो के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी तथा ब्लॉक स्तरीय कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में कार्य करेगी ।

9.13 कोषन–प्रवाह :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 75% राशी केन्द्र सरकार एवं 25% राशी राज्य सरकार द्वारा नियोजन संबन्धित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रराज्य क्रियान्वयन समिति के खातें में आवंटित कराई जाएगी । इसके बाद तद्नुरूप वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् राज्य स्तरीय परियोजना कार्यालनय द्वारा जिला स्तरीय परियेाजना कार्यालय के बैंक–खातें में राशि – स्थानांतरित कर दी जाएगी । जिला स्तर पर इस परियेाजना का बैंक में खाता खोला जाएगा जो कि जिला कलेक्टर , जिला परियेाजना समन्वयक एवं सहायक लेखा अधिकारी में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से संचालित होगा । जिला स्तरीय कार्यालनय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य–योजना के अनुरूप ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के खातें में प्रथम किश्त की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी । ब्लॉक–स्तरीय कार्यालनय के माध्यम से ही अनुमोदित एवं स्वीकृत मदों के अनुसार ही संकुल संदर्भ कार्यालनय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति को 15 दिवस के भीतर उक्त राशि का स्थानांतारण किया जाएगा । परियेाजना की लेखा संबंधी आवधारणा के अनुसार ही प्रथम किश्त के उपयोग संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही द्वितीय किश्त का स्थानांतरण विभिन्न स्तारों से उक्तानुसार किए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

इस प्रकार प्राप्त राशि के सही उपयोग को विभिन्न स्तरों पर कुशल मॉनिटरिंग , परिवीक्षण एवं लेखा नियंत्रण से सुनिश्चित किया जाएगा ।

# अध्याय 10

## निर्माण कार्य

### 10.1 भूमिकका :–

धौलपुर र जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । यहाँ बालक व बालिकाओं का नामांकन बहुत अधिक है। जबकि कमरों की संख्या बहुत कम है । बालक व बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है । पीने का पानी , चार दीवारी , रैंप्स आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य ।।ला प्रबन्धन समितियों के द्वारा ही कराये जावेगे। जिनकेके मॉनीटरिंग जिला परियोजना समन्वयक, सहायक अभियन्ता कनि ठ अभियन्ता द्वारा। निरन्तर की जावेगी।

सर्व शिक्षक्षा अभियान के अन्तर्गत 1814.26 लाख के निर्माण कार्य कराने की व्यवस्था की गई है ।

| Activivites | Total requirement | Provided by DPEP | Provided by SSA |
|---|---|---|---|
| Schoool Building | | | |
| Two R Rooms | 80 | 20 | 60 |
| Three e Rooms | 124 | 20 | 104 |
| Addititional Class Room | 1290 | 870 | 420 |
| Commmon Toilets | 1291 | 1091 | 200 |
| Hand I Pump | 587 | 480 | 107 |
| PHEDD Connections | 28 | 00 | 28 |
| Rampss | 300 | 00 | 300 |

## 10.2 विधालय भवन

निर्माण कार्यो के अन्तर्गत 204 विधालय भवन अभी उपलब्ध नहीं है तथा जो विद्यालय किराये के भवनों में या किसी अन्य स्थान पर चल रहें हैं वहॉ डी0पी0ई0पी0 द्वारा 40 विद्यालय भव्वनों का निर्माण किया जायेगा । शेष 164 विद्यालय भवनों का निर्माण इस योजना के अर्न्तगत किया जायेगा।

### 10.2.1 ईकाई लागत

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन दो प्रकार के बनाये जायेंगे।

(अ) दो कक्षा कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 2.56 लाख रू. प्रति विद्यालय भवन होगी ।

(ब) तीना कक्षा–कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 3.6 लाख रू. प्रति विद्यालय भवन होगी ।

10.2.2 कुल विद्यालय भवनों की लागतः–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल दो कक्षा–कक्ष के 60 विद्यालय भवन व 104 तीन कक्षा–कक्ष के विद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा जो निम्नानुसार है :–

| विवरण | ईकाई लागत लाख | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | कुल लागत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PHY | FIN |
| दो कमरा कक्ष विद्यालय भवन | 2.56 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 153.6 |
| तीन कमरा कक्ष विद्यालय भवन | 3.6 | 0 | 10 | 35 | 14 | 45 | 104 | 374.4 |
| | | 00 | 15 | 45 | 29 | 75 | 164 | 528.0 |

### 10.2.3 निर्माण कार्य करने का तरीका

निर्माण कार्य कराने के लिए शाला प्रबन्धन्ध समिति , भवन निर्माण समिति का गठन करेगी जो निमण कार्य करायेगी जिनका सुप्परवीजन कनिष्ठ अभियन्ता ब्लॉक व सहायक अभियन्ता करेंगे । लेखा जोखा शाला प्रबन्धध समिति रखेगी । विद्यालय भवन के लिए जगह शाला प्रबन्ध समिति सरकारी भूमि या दान की हुई जमीन में से स्थान सुनिश्चित करेगी व खेलने के लिए मैदान हो यह भी ध्यानन रखें ।

## 10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष

जिन विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत कम है और नामांकन बहुत अधिक है उन विद्यालयों में बालक बालिकाओं के बैठनो के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जायेगा । कक्षा–कक्षों का निर्माण 40 बालक बालिकाओं पर एक कक्षा कक्ष हो यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा । कक्षा कक्ष 16 ग 20 से कम माप का नहीं होगा । इनका प्रावधान 2007 तक कुल 420 का लक्ष्य रखा गया है ।

### 10.3.1 इकाई लागत

प्रति अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की लागत 1.220 लाख है ।

10.3.2 कुल लागत :–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 420 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जायेगा जिनकी कुल लागत 504.0000 लाख रूपये है :–

| विवरण | ईकाई लागत लाख | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–007 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | कुल लागत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PHY | FIN |
| अतिरिक्त कक्षा–कक्ष | 1.20 | 00 | 20 | 50 | 150 | 200 | 00 | 00 | 00 | 420 | 504.000 |

10.3.3 निर्माण कार्य कराने का तरीका निर्माण का कार्य विद्यालय भवन की गठित भवन निर्माण समिति ही करायेगी जिनका परिवेक्षण कनिष्ठ अभियन्ता ब्लॉक व सहायक अभियन्ता करेंगे तथा लेखा जोखा शाला प्रबन्ध। समिति रखेगी । अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण विद्यालय कैम्पस में ही कराया जायेगा तथा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि खेल का मैदान कम न हो । जगह के अभाव में कक्षा–कक्ष प्रथम मंजिल पर भी बनाए जा सकते है । लेकिन सुरक्षा एवं पहुंच का ध्यान रखा जाएगा ।

## 10.4 शौचालय

सजकनीय विद्यालय में जहॉ शौचालय नहीं है या बालक बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है । वहां शौचालय। का निर्माण किया जायेगा ।

### 10.4.1 ईकाई लागत

प्रति शौचालय निर्माण को लागत रू. 0.100 लाख हैं ।

### 10.4.2 कुल लागत

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 200 शौचालयों का निर्माण किया जायेगा जिनकी लागत रू. 20.00 लाख है ।

| विवरण | ईकाई लागत लाख | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | कुल लागत लाखों में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PHY | FIN |
| शौचालय | 0.10 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 48.00 | |

## 10.5 पेयजल सुविधा

जहॉ विद्यालय भवनों में पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है वहां जल सुविधा की व्यवस्था की जायेगी । जल सुविधा तीन प्रकार से की जायेगी ।

1. पी.एच.ई.डी.कनेक्शन
2. हैण्ड पम्प
3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्च्चर /टांका

### 10.5.1 ईकाई लागत

1. पी.एच.ई.डी. कनेक्शन प्रतिलागत रू. 0.20 लाख है ।
2. हैण्डपम्प की प्रति लागत रू. 0.50 लाख है ।
3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्च्चर की प्रति लागत रू. 0.50/–लाख है ।

**10.5.2 कुल लागत** — सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 107 हैण्ड पम्प व 28 पी.एच.ई. डी. कनेक्शन लगाये जायेगें । जिन्नकी कुल लागत 59.10 लाख रूपये है।

| क्र.सं. | विवरण | ईकाई लागत लाख | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | कुल लागत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PHY | FIN |
| | पी.एच.ई.डी. कनेक्शन | 0.20 | 00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5.60 |
| | हैण्डपम्प | 0.50 | 00 | 100 | 100 | 139 | 0 | 107 | 53.5 |
| | वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| योग | | | | | | | | 135 | 59.10 |

## 10.6 रैम्पस

जिले में विकलांग बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवनों में रैम्पस बनाने का निर्माण किया जाना है । जिलें में कुल 300 रैम्पस का निर्माण किया जाना है । जिनकी कुल लागत रू. 60.00 लाख है ।

### 10.6.1 ईकाई लागत

रैम्पस बनाने के लिए रू. 0.20 लाख प्रति रैम्प है ।

10.6.2 कुल लागत :- सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 300 रैम्पस बनाये जायेगें । जिनकी कुल लागत 60.00 लाख रूपये है।

| विवरण | ईकाई लागत लाख | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | कुल लागत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PHY | FIN |
| रैम्पस | 0.20 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 00 | 300 | 60.00 |

# अध्याय 11

## लागत अनुमान

## सर्व शिक्षा अभियान , जिला–धौलपुर

धौलपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओ की शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये 6792.690 लाख की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसका 2002–03 में रूपये 379.0097 व 2003–04 में 1166.267 व 2004–05 में 1648.835 व 2005–06 में 1681.678 व 2006–07 में 1916.813लाख व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।उक्त सकल राशि का 26.71 प्रति ात राशि 1814.26 लाख रूपये निर्माण कार्यो पर व्यय किया जायेगा । प्रबन्धन व शैक्षणिक कार्यो पर कुल व्यय का 73.29 प्रतिशत राशि 4978.43 लाख रूपये व्यय किये जायेगें।

| Number of Teachers and Class rooms Required | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| NAME OF DISTRICT:DHOLPUR | | | | | | |
| | | | | | | |
| Year | 20001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| No. of Children 6-14 Age Groups | 187982 | 193809 | 199818 | 206012 | 212398 | 218983 |
| Out of School Children | 87738 | 1897 | | | | |
| Enrollment in Schools | 1799244 | 191912 | 199818 | 206012 | 212398 | 218983 |
| Enrollment in Private Schools | 361136 | 38382 | 39964 | 41202 | 42480 | 43797 |
| Enrollment in EGS/AS | 256682 | 27267 | 21667 | 18867 | 16067 | 13267 |
| Enrollment in Govt Schools | | 126263 | 138187 | 145943 | 153852 | 161919 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrollment in S Secondary Setup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrollment in h Elementary Setup | 0 | 126263 | 138187 | 145943 | 153852 | 16<br>19<br>19 |
| No. of Teacherers Required as PTR 1:40 | | 3157 | 3455 | 3649 | 3846 | 40<br>48 |
| No. of teacherers Required 1+6 Formula in UPS | | 1435 | | | | |
| No. of Teacheiers Required 1+4 Formula in PS | | 2620 | | | | |
| Total Requiremment according Formula | | 4055 | | | | |
| Sanctioned Posost of Teachers | | 3078 | | | | |
| Need of Additiitional(Para) Teachers as 1:40 Formula | | 79 | | | | |
| Need of A Additional(Para) Teachers required as Forrmula | | 977 | | | | |
| Increase in Enrcrollment | | | 11924 | 7756 | 7909 | 80<br>67 |
| Need of Teacachers Due to increase in Enrollment | | | 298 | 194 | 198 | 20<br>2 |
| No. of Class Rooms required presently | | 613 | | | | |
| No. of Class RRooms required due increase enrollment | | | 298 | 194 | 198 | 20<br>2 |
| | | | | | | |

SARVA SHIKSHA AABHIYAN (DHOLPUR)

2002-10

| | Name of Activities | | Unit Cost | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Access & Retention | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | Upgradation Primary S School to Upper Primary Schools | | | 45 | | 0 | | 0 | | 50 | | 25 | |
| 1.1 | Teacher Learning Equipment | G | 0.500 | 45 | 22.500 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 50 | 25.000 | 25 | 12.5 |
| 1.2 | Salaries of Head Master (@1000 PM) | 1 | 1.200 | 45 | 13.500 | 45 | 54.000 | 45 | 54.000 | 95 | 114.000 | 120 | 144. |
| 1.3 | Salaries of Teacher ((@7000 pm) | 0 | 0.840 | | 0.000 | 90 | 75.600 | 135 | 113.400 | 185 | 155.400 | 260 | 218. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | School Facilities Grant | 0.020 | | 0.000 | 45 | 0.900 | 45 | 0.900 | 45 | 0.900 | 95 | 1.90 |
| 1.4 | TLM to Teacher | 0.005 | 45 | 0.225 | 135 | 0.675 | 180 | 0.900 | 280 | 1.400 | 380 | 1.90 |
| 2.0 | Conversion of EGS (RGSJP)/AS into PS | 0 | | | 146 | | 162 | | 73 | | 73 | |
| 2.1 | Teacher Learning Equipment | 0.100 | 0 | 0.000 | 146 | 14.600 | 162 | 16.200 | 73 | 7.300 | 73 | 7.30 |
| 2.2 | Salaries of Teacher (@7000 pm) | 0.840 | 0 | 0.000 | 146 | 122.640 | 308 | 258.720 | 381 | 320.040 | 454 | 381. |
| 2.3 | *Honorium of Para Teacher* | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Ist Year | 0.180 | 0 | 0.000 | 584 | 105.120 | 648 | 116.640 | 292 | 52.560 | 292 | 52.5 |
| 2.3.2 | IInd Year | 0.204 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 584 | 119.136 | 648 | 132.192 | 292 | 59.5 |
| 2.3.3 | IIIrd Year | 0.228 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 584 | 133.152 | 648 | 147. |
| 2.3.4 | IVth Year | 0.252 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 584 | 147. |
| 2.4 | School Facilities Grant | 0.020 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 146 | 2.920 | 308 | 6.160 | 381 | 7.62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | TLM to Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 | 730 | 3.650 | 1540 | 7.700 | 1905 | 9.525 | 2270 | 11.3 |
| 3.0 | Education Gaurantee Scheme (EGS) | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 3.1 | No of Childern In primary school | 0.00845 | 27267 | 230.406 | 21667 | 183.086 | 18867 | 159.426 | 16067 | 135.766 | 13267 | 112.1 |
| 3.2 | No. of Childern In Upper Primary School | 0.012 | 0 | 0.000 | 300 | 3.600 | 300 | 3.600 | 300 | 3.600 | 300 | 3.60 |
| 3.3 | Enrollment Under AIE | 0.030 | 0 | 0.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.000 | 500 | 15.0 |
| 3.4 | Enrollment under NGO | 0.00845 | 0 | 3.000 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.450 | 1000 | 8.45 |
| 4.0 | Additional Para Teachers | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 4.1. | Ist Year | 0.180 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 4.1.2 | IInd Year | 0.204 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 00 |
| 4.1.3 | IIIrd Year | 0.228 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 4.1.4 | IVth Year | 0.252 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | TLM to Additional Para Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | Maintenance of School Building | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 5.1 | Primary School | 0.050 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 5.2 | Upper Primary School | 0.050 | 203 | 10.150 | 2500 | 12.500 | 250 | 12.500 | 250 | 12.500 | 300 | 15.0 |
| 5.3 | Others Schools | 0.050 | 0 | 0.000 | 14 | 0.700 | 14 | 0.700 | 0 | 0.000 | 56 | 2.80 |
| 6.0 | Community Mobilization | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 6.1 | Community Mobilization Activities | 0.010 | | 0.000 | 250 ) | 2.500 | 250 | 2.500 | 250 | 2.500 | 300 | 3.00 |
| 6.2 | Developing Awareness Material | 0.500 | | 0.000 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1 | 0.50 |
| 6.3 | Training of SMC Members | 0.0006 | | 0.000 | 20000 | 1.200 | 2000 | 1.200 | 2000 | 1.200 | 2400 | 1.44 |
| 6.4 | Training of B.N.S. Members | 0.0003 | | 0.000 | 750 | 0.225 | 750 | 0.225 | 750 | 0.225 | 900 | 0.27 |
| 6.5 | Panchayat L ibrary/ Reading Room | 0.0100 | 0 | 0.000 | 153 | 1.530 | 153 | 1.530 | 153 | 1.530 | 153 | 1.53 |
| 7.0 | Computer Education | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | Computer Education for Learner | 00.005 | 0 | 0.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.000 | 3000 | 15.0 |
| | Quality Education | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 8.0 | School Facilities Grant | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 8.1 | School Facilities Grant to P.S. | 0.(.020 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 8.2 | School Facilities Grant to U.P.S. | 0.0020 | 203 | 4.060 | 205 | 4.100 | 205 | 4.100 | 205 | 4.100 | 205 | 4.10 |
| 8.3 | School Facilities Grant to others school | 0.0020 | 0 | 0.000 | 14 | 0.280 | 14 | 0.280 | 0 | 0.000 | 56 | 1.12 |
| 9.0 | Teacheing Learning Matterial to Teacher | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 9.1 | Teacheing Learning Material to P.S.Teacher | 0.0005 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 9.2 | Teacheing Learning Material to U.P.S. Teacher | 0.0005 | 963 | 4.815 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.745 | 1549 | 7.74 |
| 9.3 | Teacheing Learning Material to Other sschools. Teacher | 0.0005 | 0 | 0.000 | 44 | 0.220 | 44 | 0.220 | 44 | 0.220 | 44 | 0.22 |
| 10.0 | Free Text Book to UPS S.C./S.T. Boys | 0.00010 | 3095 | 1.857 | 3200 | 3.200 | 3500 | 3.500 | 3700 | 3.700 | 3900 | 3.90 |
| 11.0 | Library Grant | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11..1 | Almirah | 0.015 | | 0.000 | 205 | 3.075 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 11..2 | Books for Library | 0.020 | | 0.000 | 205 | 4.100 | | 0.000 | | 0.000 | 205 | 4.10 |
| 12.0 | Organising Remidial Classes | 0.030 | 0 | 0.000 | 40 | 1.200 | 40 | 1.200 | 40 | 1.200 | 40 | 1.20 |
| 13.0 | Training | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 13.1 | Training of Teacher (20days) | 0.0140 | 1008 | 14.112 | 1684 | 23.576 | 1729 | 24.206 | 1829 | 25.606 | 1929 | 27.0 |
| 13.2 | Foundational Training of Parateacher (41 days) | 0.0287 | 0 | 0.000 | 584 | 16.761 | 648 | 18.598 | 292 | 8.380 | 292 | 8.38 |
| 13.3 | Content Based Training of Parateacher (30 days) | 0.021 | | 0.000 | | 0.000 | 584 | 12.264 | 1232 | 25.872 | 1524 | 32.0 |
| 13.4 | Refresher Training of Parateacher (10 days) | 0.007 | | 0.000 | 584 | 4.088 | 1232 | 8.624 | 1524 | 10.668 | 1816 | 12.7 |
| 13.5 | Training of Resource Person (6 days) | 0.006 | | 0.000 | 12 | 0.072 | 12 | 0.072 | 12 | 0.072 | 12 | 0 07 |
| 13.6 | Training of CRCF (6DAYS) | 0.0042 | | 0.000 | 55 | 0.231 | 55 | 0.231 | 55 | 0.231 | 55 | 0.23 |
| 14.0 | Education for Special Focus (Group | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Bridge Course | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 14.11.1 | Residential | 1.074 | 0 | 0.000 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.888 | 12 | 12.8 |
| 14.11.2 | Non-Residential | 0.300 | 0 | 0.000 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.400 | 8 | 2.40 |
| 14.22 | Integrated Education for Disabled | 0.012 | 0 | 0.000 | 1365 | 16.380 | 1365 | 16.380 | 1365 | 16.380 | 1365 | 16.3 |
| 14.33 | Organizing vocational Classes | 0.250 | 0 | 0.000 | 8 | 2.000 | 8 | 2.000 | 8 | 2.000 | 8 | 2.00 |
| 14.44 | Education for Migratory Childrens | 0.030 | 0 | 0.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.000 | 200 | 6.00 |
| 14.55 | Education for Working Children | 0.00845 | 0 | 0.000 | 300 | 2.535 | | 0.000 | 300 | 2.535 | 300 | 2.53 |
| 15.00 | Research, Evaluation, Supervision & Monitoring | 0.014 | 248 | 3.472 | 250 | 3.500 | 250 | 3.500 | 300 | 4.200 | 325 | 4.55 |
| 16.00 | District Project Office | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 16.1.1 | District Project Coordinator | 2.4 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.20 |
| 16.1.2 | Assistant Project Coordinator(4) | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.60 |
| 16.1.3 | Programme Assistant (3) | 1.44 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 3 | 2.16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.4 | AAO (1) | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.90 |
| 16.11.5 | Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.60 |
| 16.11.6 | Assistant Engineer (1) | 1.68 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.84 |
| 16.11.7 | Junior Engineer (no of blocks +1) | 1.32 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 10 | 6.60 |
| 16.1.8 | Cashier cum Store Keeper (1) | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.60 |
| 16.1.9 | Office Assistant (4) | 0.48 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.96 |
| 16.1.10 | Assistant (6) | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 6 | 0.91 |
| 16.1.11 | Recurring Cost | 2.5 | | 3.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.25 |
| 16.112 | Vehicle Hire | 2.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.25 |
| 16.1.13 | Maintenance of Equipment | 0.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.25 |
| 16.1.14 | TA/DA of Staff | 0.5 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.25 |
| 16.1.15 | Rent of Building | 1 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.1.16 6 | Assistant Project Coordinator | 1.8 | | 0.000 | 1 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 1 | 1.800 | 1 | 1.80 |
| 16.5.1.17 7 | Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 | 1 1 | 1.200 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 | 1 | 1.20 |
| 16.5.1.18 8 | L.D.C | 0.6 | | 0.000 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 | 1 | 0.60 |
| 16.5.1.19 9 | Office Assistant | 0.48 | | 0.000 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 1 | 0.48 |
| 16.2.2 | Block Resource Centre | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 16.2.2.1 | Salary of BRCF | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.60 |
| 16.2.2.2 | Salary of Resource Person | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 12 | 7.20 |
| 16.2.2.3 | Office Assistant | 0.48 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.96 |
| 16.2.2.4 | Salaries of Clerk | 0.7 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 1.40 |
| 16.2.2.5 | Salaries of Assistant | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.61 |
| 16.2.2.6 | Furniture for BRC | 1.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 16.2.2.7 | Contingency | 0.125 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.25 |
| 16.2.2.8 | Meeting / Travel Allowance | 0.06 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.9 | TLM Grant | 0.05 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 0.10 |
| 16.3 | Cluster Resource Centre | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 16.3.1 | Salary of CRCF | 1.200 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 33.0 |
| 16.3.2 | Furniture for CRC | 0.100 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 |
| 16.3.3 | Contingency | 0.0025 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.06 |
| 16.3.4 | Meeting / Travel Allowance | 0.024 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.66 |
| 16.3.5 | TLM Grant | 0.01 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 0.27 |
| 17.0 | Civil Works | | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 17.1 | Construction of School Building (Two Room) | 2.85 | 0 | 0.000 | 17 | 48.450 | 84 | 239.400 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 17.2 | Construction of School Building (Three Room) | 3.91 | 0 | 0.000 | 1 | 3.910 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 17.3 | Additional Class Rooms | 1.20 | 50 | 60.000 | 250 | 300.000 | 250 | 300.000 | 250 | 300.000 | 250 | 300.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 | Toilets | 0.10 | 80 | 8.000 | 100 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 | 10.0( |
| 17.75 | Hand Pumps / Tankai | 0.50 | 0 | 0.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 139 | 69.500 | 0 | 0.00( |
| 17.66 | PHED Connection | 0.20 | 0 | 0.000 | 20 | 4.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00( |
| 17.77 | RAMPS | 0.20 | 0 | 0.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 55 | 11.0( |
| 17.83 | Construction of BRC | 6.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00( |
| 17.93 | Construction of CRC | 2.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | Grand Total | | | 379.097 | | 1166.267 | | 1648.835 | | 1681.678 | | 1916. |
| | Total of Civil Works | | | 68.000 | | 426.360 | | 609.400 | | 389.500 | | 321.0 |
| | Total of Managemert | | | 3.000 | | 4.580 | | 4.580 | | 4.580 | | 26.45 |
| | PPercentage of Civil VWorks | | | 17.94 | | 36.56 | | 36.96 | | 23.16 | | 16.75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Percentage of Management | | | 0.79 | | 0.39 | | 0.28 | | 0.27 | | 1.38 |

# अध्याय 12

## 12.1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान एक सधन कार्यक्रम ही नहीं शिक्षा के सार्वजननीकरण , सबकी शिक्षा तक आसान पहुंच एवं गुणात्मक शिक्षा के क्षैत्रा में एक दीर्धकालीन तथा बहुआयामी परियोजना है । ऐसी अन्य परियोजनाओं की तरह ही इस अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं चरण बद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन की इस कार्यक्रम की सफलता होगी । इसी उद्धेश्य को मद्देनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्विति का वर्ष वार निश्चित कार्यक्रम तय किया जा रहो है ।

## 12.2 वर्ष–वार संपादित की जाने वाली गतिविधियां :–

सारणी सं. 12.1 के अनुसार वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक पहुंच , ठहराव , गुणवता एवं विभिन्न संस्थाओं को सृदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधयों के क्रियान्वयन को दर्शाया गया है । जिला शासकीय समिति , जिला कार्यकारी समिति , ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सकिय सहयोग तथा जिला , ब्लॉक एवं संकुल विद्यालय स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पणयुक्त प्रयासों से परियोजना का कार्य चरण बद्ध कार्यक्रम के अनुसार समय पर संपादित किया जाएगा ।

## 12.3 वर्ष 2002–03 में किए जाने वाले कार्यक्रम

12.3.1 परियोना के प्रारंभिक वर्ष 2002–03 में , पहुंच को आसान बनाने , सामुदायिक गतिशीलता गुणवता एवं संस्थाओं को सुदृढ़िकरण के कार्य किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । साथ ही सहयोगी गतिविधि के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाऐं जायेंगे । चूंकि धौलपुर जिले में पूर्व से ही डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम जारी है एवं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला , ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर विभिन्न वर्गो के पदाधिकारी भी कार्यरत है उन्हीं पदाधिकारियों के रिक्त पदों हेतु

अनुमोदित प्रकिया के अन्तर्गत स्टॉफ का नियोजन किये जाने का प्रावधान है ।

12.3.2 पहुंच :– सन् 2010 तक जिले के सभी बालकों को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कराने का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान को मुख्य भाग है । इस लक्ष्य की पूर्ति उस स्थिति में ही संभव है , जब सभी की पहुंच में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हो । इस हेतु प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मानदण्ड निर्धारित रखते हुए वर्ष 2003–04 में कुल 35 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान है ।

- जिले की अल्पसंख्यकों की बालिकाओं हेतु 20 गैर–आवासीय ब्रिज–कोर्स जिनमें सामान्य पाठ्यकम के साथ–साथ इस समुदाय से जुड़े पुश्तैनी व्यवसाय के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यकम भी संचालित किया जाने का प्रावधान है । इन कोर्स–शिविरों हेतु वर्ष 2002–03 में रू. 40000/– प्रति शिविर की दर से कुल रू. 8.00 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

- जिले के अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति धुमन्तु एवं कामकाजी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम उनके रहने , खाने–पीने एवं पहनने का प्रबन्ध हो । सर्व शिक्षा अभियान में इसी अवधारणा के अनुसार ऐसे छात्रों हेतु जिले में कुल 4 आवासीय ब्रिज–कोर्स शिविर वर्ष 2002–03 में संचालित किए जाने का प्रावधान है साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें , एवं टी.एल.एम. किट भी प्रदान किए जाऐंगे । ऐसे प्रत्येक शिविर पर रू. 1.50 लाख की दर से वर्ष 2002–03 में इन आवासीय ब्रिज–कोर्स शिविर वर्ष 2002–03 में संचालित किए जाने का प्रावधान है साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्कें , एवं टी.एल.एम. किट भी प्रदान किए जाऐंगे । ऐसे प्रत्येक शिविर पर रू. 150 लाख की दर से वर्ष 2002–03 में इन आवासीय ब्रिज–कोर्स के प्रबंधन एवं संचालन पर कुल रू. 6.00 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

- जिले के कुल 2170 विकलांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा–जगत से पहुंच को आसान बनाने के लिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर चिकित्सीय सलाह के अनुरूप उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाऐंगे । एवं कक्षा–से–कक्ष तक उनकी सुगम पहुंच के लिए "रेम्प" का निर्माण किया जाएगा ।

12.3.3 **गुणवता** :– छात्रों का विवेद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण की गुणवता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी अवधारणा के आधार पर निम्न कार्य वर्षर्ष 2003–04 में किए जाना प्रस्तावित है :–

- जिले की 2008 उच्च प्राथमिक विद्यालय को छात्र हितार्थ आकस्मिक /अनावर्तक व्यय हेतु प्रतिविद्यालय रू. 2000/– (एस.एफ.जी.) के रूप में दिए जाऐंगे । इस प्रकार कुल 4.10 लाख इस मद पर व्यय किए जायेंगे ।

- इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1812 शिक्षकों को रू. 500/– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रदान किए जाऐंगे । इस प्रकार इस गतिविधि पर रू. 6.63 लाख व्यय किए जाने प्रस्तावित है ।

- जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 1812 शिक्षकों (विषय–वार) अर्थात् छः विषयों हेतु 20 दिवसीय प्रेरण–प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । इस मद पर 82.726 लाख व्यय होने का अनुमान है।

- इसके साथ जिल्ले के 204 पैराटीचर्स को 41 दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । इस मद पर रू. 22.03 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

- इनके अतिरिक्त जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 12 संदर्भ व्यक्तियों को तथा जिले की 205 भवन निर्माण समितियों के 615

सदस्योंों को अभिनवन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिस पर कमशः 0.20 लाख एवं 0.38 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

**12.3.4 सामुदायिकक गतिशीलता :–**

- सामुदायिक गतिशीलता हेतु जिले की 1490 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक्क विद्यालयों को प्रत्येक को रू. 1000/– की दर से कुल 144.90 लाख दिए जायेंगे । इस राशि का व्यय विद्यालय स्तर पररर बाल मेला , कला जत्थां महिला मिटिंग , बालिका मंच का गठनन , एम.टी.ए./ पी.टी.ए. के गठन हेतु किया जाएगा । वर्ष 20003–04 में 724 तथा 2004–05 में 766 विधालयों को यह राशि प्रददान की जायेगी।

- इसी क्रम्म में शाला प्रबंध समितियों के 410 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस मद पर 2.69 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

**12.3.5 संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण :–**

- जिले में प्रस्तावित क्रमोन्नत किए जाने वाले 106 विद्यालयों को एक मुश्त 50000/– की दर से "शिक्षण अधिगम उपकरण " (टी.एल.ईई.) हेतु प्रदान की जाऐगी । इस मद पर कुल रू. 53.00 लाख वर्षर्ष 2002–03 से 2006–07 तक व्यय होने का अनुमान है ।

**12.3.6 सिविल कार्य्य :–** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में वर्ष 2003–04 केके लिए प्रस्तावित सिविल कार्य का विवरण सारणी सं. 12.2 में प्रस्तुतुत किया जा रहा है :–

| क.सं. | विवरण | संख्या | अनुमानित लागत (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त कक्षा–कक्ष | 20 | 24.00 |
| 2 | शौचालय | 40 | 4.00 |
| 3 | पी.एच.ई.डी.कनेक्शन एवं पानी की टंकी | 28 | 5.6 |
| योग | | 88 | 33.6 |

12.3.7 **प्रबन्धन सूचना तंत्र** ::— परियोजना में प्रस्तावित समस्त प्रकार की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना तंत्र का प्रावधान है । जिलेले के सुक्ष्म नियोजन , जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर सूचनाा ;प्रबंधन तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाऐगा ।

District Proposals Of Sarva Shiksha Abhiyaan 2002-2003

| | Name of Activities | Unit Cost | 2002-03 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin |
| | Access & Retention | | | |
| 1.0 | Upgradation Primary School to Upper Primary Schools | | 45 | |
| 1.1 | Teacher Learning Equipment | 0.500 | 45 | 22.500 |
| *1.2* | Salaries of Head Master (@1000 PPM) | 1.200 | 45 | 13.500 |
| 1.3 | Salaries of Teacher (@7000 pm)) | 0.840 | | 0.000 |
| 1.3 | School Facilities Grant | 0.020 | | 0.000 |
| 1.4 | TLM to Teacher | 0.005 | 45 | 0.225 |
| 2.0 | Conversion of EGS (RGSJP)/AS\ into PS | | 0 | |
| 2.1 | Teacher Learning Equipment | 0.100 | 0 | 0.000 |
| 2.2 | Salaries of Teacher (@7000 pm)) | 0.840 | 0 | 0.000 |
| 2.3 | *Honorium of Para Teacher* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Ist Year | 0.180 | 0 | 0.000 |
| 2.3.2 | IInd Year | 0.204 | | 0.000 |
| 2.3.3 | IIIrd Year | 0.228 | | 0.000 |
| 2.3.4 | IVth Year | 0.252 | | 0.000 |
| 2.4 | School Facilities Grant | 0.020 | | 0.000 |
| 2.5 | TLM to Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 |
| 3.0 | Education Gaurantee Scheme (EGS) | | | 0.000 |
| 3.1 | No of Childern In primary schooool | 0.00845 | 27267 | 230.406 |
| 3.2 | No. of Childern In Upper Primaarry School | 0.012 | 0 | 0.000 |
| 3.3 | Enrollment Under AIE | 0.030 | 0 | 0.000 |
| 3.4 | Enrollment under NGO | 0.00845 | 0 | 3.000 |
| 4.0 | Additional Para Teachers | | | 0.000 |
| 4.1.1 | Ist Year | 0.180 | 0 | 0.000 |
| 4.1.2 | IInd Year | 0.204 | | 0.000 |
| 4.1.3 | IIIrd Year | 0.228 | | 0.000 |
| 4.1.4 | IVth Year | 0.252 | | 0.000 |
| 4.2 | TLM to Additional Para Teacheer | 0.005 | 0 | 0.000 |
| 5.0 | Maintenance of School Buildingg | | | 0.000 |
| 5.1 | Primary School | 0.050 | 0 | 0.000 |
| 5.2 | Upper Primary School | 0.050 | 203 | 10.150 |
| 5.3 | Others Schools | 0.050 | 0 | 0.000 |
| 6.0 | Community Mobilization | | | 0.000 |
| 6.1 | Community Mobilization Activitities | 0.010 | | 0.000 |
| 6.2 | Developing Awareness Material | 0.500 | | 0.000 |
| 6.3 | Training of SMC Members | 0.0006 | | 0.000 |
| 6.4 | Training of B.N.S. Members | 0.0003 | | 0.000 |
| 6.5 | Panchayat L ibrary/ Reading Roooom | 0.0100 | 0 | 0.000 |
| 7.0 | Computer Education | | | 0.000 |
| 7.1 | Computer Education for Learner | 0.005 | 0 | 0.000 |
| | Quality Education | | | 0.000 |
| 8.0 | School Facilities Grant | | | 0.000 |
| 8.1 | School Facilities Grant to P.S. | 0.020 | 0 | 0.000 |
| 8.2 | School Facilities Grant to U.P.S. . | 0.020 | 203 | 4.060 |
| 8.3 | School Facilities Grant to others school | 0.020 | 0 | 0.000 |
| 9.0 | Teacheing Learning Material to TTeacher | | | 0.000 |
| 9.1 | Teacheing Learning Mateerrial to P.S.Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 |
| 9.2 | Teacheing Learning Material too U.P.S. Teacher | 0.005 | 963 | 4.815 |
| 9.3 | Teacheing Learning Material tco Other schools. Teacher | 0.005 | 0 | 0.000 |
| 10.0 | Free Text Book to UPS S.C./S.T. . Boys | 0.0010 | 3095 | 1.857 |
| 11.0 | Library Grant | | | 0.000 |
| 11.1 | Almirah | 0.015 | | 0.000 |
| 11.2 | Books for Library | 0.020 | | 0.000 |
| 12.0 | Organising Remidial Classes | 0.030 | 0 | 0.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.0 | Training | | | 0.000 |
| 13.1 | Training of Teacher (20days) | 0.0140 | 1008 | 14.112 |
| 13.2 | Foundational Training of Paraateacher (41 days) | 0.0287 | 0 | 0.000 |
| 13.3 | Content Based Training of Paraateacher (30 days) | 0.021 | | 0.000 |
| 13.4 | Refresher Training of Paraateacher (10 days) | 0.007 | | 0.000 |
| 13.5 | Training of Resource Person (6 ddays) | 0.006 | | 0.000 |
| 13.6 | Training of CRCF (6DAYS) | 0.0042 | | 0.000 |
| 14.0 | Education for Special Focus Grcouup | | | 0.000 |
| 14.1 | Bridge Course | | | 0.000 |
| 14.1.1 | Residential | 1.074 | 0 | 0.000 |
| 14.1.2 | Non-Residential | 0.300 | 0 | 0.000 |
| 14.2 | Integrated Education for Disableedd | 0.012 | 0 | 0.000 |
| 14.3 | Organizing vocational Classes | 0.250 | 0 | 0.000 |
| 14.4 | Education for Migratory Childreenns | 0.030 | 0 | 0.000 |
| 14.5 | Education for Working Childrenn | 0.00845 | 0 | 0.000 |
| 15.0 | Research, Evaluation, Supervvision & Monitoring | 0.014 | 248 | 3.472 |
| 16.0 | District Project Office | | | 0.000 |
| 16.1.1 | District Project Coordinator | 2.4 | | 0.000 |
| 16.1.2 | Assistant Project Coordinator(4)) | 1.8 | | 0.000 |
| 16.1.3 | Programme Assistant (3) | 1.44 | | 0.000 |
| 16.1.4 | AAO (1) | 1.8 | | 0.000 |
| 16.1.5 | Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 |
| 16.1.6 | Assistant Engineer (1) | 1.68 | | 0.000 |
| 16.1.7 | Junior Engineer (no of blocks +11)) | 1.32 | | 0.000 |
| 16.1.8 | Cashier cum Store Keeper (1) | 1.2 | | 0.000 |
| 16.1.9 | Office Assistant (4) | 0.48 | | 0.000 |
| 16.1.10 | Assistant (6) | 0.306 | | 0.000 |
| 16.1.11 | Recurring Cost | 2.5 | | 3.000 |
| 16.1.12 | Vehicle Hire | 2.5 | | 0.000 |
| 16.1.13 | Maintenance of Equipment | 0.5 | | 0.000 |
| 16.1.14 | TA/DA of Staff | 0.5 | | 0.000 |
| 16.1.15 | Rent of Building | 1 | | 0.000 |
| 16.1.16 | Assistant Project Coordinator | 1.8 | | 0.000 |
| 16.1.17 | Junior Accountant (1) | 1.2 | | 0.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.1.18 | L.D.C | 0.6 | | 0.000 |
| 16.1.19 | Office Assistant | 0.48 | | 0.000 |
| 16.2 | Block Resource Centre | | | 0.000 |
| 16.2.1 | Salary of BRCF | 1.8 | | 0.000 |
| 16.2.2 | Salary of Resource Person | 1.2 | | 0.000 |
| 16.2.3 | Office Assistant | 0.48 | | 0.000 |
| 16.2.4 | Salaries of Clerk | 0.7 | | 0.000 |
| 16.2.5 | Salaries of Assistant | 0.306 | | 0.000 |
| 16.2.6 | Furniture for BRC | 1.000 | | 0.000 |
| 16.2.7 | Comtingency | 0.125 | | 0.000 |
| 16.2.8 | Meeting / Travel Allowance | 0.06 | | 0.000 |
| 16.2.9 | TLM Grant | 0.05 | | 0.000 |
| 16.3 | Cluster Resource Centre | | | 0.000 |
| 16.3.1 | Salary of CRCF | 1.200 | | 0.000 |
| 16.3.2 | Furniture for CRC | 0.100 | | 0.000 |
| 16.3.3 | Comtingency | 0.0025 | | 0.000 |
| 16.3.4 | Meeting / Travel Allowance | 0.024 | | 0.000 |
| 16.3.5 | TLM Grant | 0.01 | | 0.000 |
| 17.0 | Civil Works | | 0 | 0.000 |
| 17.1 | Construction of School Building (Two Room) | 2.85 | 0 | 0.000 |
| 17.2 | Construction of School Building (Three Room) | 3.91 | 0 | 0.000 |
| 17.3 | Additional Class Rooms | 1.20 | 50 | 60.000 |
| 17.4 | Toilets | 0.10 | 80 | 8.000 |
| 17.5 | Hand Pumps / Tanka | 0.50 | 0 | 0.000 |
| 17.6 | PHED Connection | 0.20 | 0 | 0.000 |
| 17.7 | RAMPS | 0.20 | 0 | 0.000 |
| 17.8 | Construction of BRC | 6.00 | 0 | 0.000 |
| 17.9 | Construction of CRC | 2.00 | 0 | 0.000 |
| | Gramd Total | | | 379.097 |
| | Total of Civil Works | | | 68.000 |
| | Total of Management | | | 3.000 |
| | Percentage of Civil Works | | | 17.94 |
| | Percentage of Management | | | 0.79 |
| | | | | |

# अध्याय 13

**13.1 परिचय :–**

"सर्व शिक्षा अभियान" शिक्षा की एक दीर्धकालीन परियोजना है । इसमें दी गई राशि का सही ढंग से सदुप्रयोग हो अच्छी सामग्री कम लागत में उपलब्ध हो सके , इस कार्य के लिए क्रय नियमों का उचित प्रावधान किया जाना अत्यंनत आवश्यक है ।

13.2 सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित राशि का एक बड़ा हिस्सा ग्राम स्तर पर ही खर्च किया जाना है , इसलिए ग्राम स्तर पर सामग्री क्रय के लिए क्रय समिति में शाला प्रबंध समिति , अध्यक्षएवं सचिव तथा ग्राम के दो पुबुद्व नागरिक जो इस संदर्भ में अनुभव रखते हो , उनको सदस्य के रूप में किया जाएगा । इस प्रकार कुल चार सदस्यों की क्रय समिति हर गॉव स्तर पर बनाई जाएगी । यह क्रय समिति शाला प्रबन्ध समिति व भवन निर्माण समिति की उप सामेाते ही हागा ।

- संकुल स्तर पर सामग्री क्रय के लिए संकुल प्रभारी को सदस्य सचिव व सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिस में संकुल केन्द्र स्थित है सरपंच/पंच को अध्यक्ष के रूप में लेते हुए दो वरिष्ठ व्यक्ति व एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में लेकर कुल पांच सदस्यों की समिति का गठन किया जाकर इसके माध्यम से ही सामग्री का क्रय किया जाना है ।

- ब्लॉक स्तर पर , ब्लॉक शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधान एवं सचिव खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय अधिकारी की सदस्यता व एक संदर्भ व्यक्ति व ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता की समिति (कुल पांच सदस्य) द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

➢ जिला स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए जिला क्रय समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

1. जिला परियोजना समन्वयक ।
2. सहायक अभियन्ता जिला कार्यालय ।
3. सहायक लेखाधिकारी जिला कार्यालय ।
4. सहायक परियोजना समन्वयक जिला कार्यालय ।

उक्त समिति समस्त प्रकार की सामग्री आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदाओं का नियमानुसार निस्तारण कर अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी । उक्त सभी समितियॉ सर्व शिक्षा अभियान के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करेगी ।

# ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

**DISTRICT : Dholpur**

| YEAR | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of childern 6-11 age group | 131743 | 135844 | 140073 | 144434 | 148930 | 153566 | 158347 | 163276 |
| No. of childern 11-14 age group | 78438 | 80880 | 83397 | 85994 | 88671 | 91431 | 94277 | 97212 |
| No. of childern 6-14 age group | 210181 | 216724 | 223470 | 230428 | 237601 | 244997 | 252624 | 260488 |
| Enrolment in I To VIII class | 191460 | 216724 | 223470 | 230428 | 237601 | 244997 | 252624 | 260488 |
| Enrolment in AS/EGS | 28581 | 22741 | 16281 | 13341 | 4461 | | | |
| Enrolment in Private school | 36136 | 41178 | 42459 | 43781 | 45144 | | | |
| Enrolment in Govt school | 126743 | 152805 | 164750 | 173306 | 187996 | | | |
| No. Teacher 1:40 | 3169 | 3820 | 4119 | 4333 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| Post Sanctioned | 3463 | 3463 | | | | | | |
| No.of additional teacher required | | 357 | 299 | 214 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| No of classrooms required | 615 | 652 | 299 | 214 | 367 | | 0 | 0 |

# Status Schools & Upgradition

**DISTRICT : Dholpur**

| Year | Positiorchools | | | | | Upgadation | | Position after upgradition | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PS | UPS | RGSJP S | | AS 6Hours | Total | PS | UPS | PS | UPS | RGSJP | SKS | AS 6Hours | Total |
| 2002-03 | 526 | 205 | 36 | 90 | 24 | 1210 | | 10 | 516 | 215 | 365 | 90 | 24 | 1210 |
| 2003-04 | 516 | 215 | 36 | 90 | 24 | 1210 | 146 | 35 | 627 | 250 | 219 | 90 | 148 | 1334 |
| 2004-05 | 627 | 250 | 21 | 90 | 148 | 1334 | 162 | 42 | 747 | 292 | 147 | | 148 | 1334 |
| 2005-06 | 747 | 292 | 14 | 0 | 148 | 1334 | 73 | 54 | 766 | 346 | 74 | | 148 | 1334 |
| 2006-07 | 766 | 346 | 7 | 0 | 148 | 1334 | 222 | 25 | 963 | 371 | | | | 1334 |
| 2007-08 | 963 | 371 | | 0 | 0 | 1334 | | 74 | 889 | 445 | | | | 1334 |
| 2008-09 | 889 | 445 | | 0 | 0 | 1334 | | 0 | 889 | 445 | | | | 1334 |
| 2009-10 | 889 | 445 | | 0 | 0 | 1334 | | 0 | 889 | 445 | | | | 1334 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |

## PHYSICAL NUMBERS

**DISTRICT : Dholpur**

| S.N. | NAME OF ACTIVITIES | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Additional Teachers in PS | 157 | 199 | 114 | 367 | | | |
| 3 | Enrolment in RGSJP | 22741 | 16261 | 13341 | 4461 | | | |
| 4 | Upgraditation of PS to UPS | 35 | 42 | 54 | 25 | | | |
| 5 | Additional Class Room in PS | 0 | | | | | | |
| 6 | Additional Class Room in UPS | 200 | | | | | | |
| 7 | HM Room in UPS | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| 8 | SC/ST Boys in UPS | 7169 | 7348 | 7532 | 7720 | | | |
| 9 | Construction of School Building (Five Rooms) | 10 | 15 | 15 | 10 | | | |
| 10 | Construction of School Building (Three Rooms) | 25 | 50 | 50 | 25 | | | |
| 11 | Toilets | 25 | 42 | 54 | 25 | | | |
| 12 | Handpump/ Tanka | 10 | 20 | 18 | | | | |
| 13 | PHED Connection | 11 | 9 | 8 | | | | |
| 14 | Ramps | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 15 | Construction of BRC | 0 | | | | | | |
| 16 | Construction of CRC | 0 | | | | | | |
| 17 | Boundary Wall | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 18 | Minor Repairs | 50 | 50 | 25 | 25 | | | |
| 19 | Major Repairs | 100 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 20 | Provision of Play Elements to School | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
| 21 | Primary School | 627 | 747 | 766 | 963 | | | |
| 22 | Upper Primary School | 250 | 292 | 346 | 371 | | | |
| 23 | Sanskrit/ others School | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
| 24 | Upgradation of EGS/AS to Primary School | 146 | 162 | 73 | 222 | | | |
| 25 | Upper Primary School (None Covered in CODBBB) | 0 | | | | | | |
| 26 | Teachers in Primary School | 1815 | 2301 | 2520 | 3186 | | | |
| 27 | Teachers in Upper Primary School | 1452 | 1620 | 1836 | 1936 | | | |
| 28 | Teachers in Sanskrit School | 258 | 258 | 258 | 258 | | | |
| 29 | No. of SMC | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | | | |
| 30 | No. of Disabled Children | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | | | |
| 31 | No. of Blocks | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 32 | No. of Clusters | 55 | 55 | 55 | 55 | | | |
| 33 | **Intervention for Out of School Children** | 0 | | | | | | |
| 34 | No. of Children in Upper Primary School | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| 35 | Enrollment Under AIE | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 36 | Enrollment Under NGO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| 37 | Education for Migratory Children | 480 | 480 | 480 | 480 | | | |
| 38 | Education for Working Children | 318 | 318 | 318 | 318 | | | |
| 39 | Bridge Course Residential (20 Children 3 Month) | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| 40 | Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month) | 32 | 16 | 16 | 16 | | | |
| 41 | No. of Village | 978 | 978 | 978 | 978 | | | |
| 42 | No. of Panchayat | 153 | 153 | 153 | 153 | | | |

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Additional Teacher** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Honorarium ofAdditional Para Teacher | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist Year | Number | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IInd Year | Number | 0.204 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IIIrd Year | Number | 0.228 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IVth Year | Number | 0.252 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | | **Education Gaurantee Scheme (EGS)** | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | No. of Children in Primary School | Child | 0.00845 | 35564 | 300.516 | 33982 | 287.1479 | 32321 | 273.11245 | 30577 | 258.376 | 132444 | 1119.152 |
| 3 | | **Upgradation Primary School to Upper Primary School** | | | 35 | | 12 | | 14 | | 45 | | 106 | |
| | 3.1 | Teaching Learning Equipments | New UPS | 0.5 | 35 | 17.500 | 12 | 6.000 | 14 | 7.000 | 45 | 22.500 | 106 | 53.000 |
| | 3.2 | Salary of Head Master in Ist year | Number | 0.9 | 35 | 31.500 | 12 | 10.800 | 14 | 12.600 | 45 | 40.500 | 106 | 95.400 |
| | | Salary of Head Master in Next year | Number | 1.2 | 10 | 12.000 | 45 | 54.000 | 57 | 68.400 | 71 | 85.200 | 183 | 219.600 |
| | 3.3 | Salary of Teacher in Ist Year | Number | 0.63 | 35 | 22.050 | 12 | 7.560 | 14 | 8.820 | 45 | 28.350 | 106 | 66.780 |
| | | Salary of Teacher in Next Year | Number | 0.84 | 20 | 16.800 | 100 | 84.000 | 159 | 133.560 | 199 | 167.160 | 478 | 401.520 |
| 4 | | **Class Room** | | | | | | | | | | | | |
| | 4.2 | Additional Class Room in UPS | Room | 1.2 | 20 | 24.000 | 50 | 60.000 | 150 | 180.000 | 200 | 240.000 | 420 | 504.000 |
| | 4.3 | HM Room in UPS | Room | 0.5 | 20 | 10.000 | 40 | 20.000 | 80 | 40.000 | 125 | 62.500 | 265 | 132.500 |
| 5 | | **Free Text Book** | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Free Text Book for UPS SC/ST Boys | Child | 0.001 | 7400 | 7.400 | 7600 | 7.600 | 7800 | 7.800 | 8000 | 8.000 | 30800 | 30.800 |
| 6 | | **Civil Work** | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Construction of School Building (Two Rooms) | Number | 2.56 | 5 | 12.800 | 10 | 25.600 | 15 | 38.400 | 30 | 76.800 | 60 | 153.600 |
| | 6.2 | Construction of School Building (Three Rooms) | Number | 3.6 | 10 | 36.000 | 35 | 126.000 | 14 | 50.400 | 45 | 162.000 | 104 | 374.400 |
| | 6.3 | Toilets | Number | 0.1 | 40 | 4.000 | 40 | 4.000 | 40 | 4.000 | 80 | 8.000 | 200 | 20.000 |
| | 6.4 | Handpump/ Water Harvesting | Number | 0.5 | 10 | 5.000 | 20 | 10.000 | 30 | 15.000 | 47 | 23.500 | 107 | 53.500 |
| | 6.5 | PHED Connections | Number | 0.2 | 7 | 1.400 | 7 | 1.400 | 7 | 1.400 | 7 | 1.400 | 28 | 5.600 |
| | 6.6 | Ramps | Number | 0.2 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 100 | 20.000 | 100 | 20.000 | 300 | 60.000 |
| | 6.7 | Construction of BRC | Number | 6 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 6.8 | Construction of CRC | Number | 2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 6.9 | Boundary Wall | Lumpsum | 50 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 4 | 200.000 |
| | 6.10 | Minor Repairs (per classrooms ) | Number | 0.125 | 25 | 3.125 | 50 | 6.250 | 75 | 9.375 | 100 | 12.500 | 250 | 31.250 |
| | 6.11 | Major Repairs (per classrooms | Number | 0.25 | 25 | 6.250 | 50 | 12.500 | 75 | 18.750 | 100 | 25.000 | 250 | 62.500 |
| | 6.11 | Provision of Play Elements to School | Number | 0.25 | 20 | 5.000 | 80 | 20.000 | 100 | 25.000 | 150 | 37.500 | 350 | 87.500 |
| 7 | | **Maintinance & Repairs** | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Primary School | Number | 0.05 | 516 | 25.800 | 523 | 26.150 | 553 | 27.650 | 674 | 33.700 | 2266 | 113.300 |
| | 7.3 | Upper Primary School | Number | 0.05 | 208 | 10.400 | 243 | 12.150 | 261 | 13.050 | 281 | 14.050 | 993 | 49.650 |
| 8 | | **Upgradation of EGS/AS to Primary School** | | | 42 | | 42 | | 135 | | 42 | | 261 | |
| | 8.1 | Teaching Learning Equipments | New PS | 0.1 | 42 | 4.200 | 42 | 4.200 | 135 | 13.500 | 42 | 4.200 | 261 | 26.100 |
| | 8.2 | Teacher Salary in Ist Year | Number | 0.63 | 42 | 26.460 | 42 | 26.460 | 135 | 85.050 | 42 | 26.460 | 261 | 164.430 |
| | | Teacher Salary in next Year | Number | 0.84 | | 0.000 | 42 | 35.280 | 84 | 70.560 | 219 | 183.960 | 345 | 289.800 |
| | 8.3 | Honorarium of Para Teacher | | | | | | | | | | | | |
| | 8.3.1 | Ist Year | Number | 0.135 | 42 | 5.670 | 42 | 5.670 | 135 | 18.225 | 42 | 5.670 | 261 | 35.235 |
| | 8.3.2 | IInd Year | Number | 0.204 | | 0.000 | 42 | 8.568 | 42 | 8.568 | 135 | 27.540 | 219 | 44.676 |
| | 8.3.3 | IIIrd Year | Number | 0.228 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 42 | 9.576 | 42 | 9.576 | 84 | 19.152 |
| | 8.3.4 | IVth Year | Number | 0.252 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 42 | 10.584 | 42 | 10.584 |
| 10 | | **School Grant** | | | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | Primary School | Number | 0.02 | 516 | | 523 | | 553 | | 674 | | 2266 | 0.000 |
| | 10.3 | Upper Primary School | Number | 0.02 | 208 | 4.160 | 243 | 4.860 | 261 | 5.220 | 281 | 5.620 | 993 | 19.860 |
| 11 | | **Teachers Grant** | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | Teachers in Primary School | Number | 0.005 | 1412 | | 1496 | | 1766 | | 1850 | | 6524 | 0.000 |
| | 11.3 | Teachers in Upper Primary School | Number | 0.005 | 1812 | 9.060 | 1881 | 9.405 | 1956 | 9.780 | 2072 | 10.360 | 7721 | 38.605 |
| 12 | | **Teachers Training** | | | | | | | | | | | | |
| | 12.1 | Teachers in PS & New PS (20 days) | Number | 0.014 | 1370 | | 1412 | | 1547 | | 1589 | | 5918 | 0.000 |
| | 12.2 | Teachers in UPS & New UPS (20 days) | Number | 0.014 | 1812 | | 1881 | 26.334 | 1956 | 27.384 | 2072 | 29.008 | 7721 | 82.726 |

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Phy | Exp | Phy | Exp | Phy | Exp | Phy | Exp | Phy | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.3 | Refresher Course for Untrand Teachers (60 days) | Number | 0.042 | | 0.000 | 328 | 13.776 | | 0.000 | | 0.000 | 328 | 13.776 |
| | 12.4 | Training for Fresh Teachers (30 days) | Number | 0.021 | 42 | 0.882 | 84 | 1.764 | 219 | 4.599 | 261 | 5.481 | 606 | 12.726 |
| 14 | | **Training for Community Leaders** | | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 | Training of SMC Membars (2 days) | Number | 0.0006 | 1664 | 0.998 | 1944 | 1.166 | 2088 | 1.253 | 2248 | 1.349 | 7944 | 4.766 |
| 15 | | **Provision for Disabled Children** | | | | | | | | | | | | |
| | 15.1 | Disabled Children | Number | 0.012 | 198 | 2.376 | 198 | 2.376 | 198 | 2.376 | 198 | 2.376 | 792 | 9.504 |
| 16 | | **Research, Evaiiuation, Supervision & Monitoring** | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Research, Evaiiuation, Supervision & Monitoring** | | | | | | | | | | | | |
| | 16.1 | Primary School | Number | 0.014 | 516 | 7.224 | 523 | 7.322 | 553 | 7.742 | 674 | 9.436 | 2266 | 31.724 |
| | 16.3 | Upper Primary School | Number | 0.014 | 208 | | 243 | 3.402 | 261 | 3.654 | 281 | 3.934 | 993 | 10.990 |
| 17 | | **Management Cost** | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 | ***District Project Office*** | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.1 | Salary of District Project Coordinator (1) | Number | 2.4 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 |
| | 17.1.2 | Salaries of Asstt. Project Coordinator (4) | Number | 2.04 | 1 | 2.040 | 1 | 2.040 | 1 | 2.040 | 4 | 5.100 | 7 | 11.220 |
| | 17.1.3 | Programme Asstt. (3) | Number | 1.44 | 1 | 1.440 | 1 | 1.440 | 1 | 1.440 | 3 | 2.880 | 6 | 7.200 |
| | 17.1.4 | Salary of Asstt. Enng. (1) | Number | 1.8 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.900 | 1 | 0.900 |
| | 17.1.5 | Salary of AAO (1) | Number | 1.68 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 |
| | 17.1.6 | Salary of MIS Incharge (1) | Number | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.600 | 1 | 0.600 |
| | 17.1.7 | Salary of UDC (1) | Number | 0.84 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 | 4 | 3.360 |
| | 17.1.8 | Salary of LDC (1) | Number | 0.6 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.300 | 1 | 0.300 |
| | 17.1.9 | Computer Operators on Contract (4) | Number | 0.48 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 1 | 0.480 | 4 | 0.960 | 7 | 2.400 |
| | 17.1.10 | Peon on Contract (3) | Number | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 3 | 0.459 | 3 | 0.459 |
| | 17.1.11 | Watchmen (1) | Number | 0.306 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 0.153 | 1 | 0.153 |
| | 17.1.12 | Hire of Vehicles (2) | Number | 1.5 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 8 | 12.000 |
| | 17.1.13 | Equipment | Lumpsum | 1.5 | 1 | 1.500 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.500 |
| | 17.1.14 | Hire of Computers with Operator (5) | Number | 0.84 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 5 | 4.200 | 5 | 4.200 |
| | 17.1.15 | Furniture | Lumpsum | 1 | 1 | 1.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 1 | 1.000 |
| | 17.1.16 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 5 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 4 | 20.000 |
| | 17.2 | ***Strengthening of DEEO Office*** | | | | | | | | | | | | |
| | 17.2.1 | Hire of Vehicle (1) | Number | 1.5 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 4 | 6.000 |

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Phy | Exp | Phy | Exp | Phy | Exp | Phy | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.2.2 | Equipment | Lumpsum | 1.1 | 1 | 1.100 | | 0.000 | | | | 1.100 |
| | 17.2.3 | Hire of Computer with Operator (1) | Number | 0.84 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 | 1 | 0.840 | 4 | 3.360 |
| | 17.2.4 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 0.2 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | 4 | 0.800 |
| | 17.3 | ***BRCF Office*** | | | | | | | | | | |
| | 17.3.1 | Salary of BRCF | Number | 1.96 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.920 | 4 | 3.920 |
| | 17.3.2 | Salary of Resource Person/APO | Number | 1.44 | | 0.000 | | 0.000 | 12 | 8.640 | 12 | 8.640 |
| | 17.3.3 | Salary of Junior Engg. | Number | 1.44 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 2.880 | 4 | 2.880 |
| | 17.3.4 | Salary of Accountant/ Junior Accountant | Number | 1.08 | 4 | 4.320 | 4 | 4.320 | 4 | 4.320 | 16 | 17.280 |
| | 17.3.5 | Salary of LDC (1) | Number | 0.6 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 | 1.200 | 4 | 1.200 |
| | 17.3.6 | Computer Operator on Contract (1) | Number | 0.48 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 | 0.960 | 4 | 0.960 |
| | 17.3.7 | Peon on Contract (1) | Number | 0.306 | | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 | 0.612 | 4 | 0.612 |
| | 17.4 | ***Strengthening of BEEO Office*** | | | | | | | | | | |
| | 17.4.1 | Equipment | Lumpsum | 0.85 | 4 | 3.400 | | 0.000 | | 0.000 | 4 | 3.400 |
| | 17.4.2 | Vehicle Allowance | Number | 0.12 | 4 | 0.480 | 4 | 0.480 | 4 | 0.480 | 16 | 1.920 |
| | 17.4.3 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 0.1 | 4 | 0.400 | 4 | 0.400 | 4 | 0.400 | 16 | 1.600 |
| | 17.4.5 | Hire of Computer with Operator (1) | Number | 0.84 | 4 | 3.360 | 4 | 3.360 | 4 | 3.360 | 16 | 13.440 |
| | 17.5 | ***CRCF Office*** | | | | | | | | | | |
| | 17.5.1 | Salary of CRCF | Number | 1.2 | | 0.000 | | 0.000 | 55 | 33.000 | 55 | 33.000 |
| 18 | | **Innovation** | Districts | 50 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 4 | 200.000 |
| 19 | 19.1 | **Block Resource Center** | | | | | | | | | | |
| | 19.1.1 | Furniture | Lumpsum | 1 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 19.1.2 | Contingency | Lumpsum | 0.125 | 4 | 0.500 | 4 | 0.500 | 4 | 0.500 | 16 | 2.000 |
| | 19.1.3 | Travel Allowance | Number | 0.06 | 4 | 0.240 | 4 | 0.240 | 4 | 0.240 | 16 | 0.960 |
| | 19.1.4 | TLM Grant | Number | 0.05 | 4 | 0.200 | 4 | 0.200 | 4 | 0.200 | 16 | 0.800 |
| | 19.2 | **Cluster Resource Center** | | | | | | | | | | |
| | 19.2.1 | Furniture | Lumpsum | 0.1 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 19.2.2 | Contingency | Lumpsum | 0.025 | 55 | 1.375 | 55 | 1.375 | 55 | 1.375 | 220 | 5.500 |
| | 19.2.3 | Travel Allowance | Number | 0.024 | 55 | 1.320 | 55 | 1.320 | 55 | 1.320 | 220 | 5.280 |
| | 19.2.4 | TLM Grant | Number | 0.01 | 55 | 0.550 | 55 | 0.550 | 55 | 0.550 | 220 | 2.200 |
| 20 | | **Interventions for Out of School Children** | | | | | | | | | | |
| | 20.1 | Different Interventions for Out of School Children | Child | 0.00845 | 1800 | 15.210 | 1400 | 11.830 | 1000 | 8.450 | 600 | 5.070 | 4800 | 40.560 |
| 21 | | **Community Mobilisation** | | | | | | | | | | |
| | 21.1 | Mobilisation Activities at Village Level | school | 0.01 | 724 | 7.240 | 766 | 7.660 | | 0.000 | | 0.000 | 1490 | 14.900 |
| | 21.2 | Doveloping Awarness Material | Lumpsum | 0.2 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | 4 | 0.800 |
| | 21.3 | Panchayat Library / Reeding Room | Panchayat | 0.02 | 153 | 3.060 | 153 | 3.060 | 153 | 3.060 | 153 | 3.060 | 612 | 12.240 |
| | | **Grand Total** | | | | **783.366** | | **1092.576** | | **1361.599** | | **1863.848** | | **5101.390** |
| | | Total of Civil work | | | | 167.575 | | 345.750 | | 452.325 | | 719.200 | | 1684.850 |
| | | % of Civil works | | | | 21.39 | | 31.65 | | 33.22 | | 38.59 | | 33.03 |
| | | Total of Management | | | | 26.580 | | 19.580 | | 19.580 | | 33.212 | | 98.952 |
| | | % of Management | | | | 3.39 | | 1.79 | | 1.44 | | 1.78 | | 1.94 |

# ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: DHOLPUR

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Fresh Proposals | | Spillover | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 1 | | **Additional Teacher** | | | | | | | | |
| | 1.1 | Honorarium ofAdditional Para Teacher | | | | | | | | |
| | | Ist Year | Number | 0.18 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IInd Year | Number | 0.204 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IIIrd Year | Number | 0.228 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | | IVth Year | Number | 0.252 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | | **Education Gaurantee Scheme (EGS)** | | | | | | | | |
| | 2.1 | No. of Children in Primary School | Child | 0.00845 | 35564 | 300.516 | | 0.000 | 35564 | 300.516 |
| 3 | | **Upgradation Primary School to Upper Primary School** | | | | | | | | |
| | 3.1 | **Teaching Learning Equipments** | New UPS | 0.5 | 35 | 17.500 | 10 | 5.000 | 45 | 22.500 |
| | 3.2 | **Salary of Head Master in Ist year** | Number | 0.9 | 35 | 31.500 | | 0.000 | 35 | 31.500 |
| | | Salary of Head Master in Next year | Number | 1.2 | 10 | 12.000 | | 0.000 | 10 | 12.000 |
| | 3.3 | Salary of Teacher in Ist Year | Number | 0.63 | 35 | 22.050 | | 0.000 | 35 | 22.050 |
| | | Salary of Teacher in Next Year | Number | 0.84 | 20 | 16.800 | | 0.000 | 20 | 16.800 |
| 4 | | **Class Room** | | | | | | | | |
| | 4.2 | Additional Class Room m UPS | Room | 1.2 | 20 | 24.000 | 58 | 69.600 | 78 | 93.600 |
| | 4.3 | HM Room in UPS | Room | 0.5 | 20 | 10.000 | | 0.000 | 20 | 10.000 |
| 5 | | **Free Text Book** | | | | | | | | |
| | 5.1 | Free Text Book for UPS SC/ST Boys | Child | 0.001 | 7400 | 7.400 | | 0.000 | 7400 | 7.400 |
| 6 | | **Civil Work** | | | | | | | | |
| | 6.1 | Construction of School Building (Two Rooms) | Number | 2.56 | 5 | 12.800 | | 0.000 | 5 | 12.800 |
| | 6.2 | Construction of School Building (Three Rooms) | Number | 3.6 | 10 | 36.000 | | 0.000 | 10 | 36.000 |
| | 6.3 | Toilets | Number | 0.1 | 40 | 4.000 | 117 | 11.700 | 157 | 15.700 |
| | 6.4 | Handpump/ Water Harvesting | Number | 0.5 | 10 | 5.000 | | 0.000 | 10 | 5.000 |
| | 6.5 | PHED Connections | Number | 0.2 | 7 | 1.400 | | 0.000 | 7 | 1.400 |
| | 6.6 | **Ramps** | **Number** | **0.2** | **50** | 10.000 | | 0.000 | 50 | 10.000 |
| | 6.7 | Construction of BRC | Number | 6 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 6.8 | Construction of CRC | Number | 2 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 6.9 | Boundary Wall | Lumpsum | 50 | 1 | 50.000 | | 0.000 | 1 | 50.000 |
| | 6.10 | Minor Repairs (per classrooms ) | Number | 0.125 | 25 | 3.125 | | 0.000 | 25 | 3.125 |
| | 6.11 | Major Repairs (per classrooms | Number | 0.25 | 25 | 6.250 | | 0.000 | 25 | 6.250 |
| | 6.11 | Provision of Play Elements to School | Number | 0.25 | 20 | 5.000 | | 0.000 | 20 | 5.000 |
| 7 | | **Maintinance & Repairs** | | | | | | | | |
| | 7.1 | Primary School | Number | 0.05 | 516 | 25.800 | | 0.000 | 516 | 25.800 |
| | 7.3 | Upper Primary School | Number | 0.05 | 208 | 10.400 | | 0.000 | 208 | 10.400 |
| 8 | | **Upgradation of EGS/AS to Primary School** | | | | | | | | |
| | 8.1 | Teaching Learning Equipments | New PS | 0.1 | 42 | 4.200 | | 0.000 | 42 | 4.200 |
| | 8.2 | Teacher Salary in Ist Year | Number | 0.63 | 42 | 26.460 | | 0.000 | 42 | 26.460 |
| | | Teacher Salary in next Year | Number | 0.84 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 8.3 | Honorarium of Para Teacher | | | | | | | | |
| | 8.3.1 | Ist Year | Number | 0.18 | 42 | 5.670 | - | 0.000 | 42 | 5.670 |
| | 8.3.2 | IInd Year | Number | 0.204 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 8.3.3 | IIIrd Year | Number | 0.228 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 8.3.4 | IVth Year | Number | 0.252 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 10 | | **School Grant** | | | | | | | | |
| | 10.1 | Primary School | Number | 0.02 | 516 | 0.000 | | 0.000 | 516 | 0.000 |
| | 10.3 | Upper Primary School | Number | 0.02 | 208 | 4.160 | | 0.000 | 208 | 4.160 |
| 11 | | **Teachers Grant** | | | | | | | | |
| | 11.1 | Teachers in Primary School | Number | 0.005 | 1412 | 0.000 | | | 1412 | 0.000 |

# ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

**DISTRCT: DHOLPUR**

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Fresh Proposals | | Spillover | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | 11.3 | Teachers in Upper Primary School | Number | 0.005 | 1812 | 9.060 | | 0.000 | 1812 | 9.060 |
| 12 | | **Teachers Training** | | | | | | | | |
| | 12.1 | Teachers in PS & New PS (20 days) | Number | 0.014 | 1370 | 0.000 | | | 1370 | 0.000 |
| | 12.2 | Teachers in UPS & New UPS (20 days) | Number | 0.014 | 1812 | 0.000 | 1008 | 14.112 | 2820 | 14.112 |
| | 12.3 | Refresher Course for Untrand Teachers (60 days) | Number | 0.042 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 12.4 | Training for Fresh Teache.s (30 days) | Number | 0.021 | 42 | 0.882 | | 0.000 | 42 | 0.882 |
| 14 | | **Training for Community Leaders** | | | | | | | | |
| | 14.1 | Training of SMC Membars (2 days) | Number | 0.0006 | 1664 | 0.998 | | 0.000 | 1664 | 0.998 |
| 15 | | **Provision for Disabled Children** | | | 0 | 0.000 | | | 0 | 0.000 |
| | 15.1 | Disabled Children | Number | 0.012 | 198 | 2.376 | | 0.000 | 198 | 2.376 |
| 16 | | **Research, Evaluation, Supervision & Monitoring** | | | | | | | | |
| | 16.1 | Primary School | Number | 0.014 | 516 | 7.224 | | 0.000 | 516 | 7.224 |
| | 16.3 | Upper Primary School | Number | 0.014 | 208 | 0.000 | 248 | 3.472 | 456 | 3.472 |
| 17 | | **Management Cost** | | | | | | | | |
| | 17.1 | *District Project Office* | | | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.1 | Salary of District Project Coordinator (1) | Number | 2.4 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.2 | Salaries of Asstt. Project Coordinator (4) | Number | 2.04 | 1 | 2.040 | | 0.000 | 1 | 2.040 |
| | 17.1.3 | Programme Asstt. (3) | Number | 1.44 | 1 | 1.440 | | 0.000 | 1 | 1.440 |
| | 17.1.4 | Salary of Asstt. Engg. (1) | Number | 1.8 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.5 | Salary of AAO (1) | Number | 1.68 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.6 | Salary of MIS Incharge (1) | Number | 1.2 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.7 | Salary of UDC (1) | Number | 0.84 | 1 | 0.840 | | 0.000 | 1 | 0.840 |
| | 17.1.8 | Salary of LDC (1) | Number | 0.6 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.9 | Computer Operators on Contract (4) | Number | 0.48 | 1 | 0.480 | | 0.000 | 1 | 0.480 |
| | 17.1.10 | Peon on Contract (3) | Number | 0.306 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.11 | Watchmen (1) | Number | 0.306 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.12 | Hire of Vehicles (2) | Number | 1.5 | 2 | 3.000 | | 0.000 | 2 | 3.000 |
| | 17.1.13 | Equipment | Lumpsum | 1.5 | 1 | 1.500 | | 0.000 | 1 | 1.500 |
| | 17.1.14 | Hire of Computers with Operator (5) | Number | 0.84 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.1.15 | Furniture | Lumpsum | 1 | 1 | 1.000 | | 0.000 | 1 | 1.000 |
| | 17.1.16 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 2 | 1 | 5.000 | | 0.000 | 1 | 5.000 |
| | 17.2 | *Strengthening of DEEO Office* | | | | | | | | |
| | 17.2.1 | Hire of Vehicle (1) | Number | 1.5 | 1 | 1.500 | | 0.000 | 1 | 1.500 |

# ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

**DISTRCT: DHOLPUR**

| Norms | S.No. | Name of Activities | Unit | Unit Cost | Fresh Proposals | | Spillover | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | 17.2.2 | Equipment | Lumpsum | 1.1 | 1 | 1.100 | | 0.000 | 1 | 1.100 |
| | 17.2.3 | Hire of Computer with Operator (1) | Number | 0.84 | 1 | 0.840 | | 0.000 | 1 | 0.840 |
| | 17.2.4 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 0.2 | 1 | 0.200 | | 0.000 | 1 | 0.200 |
| | 17.3 | ***BRCF Office*** | | | | | | | | |
| | 17.3.1 | Salary of BRCF | Number | 1.96 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.3.2 | Salary of Resource Person/APO | Number | 2.16 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.3.3 | Salary of Junior Enng. | Number | 1.44 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.3.4 | Salary of Accountant/ Junior Accountant | Number | 1.08 | 4 | 4.320 | | 0.000 | 4 | 4.320 |
| | 17.3.5 | Salary of LDC (1) | Number | 0.6 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.3.6 | Computer Operator on Contract (1) | Number | 0.48 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.3.7 | Peon on Contract (1) | Number | 0.306 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 17.4 | ***Strengthening of BEEO Office*** | | | | | | | | |
| | 17.4.1 | Equipment | Lumpsum | 0.85 | 4 | 3.400 | | 0.000 | 4 | 3.400 |
| | 17.4.2 | Vehicle Allowance | Number | 0.12 | 4 | 0.480 | | 0.000 | 4 | 0.480 |
| | 17.4.3 | Reccuring Expanditure | Lumpsum | 0.1 | 4 | 0.400 | | 0.000 | 4 | 0.400 |
| | 17.4.5 | Hire of Computer with Operator (1) | Number | 0.84 | 4 | 3.360 | | 0.000 | 4 | 3.360 |
| | 17.5 | ***CRCF Office*** | | | | | | | | |
| | 17.5.1 | Salary of CRCF | Number | 1.2 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | | **Innovation** | Districts | 50 | 1 | 50.000 | | 0.000 | 1 | 50.000 |
| 19 | 19.1 | **Block Resource Center** | | | | | | | | |
| | 19.1.1 | Furniture | Lumpsum | 1 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 19.1.2 | Contingency | Lumpsum | 0.125 | 4 | 0.500 | | 0.000 | 4 | 0.500 |
| | 19.1.3 | Travel Allowance | Number | 0.06 | 4 | 0.240 | | 0.000 | 4 | 0.240 |
| | 19.1.4 | TLM Grant | Number | 0.05 | 4 | 0.200 | | 0.000 | 4 | 0.200 |
| | 19.2 | **Cluster Resource Center** | | | | | | | | |
| | 19.2.1 | Furniture | Lumpsum | 0.1 | 0 | 0.000 | | 0.000 | 0 | 0.000 |
| | 19.2.2 | Contingency | Lumpsum | 0.025 | 55 | 1.375 | | 0.000 | 55 | 1.375 |
| | 19.2.3 | Travel Allowance | Number | 0.024 | 55 | 1.320 | | 0.000 | 55 | 1.320 |
| | 19.2.4 | TLM Grant | Number | 0.01 | 55 | 0.550 | | 0.000 | 55 | 0.550 |
| 20 | | **Interventions for Out of School Children** | | | | | | | | |
| | 20.1 | Different Interventions for Out of School Children | Child | 0.00845 | 1800 | 15.210 | | 0.000 | 1800 | 15.210 |
| 21 | | **Community Mobilisation** | | | | | | | | |
| | 21.1 | Mobilisation Activities at Village Level | school | 0.01 | 724 | 7.240 | | 0.000 | 724 | 7.240 |
| | 21.2 | Doveloping Awarness Material | Lumpsum | 0.2 | 1 | 0.200 | | 0.000 | 1 | 0.200 |
| | 21.3 | Panchayat Library / Reeding Room | Panchayat | 0.02 | 153 | 3.060 | | 0.000 | 153 | 3.060 |
| | | **Grand Total** | | | | **783.366** | | **103.884** | | **887.250** |
| | | Total of Civil work | | | | 167.575 | | 81.300 | | 248.875 |
| | | % of Civil works | | | | 21.39 | | 78.26 | | 28.05 |
| | | Total of Management | | | | 26.580 | | 0.000 | | 26.580 |
| | | % of Management | | | | 3.39 | | 0.00 | | 3.00 |